खण्ड-210, अंक-2
शनिवार, 8 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(27 फरवरी, 1960 ई0)

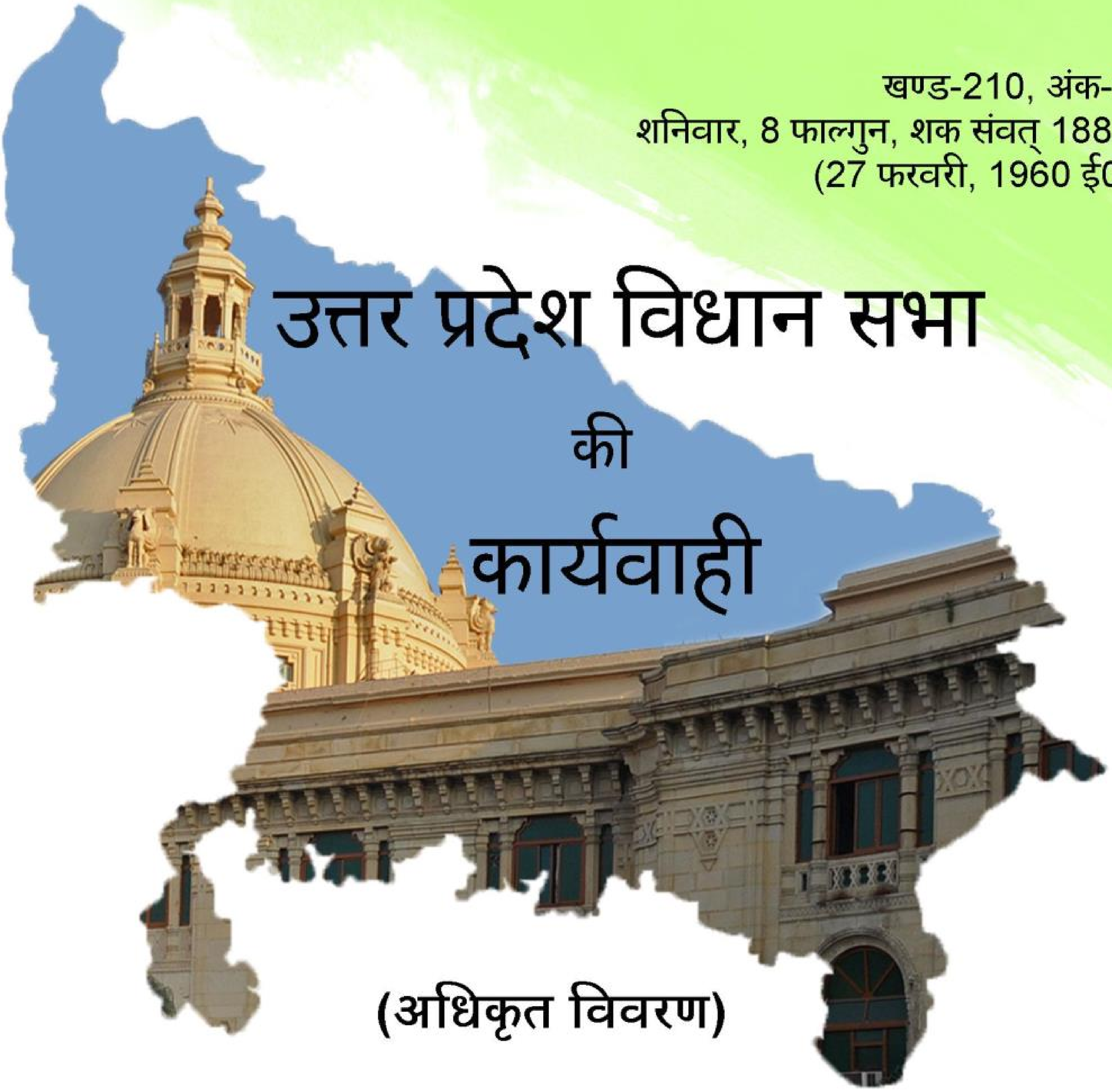

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २७ फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन म अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३०५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह, निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनयालु करण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रताप भानप्रकाश सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामभूति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखनसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री

विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बार हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबला पांडेय, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोटः—सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महाबीरसिंह, जी उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) (संशोधन) आज्ञा, १९६०*

स्वायत्त शासन उप-मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से दिनांक १५ फरवरी, १९६० के उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) (संशोधन) आज्ञा, १९६०, को, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार, सदन की मेज पर रखता हूं ।

---

*छापी नहीं गयी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस प्रकार की आज्ञाओं के बारे में कुछ कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ये आज्ञायें असाधारण गजट में समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं और उसमें वे समय के अन्दर प्रकाशित हो जाती हैं; लेकिन उस असाधारण गजट की कापी महापालिकाओं के दफ्तर में समय निकल जाने के बाद पहुंचती हैं। जैसे मेयर के चुनाव और डिप्टी मेयर के चुनाव संबंधी जितनी आज्ञायें हैं वे वहां समय से नहीं पहुंची । जब चुनाव होते हैं तब काफी समय के बाद असाधारण गजट की कापी वहां पहुंचती है जिससे कि उसका जो उद्देश्य होता है वह विफल हो जाता है । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन आज्ञाओं से संबंधित असाधारण गजट की कापी महापालिकाओं के दफ्तरों में समय से पहुंच जानी चाहिये जिससे कि सदस्यों को पता चले कि क्या नियम हैं ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, अगर पहुंचने में देरी होती है तो उस ओर जरूर ध्यान रखा जायेगा कि वे समय से वहां पहुंचें .....

श्री अध्यक्ष---ठीक है, जो उचित सुझाव हैं उनको तो स्वीकार कर लेना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) (संशोधन) विधेयक, १९५९, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५९, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ फरवरी, १९६०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ फरवरी, १९६०, को प्राप्त हो गई और वह १९६० का उत्तर प्रदेश का ५ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९

सचिव, विधान सभा---मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २२ दिसम्बर, १९५९, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ११ फरवरी, १९६०, की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २१ फरवरी, १९६०, को प्राप्त हो गई और वह १९६० का ६वां अधिनियम बन गया ।

'सत्य आश्रम' के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री द्वारा सत्य का उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मेरे पास श्री राजनारायण द्वारा भेजा गया एक प्रश्न है । श्री नेगी जी ने जो, सत्य आश्रम के संबंध में अपना उत्तर दिया था उसके संबंध में यह है । श्री राजनारायण जी का कहना यह है कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने खाद्य मंत्री को १३ फरवरी को एक पत्र लिखा था । इस संबंध में नेगी जी ने सत्य का उद्घाटन नहीं किया । मैंने इस संबंध में उनसे पूछा था और उनका यह कहना है कि वह पत्र उनके पास नहीं पहुंचा ।

[श्री अध्यक्ष]

यह पत्र दफ्तर में आया, जैसे कि और बहुत से पत्र आया करते हैं। जब उन्होंने इस संबंध में तहकीकात की तो यह पता चला कि यह पत्र उनके पी० ए० ने सचिव के पास यह लिख कर भेज दिया कि वे इसको संबंधित कागजों के साथ उनके पास भेज दें। वह पत्रावली उनके पास नहीं पहुंची। इसलिये जब उनको मालूम ही नहीं था तो वे उसका उद्घाटन कैसे करते? लेकिन अब उन्होंने उचित कागजात मंगाये हैं और वे उसे देखकर उचित आदेश देंगे। अतः इसमें सदन के अपमान का प्रश्न नहीं उठता है। जो उचित कार्यवाही इस संबंध में होगी, वे करेंगे।

गृह-मंत्री द्वारा असत्य उत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—कल मदन पांडेय जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था, श्री कमलापति जी त्रिपाठी के सम्बन्ध में। उन्होंने नोटिस दिया था कि माननीय श्री कमलापति त्रिपाठी ने यह उत्तर दिया है कि उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कई बार कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है यानी मूल प्रश्न ३३ और ३४ में 'सियासत जदीद, अखबार है कानपुर का, उनके विरुद्ध इस सम्बन्ध में कई बार कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है'—ये शब्द कमलापति जी के उत्तर में हैं, इनको लेकर श्री मदन पांडेय जी ने यह सूचना मांगी। गुफरान जाहिदी सम्पादक से टेलीफोन से और उनके यहां आने पर स्वयं भी उसके बारे में पुष्टि करायी परन्तु उनकी तरफ से यह स्पष्ट उत्तर मुझे मिला कि 'सियासत जदीद' दैनिक पर अपने जन्म से ही किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हुए कोई मुकदमा नहीं चला, यह मदन पांडेय जी को उत्तर मिला।

अब मैं इतना और बताता हूं कि माननीय पालीवाल जी ने इसके बाद पूछा था कि "क्या माननीय मुख्य मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सरकार ने अपने जिस विवेक से इसको साम्प्रदायिक घोषित किया है उसका वह विवेक क्या किसी न्यायालय में सही सिद्ध हो चुका है?" यानी किसी मुकदमे के सिलसिले में। श्री कमलापति त्रिपाठी का उत्तर है, "यह तो बड़ा तफसील का प्रश्न है, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है"—यानी उनका फैसला उनके विरुद्ध हुआ या नहीं, इस सम्बन्ध में वह कहते हैं। अदालत का फैसला "सियासत जदीद" के खिलाफ हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में वह कहते हैं "उसकी जानकारी नहीं थी, सूचना की आवश्यकता है।" जहां तक मुकदमा चलाने की बात है, उन्होंने यह पुष्टि की कि कई बार कानूनी कार्यवाही की जा चुकी है, जिसका प्रतिवाद श्री मदन पांडेय जी ने अपने पत्र में मेरे पास भेजा है, इस आधार पर कि गुफरान जाहिदी ने टेलीफोन से कहा और प्रत्यक्ष कहा कि जब से अखबार निकला है तब से कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। तो मैंने फैक्ट्स बतला दिये। अब यह जानना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी से कि अब आप को नोटिस तो मिल ही चुका है इनका और उसके बाद सूचना भी मिल गयी। तो सूचना के बाद आप की जानकारी कागजात देखने के बाद क्या हुई, कृपा करके दे दें, फिर मैं फैसला दूं।

गृह-मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, उस रोज मैंने अपनी स्मृति का सहारा लेकर ही आपकी आज्ञा से वह उत्तर दिया था, लेकिन एक बात सही है कि इस पत्र के विरुद्ध कई बार कानूनी कार्यवाही की गयी है जो "सियासत जदीद" है कानपुर का। १९५३ में २१ मार्च और ७ मई को इनके लेख निकले और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उसे साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने वाला लेख मान कर के १५३-ए० आई० पी० सी० में १९५३ में मुकदमा चलाया प्रिंटर और एडीटर के विरुद्ध और मैजिस्ट्रेट के इजलास से एक वर्ष की

†२६ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से।

उनको सजा भी हुई थी। फिर इस "सियासत जदीद" पर १९५३ को जनवरी में ही और मार्च में, फरवरी में भी ऐसे ही लेख लिखने के अपराध में उन्हें यह नोटिस दी गयी कि वह २०,००० रुपये की सिक्योरिटी जमा करें।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—जनवरी, फरवरी और मार्च की कौन सी तारीखें हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२३-१-५३, १-२-५३, ४-२-५३, २५-३-५३ और ९-४-५३ को जो उसमें लेख निकले उसके विरुद्ध सेशन कोर्ट में उनको शो काज की नोटिस दी गयी और २० हजार रुपये की जमानत मांगी गयी.....

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—'सियासत अखबार' दूसरा है और यह 'सियासत जदीद' दूसरा है। यह लखनऊ से निकलता है और सन् १९५७ से पहले कभी निकला ही नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य को शायद भ्रम हो इसका क्योंकि 'सियासद जदीद' जो है वह १८-१-५३ से ही इसका नाम 'सियासत जदीद' हो गया था। रियासत के संपादक के ऊपर केस चला प्रिवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट के अन्तर्गत १९५२ में और फिर १९५३ में 'सियासत जदीद' के नाम से यह अखबार जारी किया गया। तो यह अखबार सन् १९५३ से निकल रहा है। इसलिये सन् १९५७ की जो बात कही गई, वह भ्रम है। वास्तविकता यह है कि १८-१-५३ से 'सियासत जदीद' निकल रहा है और सन् १९५३ में उसके खिलाफ यह कार्यवाही की गई, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया और उनके आर्डर्स हमारे पास मौजूद हैं। 'सियासत जदीद' के विरुद्ध केस चलाने के बाद और फिर दूसरी बार उनसे जमानत मांगी गई और अभी १९५९ में पिछले महीनों में कदाचित् १७ मई को और फिर ३० मई को उन्होंने फिर कुछ ऐसे लेख निकाले और उस पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में १६-१०-५९ को यहां के कलेक्टर को लिखा गया कि उस पर कानूनी राय लेकर उनके ऊपर मुकद्दमा कायम करें। वह हो गया है या नहीं, इसकी इंफार्मेशन अभी मेरे पास नहीं आई है। तो मुझे कुछ स्मरण था कि उनके विरुद्ध कुछ कानूनी कार्यवाही की गई है, उसी के आधार पर मैंने वक्तव्य दिया था।

श्री अध्यक्ष—(श्री मदन पांडेय से) आप किस तरह से समझते हैं कि सदन का अपमान हुआ और आपको अनुमति दी जाय, यह आप स्पष्ट करें।

श्री मदन पांडेय—अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैंने अपने प्रश्न में भी स्पष्ट कर दिया था और मन्त्री जी की ओर से जो मूल प्रश्न का उत्तर मिला था, उसमें भी 'सियासत जदीद' शब्द लिखा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मंत्री जी ने आज भी तरदीद नहीं की है। उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने अपने प्रश्न में उस 'सियासत' का जिक्र किया जो कानपुर से निकलता था और उसी के कन्टेक्स्ट में उन्होंने उत्तर भी दिया था इसलिये 'सियासत जदीद' के बारे में यह प्रश्न है या नहीं इसका न तो मन्त्री जी प्रतिवाद कर रहे हैं और न मैं कर रहा हूं। इसलिये सियासत जदीद कब प्रकाशित हुआ, अब यह एक नया प्रश्न खड़ा हो गया है। जहां तक मेरी जानकारी है, सन् १९५७ में फरवरी के प्रथम सप्ताह से लखनऊ में सियासत जदीद का सम्पादन आरम्भ हुआ था और कुछ समय बाद फिर वह कानपुर में, जहां इस समय वह छप रहा है, वहां चला गया था। और उसके पहले सन् १९५३ में जितनी कार्यवाही हुई है उससे इस सियासत जदीद नाम के पत्र से, जिसके सम्बन्ध में प्रश्न चल रहा है, कोई सम्बन्ध नहीं है। यह मुझे व्यक्तिगत रूप से श्री गुफरान जाहिदी से मालूम हुआ, टेलीफोन पर भी मेरी बातचीत हुई, इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्राइमा फेसी केस होता है। श्री पालीवाल द्वारा माननीय मन्त्री जी को सुझाव देने के बाद यह मालूम करने के लिये जिस 'सियासत जदीद' का मैं जिक्र

[श्री मदन पाण्डेय]

कर रहा हूं वह क्या वही है जिस पर सन् १९५३ में कार्यवाही हुई थी, इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाय, वहां पर मैं भी कुछ सबूत दूंगा और सम्भव है कि माननीय मंत्री जी भीकुछ सबूत दें। इस प्रकार से इसका अच्छी तरह से निर्णय हो जायगा। इन शब्दों के साथ में अपनी बात को पुनः रखना चाहता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मान्यवर, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सदन के अवमान का प्रश्न उठता है या नहीं, इसमें मुझे सन्देह है। मैं आश्वस्त नहीं हूं। इसका निर्णय आप तो करेंगे ही। लेकिन इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो मेरे पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना नहीं है इस बात की कि जो मुकदमें चलाये गये उनमें किसी में सजा हुई, अगर उनको मालूम हो तो बतलावें?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं माननीय पांडेय जी के विषय में यह जानकारी दूं कि "सियासत जदीद" १८-१-५३ से निकला। सन् ५५ में इसका नाम २-७-५५ को "सियासत" रखा गया। सियासत का प्रकाशन लगभग १९ सितम्बर, १९५६ से फिर बन्द हो गया। फरवरी, ५७ से "सियासत जदीद" के नाम से लखनऊ और कानपुर से एक साथ फिर प्रकाशित होने लगा। ७ जुलाई, सन् ५७ से लखनऊ से प्रकाशन बन्द हो गया। कानपुर से ही जारी है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)— श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को पूरी सूचना नहीं है। उनका कहना है कि सन् ५३ में "सियासत जदीद" नामक अखबार निकला; फिर कहते हैं कि सन् ५५ में बन्द हो गया और ५५ से लेकर ५६ तक "सियासत" नाम से अखबार चला और ५६ में 'सियासत' बन्द हो गया। मेरा कहना है कि सियासत नाम का अखबार फिर चला। सरकार को स्मरण होगा कि 'सियासत' बन्द क्यों हुआ। उस समय एक किताब का झगड़ा चला था जिसमें मुहम्मद साहेब के बारे में कुछ लिखा था। आपको भी यह स्मरण होगा। तो 'सियासत' को तो बन्द करा दिया गया। मगर सरकार के प्रयत्न से एक दूसरी एडिटरशिप में सियासत नाम का दूसरा अखबार चला और यह साबित करने की कोशिश की गई कि यह वही 'सियासत' है जिसे पहले मौलाना इशहाक इल्मी निकाल रहे थे। हाईकोर्ट से वे साम्प्रदायिकता फैलाने के अपराध में छूट गये। 'सियासत' जदीद के नाम से एक पत्रिका लखनऊ से निकलनी शुरू हो गई। उसके बाद फिर वह कानपुर गई। इस सारे माहौल में देखा जाय कि इस सदन में सरकार की ओर से जो उत्तर मिला है उसके पूर्व...

श्री अध्यक्ष—आप मंत्री जी को सूचना देना चाहें तो लिखित भेज दीजिये।

श्री राजनारायण—मैं विशेषाधिकार पर आ रहा हूं। विशेषाधिकार यों बनता है कि इसके पूर्व इसी सदन में सरकार की ओर से उत्तर मिला था कि सियासत नाम की कोई पत्रिका हमारे प्रदेश में नहीं है। वह सियासत पत्रिका सन् ५६ तक चलती चली गई। अब सवाल सियासत जदीद के बारे में है। जब से वह निकला है तब से उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला है। माननीय कमलापति जी ने कहा है कि ५३ में जो सियासत जदीद निकला था उस पर मुकदमा चलाया गया है, यह बिलकुल गलत होगा। इसलिये मेरा कहना है कि सन् ५३ के सियासत जदीद का पता नहीं कि किसके सम्पादकत्व में निकल रहा था। सन् ५७ में जो निकला और जो आज चल रहा है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला। इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस दिन जो उत्तर दिया वह सन् ५३ के 'सियासत जदीद' को लेकर नहीं दिया बल्कि सीधे सन् ५७ के बाद से जो चला उस सियासत जदीद के बारे में कहा कि मुकदमा चला।

श्री भारतभैराय (जिला आजमगढ़)—मैं जानना चाहता हूं कि सियासत और सियासत जदीद के सम्पादक अलग-अलग हैं या एक ही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो 'सियासत जदीद' ५३ में निकला उनके ऐडिटर का नाम तो मुझे खोजना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष—जिन्हें एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से सजा हुई, उनका नाम बता दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय उसके प्रकाशक श्री गुफरान साहिबी हैं। सन् ५३ में यही थे या दूसरे थे, यह मैं थोड़ी देर में पता करके बताता हूं। जिनके विरुद्ध ५३ में, मुकदमा चला, उनको मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से १ साल की सजा हुई। प्रिण्टर और पब्लिशर से २०,००० रुपये की जमानत मांगी गई थी। वह हमारी दरख्वास्त कोर्ट से इसलिये डिसमिस हुई कि जिस तारीख को वह अखबार निकला है उस तारीख को जो प्रिण्टर थे वह उस तारीख को प्रिन्टर नहीं थे, जिस दिन सिक्योरिटी मांगी गयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 'सियासत जदीद' जो पुराना था वह कानूनी दृष्टिकोण से वही सियासत जदीद नहीं माना जा सकता जो अब प्रकाशित हुआ है। अमृत बाजार पत्रिका का नाम नार्दन इंडिया पत्रिका हो गया। इस प्रकार पुरानी पत्रिका लीगल प्रिक्शन में दूसरी हो गई। इस लीगल प्रिक्शन के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी को विचार करके सारा मामला स्पष्ट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—अब तो सवाल सिर्फ यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है या नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अगर माननीय मंत्री जी कानूनी बात को देखते हुए हमारी इस बात को मान लेते हैं तो जो कुछ उन्होंने कहा उससे उनका अर्थ पुराने 'सियासत जदीद' पर मुकदमे का था, तब तो वह बात यथार्थ दुरुस्त हो जाती है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—एक प्रश्न स्पष्ट उठता है कि यहां पर दो एसर्शन्स हैं, माननीय सूचना मंत्री का एसर्शन यह है कि 'सियासत जदीद' जो ५३ में निकला और जो अब निकल रहा है वह एक ही है।

श्री अध्यक्ष—यह एसर्शन उन्होंने नहीं किया है कि वह एक ही हैं। जब उनसे प्वाइंटेडली पूछा गया तो उन्होंने देखना शुरू कर दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मेरा सुझाव है कि प्रश्न फिलहाल स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—मैं फाइल मंगा कर देख चुका हूं। इसलिये मैं इस विषय पर तो फैसला दे दूंगा और जो कुछ जांच करनी है उसके बारे में, कह दूंगा।

श्री मदन पांडेय—माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया था कि 'सियासत जदीद' की भी किसी शिकायत के बारे में लीगल राय मांगी गई थी। मेरा कहना है कि हम लोगों के माथुर अधिकांश सी० आई० डी० के लोग लिखते हैं और सम्भव है कि वह लीगल ओपीनियन भी मांगते हों। लेकिन वह अब भी कार्यवाही नहीं समझी जाती। मैं समझता हूं कि इसलिये भी उनका यह कहना सत्य से परे था और इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे आप विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दें।

श्री अध्यक्ष—सम्पादकों के बारे में माननीय मंत्री जी सूचना दे दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस समय श्री सलामत अली मेंहदी एडीटर थे, श्री मुहम्मद हनीफ मलिहाबादी, प्रिन्टर, और पब्लिशर थे। सन् १९५३ में इन्हीं सलामत अली मेंहदी के खिलाफ केस चलाया गया था। इस समय लखनऊ वाला तो बन्द हो गया है। आजकल जो 'सियासत जदीद' चल रहा है उसके सम्पादक मुद्रक और प्रकाशक एक ही हैं—खान गुफरान जाहिदी।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपसे कहा कि प्रश्न यह था कि इस अखबार को एडवर्टिजमेंट क्यों नहीं दिया जाता। एडवर्टिजमेंट देने के बारे में सरकार ने अपनी नीति बतायी और वह यह है कि जो अखबार सांप्रदायिक प्रचार करते हैं या सांप्रदायिकता का विष फैलाते हैं अपने लेखों से या खबरों से उनको वे एडवर्टिजमेंट नहीं देते हैं। सरकार की इस नीति की विशेष जानकारी के लिये हा यह प्रश्न पूछा गया—"क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन से आधार हैं जिनकी बिना पर वह इसे सांप्रदायिक अखबार बता रही है?" किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक बताती है ऐसा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यह अखबार सांप्रदायिक है या नहीं, चाहे वह किसी नाम से छपा हो। मंत्री जी यही समझ रहे हैं कि यह वह जदीद है जो सन् ५३ में चला। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने दोनों के लिये कई मर्तबा कानूनी कार्यवाही की। यह इसलिये कहता हूं क्योंकि उन दिनों तीन दफा स्पष्ट कार्यवाही की गई थी और एक दफा तो उनके ऊपर मुकदमा होकर एक मैजिस्ट्रेट ने उनको सजा भी दी। अभी मंत्री जी को मालूम नहीं है कि अपील में वह सजा बहाल रही या सजा खारिज हुई। उनका कथन है कि प्रिन्टर और पब्लिशर की जमानत का मामला टेक्निकल कारणों से खारिज हो गया क्योंकि जिस तारीख को जमानत की बात थी उस तारीख को प्रिन्टर और पब्लिशर वह नहीं था। इसलिये वह खारिज हो गया। अब सन् ५९ में फिर मंत्री जी ने मुकदमा चलाने के लिये इजाजत दे दी है इसी अखबार के ऊपर। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि 'जदीद' अखबार पर मुकदमा चलाने की इजाजत सरकार ने दी, चाहे उसके सम्पादक कोई भी रहे हों। यह पत्रावली में मौजूद है। मुकदमा चला या न चला, इस बारे में उन्होंने कहा कि पूछ ताछ हो रही है। उन्होंने कानूनी राय लेकर मुकदमा चलाने को कहा था। इसलिये मंत्री जी का यह खयाल होना स्वाभाविक ही है कि जो कार्यवाही इस अखबार के खिलाफ हो रही है, वह सांप्रदायिक आधार पर है। इसलिये मंत्री जी पर यह आरोप सिद्ध नहीं होता कि उन्होंने जानबूझ कर असत्य भाषण किया, इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

अब प्रश्न इसमें यह रह जाता है कि आगे चल कर वे यह छानबीन कर लें इस बात के लिये कि अभी जो अखबार चल रहा है, उसकी नीति क्या है क्योंकि जो अखबार वर्तमान में मौजूद है उसकी नीति के आधार पर ही उसको ऐडवर्टिजमेंट दिया जायगा। इतना मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि सरकार जो फैसला कर देती है कि फलां सांप्रदायिक अखबार है या नहीं है, इस विषय में उसे सजा हुई या नहीं हुई है, इसी को वह आधार नहीं मानते हैं क्योंकि यह उनका स्वतः जानकारी रखने का ऐक्जीक्यूटिव होने के नाते कर्तव्य है। अगर सजा अदालत से होना जरूरी हो, तो जो कोई भी भारतवर्ष में ट्रेटर होगा। उसको जब तक आप सजा न दिलवा दें, किसी अदालत में, तब तक कुछ कार्यवाही कर ही नहीं सकेंगे और सरकार को चुप बैठना पड़ेगा। सबसे कम सजा अगर कोई सरकार की ओर से हो सकती है तो यह होती है कि उसको ऐडवर्टिजमेंट नहीं देते हैं, कुछ पैसे नहीं देते हैं। कोई दण्ड भी नहीं होता है, मुकदमा चलाना तो उससे सीरियस चीज है, जिसकी भी उन्होंने इजाजत दे दी है क्योंकि मैं समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी और माननीय मदन पांडेय जी जिन्होंने इस प्रश्न को यहां उठाया है, उन्हें माननीय गृह मंत्री जी बतला दें कि यदि किसी खास बात में वे सूचना देना चाहते हैं तो उसे दे दें और उसके लिए पत्रकार को न्याय मिल जायगा। इसमें लिखा है कि साम्प्रदायिक सेडिशन फैलाने का प्रयत्न इस पत्र में है, तो साथ ही पालीवाल जी पत्र को इस बात की हिदायत कर दें कि आयन्दा इस तरह की कोई चीज न हो और इस तरह से यह मामला खत्म हो सकता है। लेकिन विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है इसलिये मैं अनुमति नहीं देता।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं भी आप से आज्ञा चाहता हूं माननीय मदन पांडेय तथा इस अखबार की साम्प्रदायिकता के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये जो उन्होंने साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में सारे प्रान्त में विष फैलाया है.....

श्री अध्यक्ष—आपने सूचना दे दी यही काफी है। आप लिखित सूचना भेज दें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—बहुत अच्छा, मैं लिख कर भेज दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, चूंकि इस प्रश्न से फ्रीडम आफ प्रेस का प्रश्न उपस्थित होता है इसलिये मैं आपकी अनुकम्पा चाहता हूं अपनी इस बात के लिये कि मैं आपको स्पष्ट कर दूं और अगर सरकार की राय में हम कोई जुर्म करते हैं तो उस जुर्म के मुताबिक हम अपराधी हो जाते हैं या नहीं, और अभी जो पत्र को यह दण्ड मिला है कि उसे विज्ञापन नहीं दे रहे हैं इसे सही मानने पर फिर वह ऐसी बात हो जायगी कि जिससे प्रेस की फ्रीडम खत्म हो जायगी।

श्रीमन्, मुझे निजी अनुभव है इसलिये मैं आपके सामने इस बात को रखता हूं, आप मुझे क्षमा करेंगे। मुझे मालूम हुआ है कि मेरे पत्र सैनिक के खिलाफ सरकार ने एक बार नहीं, दसों बार मुकदमा चलाना चाहा और अपने सलाहकारों से उसने मुकदमा चलाने के लिये कहा, लेकिन उन सलाहकारों ने हमेशा यह कहा कि इस पत्र पर मुकदमा नहीं चल सकता है। तो सरकार केवल समझ ले कि फलां पत्र, जो विरोधी पक्ष का है वह साम्प्रदायिकता का विष फैलाता है तो क्या उसे इसके लिये दंड मिलेगा? यह श्रीमन्, ऐसा प्रश्न है जो फंडामेंटल राइट का है। किसी अदालत में अपराध साबित हो जाय तब तो ठीक है, लेकिन सरकार का विवेक दूषित हो सकता है, गलत हो सकता है, अगर वह अपने विवेक से ही किसी को साम्प्रदायिक समझ ले। मैंने आपको सैनिक पत्र का ही उदाहरण देकर बतलाया कि सरकार ने कई बार इस तरह की कोशिश की कि सैनिक को विज्ञापन न दिया जाय लेकिन प्रेस परामर्शदात्री समिति ने बराबर इसका विरोध किया। हो सकता है कि सरकार अपने विवेक से किसी को गलत समझ ले जब कि वह ऐसा न हो। इसलिये यह फ्रीडम आफ प्रेस का सवाल है, सरकार अपने लिये पक्षपात कर सकती है, अनजाने पक्षपात कर सकती है। इसलिये सरकार को कभी यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह अपने एक्जीक्यूटिव ऐक्शन से इस तरह की कोई बात कर सके।

श्री झारखंडे राय—श्रीमन्, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो विज्ञापन देने वाले नियम हैं, माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इनका व्यवहार मुस्लिम साम्प्रदायिकता फैलाने वाले पत्रों के खिलाफ ही होता है या हिन्दू साम्प्रदायिकता फैलाने वाले पत्रों के खिलाफ भी होता है?

श्री अध्यक्ष—इस पर और प्रश्न के लिये मैं मौका नहीं देता हूं। आप शार्ट नोटिस क्वेश्चन करें। क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे पहले अल्मोड़ा के एक हिन्दू-पत्र के खिलाफ भी इसी तरह की साम्प्रदायिकता का प्रश्न यहां श्री गोविन्द सिंह बिष्ट ने उठाया था जिस पर बहस की आज्ञा नहीं दी गयी। हिन्दू-मुसलमान का सवाल सदन में न उठे इसीलिये मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि कुछ विरोधी दलों के नेता लोगों को और कुछ दूसरे लोगों को वह बता दें कि अमुक साम्प्रदायिक ढंग के लेख हैं। यह तरीका अच्छा होगा, क्योंकि इस विषय में तो सभी दल एक मत हैं कि साम्प्रदायिकता नहीं बढ़नी चाहिये और उसको खत्म करना चाहिये। अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द दिखायी देते हैं तो आगे से वह अखबार अपनी नीति बदल ले, बाकी इस में कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उठना चाहिये कि अमुक एडीटर हैं या अमुक एडीटर हैं, इसका कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि अखबार में क्या लिखा था। अगर आप माननीय गृह मंत्री जी कोई वाजबी बात सुझायेंगे तो मैं समझता हूं कि वह अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता था कि यह जो मंत्री जी ने बताया कि १८-१-५९ को मुकदमा चलाने की इजाजत दी गई है, तो इस सम्बन्ध में मेरे मूल प्रश्न २ बार हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे उन प्रश्नों से पहले इजाजत दी गई है या बाद में दी गयी है ?

श्री अध्यक्ष--यह ब्योरे का सवाल है, इससे कोई असर नहीं पड़ता ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--अध्यक्ष महोदय, अभी एक भ्रम दूर नहीं हुआ है, वह भ्रम यह है कि एक तो बात है "सियासत" की और एक तरफ बात है "सियासत जदीद" की, उर्दू में जदीद के माने हैं कोई नई चीज। एक १९५३ में निकला और उसके पहले कुछ नहीं निकला, तो यह गलतफहमी किसके सम्बन्ध में है ? सियासत के सम्बन्ध में है या सियासत जदीद के सम्बन्ध में है, या दोनों के सम्बन्ध में है ? यह नहीं मालूम हुआ कि जदीद क्या था और सियासत क्या था ?

श्री अध्यक्ष--हमारे देश में ऐसे लोग बहुत हैं और बहुत बहरूपिये होते हैं, कभी उनका कोई रूप होता है और कभी कोई, लेकिन शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने वाले उन सब रूपों को भांप लेते हैं।

सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार के २ अन्य प्रश्न

श्री अध्यक्ष--अब सदन के अवमान और विशेषाधिकार के २ प्रश्न और हैं, उनका फैसला मैं सोमवार को दूंगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस का विषय है और माननीय मोती लाल जी अवस्थी ने जो प्रश्न उठाया है उस के विषय में पुलिस विभाग के वार्षिक कार्य विवरण में लिखा है कि इलाहाबाद और कानपुर में दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हो गईं जब कि एक बड़े पैमाने पर खुले आम गुन्डागर्दी हुई तथा पुलिस को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोली चलानी पड़ी। इसी पर हमें विवाद करना है और कानपुर में अभी जुडीशियल इंक्वायरी हो रही है । आप ने व्यवस्था दी है कि वह प्रश्न अभी नहीं उठे, लेकिन विवरण पुस्तिका में लिखा है कि शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये गोली चलानी पड़ी और वहां गुंडागर्दी हुई । वह गुंडागर्दी की बात कह सकते हैं कि पुलिस की गुन्डागर्दी थी, लेकिन यह वाक्य जो है कि शान्ति और व्यवस्था के लिये ....

श्री अध्यक्ष--मैं तो अपना फैसला जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसी पर दूंगा । आज बहस आप कर सकते हैं । यह जो आपके पास विवरण आया है उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया गया है । अगर वह यह कहते हैं कि उन्होंने यह चीज छाप कर बांटी तो यह पूर्वपक्ष हो जाता तो उसका कुछ उत्तर पक्ष भी होगा ही लेकिन इससे अधिक ब्योरे में आप नहीं जा सकते कि जिसका कोई असर, वहां जो शहादतें वगैरा हो रही हैं उन पर पड़े ।

श्री राजनारायण--मैं यह चाहता हूं कि गोली जो चलायी गई.....

श्री अध्यक्ष--आप जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उसके विषय में यदि आप आज व्यवस्था नहीं देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि जो विवरण पत्रिका में लिखा है उसको सही प्रकाशन मानकर उसी के आधार पर आज का सारा वाद विवाद होगा । यह प्रकाशन उचित नहीं है । इस पर व्यवस्था मैंने मांगी थी । आज ही इसकी व्यवस्था हो जाती तो अच्छा था ।

श्री अध्यक्ष--अगर आप व्यवस्था चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जिक्र ही न करें कि गोली चलाना वाजिब था या नहीं। आप यह कह सकते हैं कि गलत किया उन्होंने, नहीं करना चाहिये था।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इंक्वायरी कमेटी, जो बैठी है उस पर कंटेम्प्ट भी तो होता है, उस पर प्रभाव डालता है मंत्री जी का वक्तव्य।

श्री अध्यक्ष--आपका इतना कहना काफी है, आप कृपया बैठिये।

श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--एक कामरोको प्रस्ताव बंशीधर शुक्ल जी ने दिया है। शिक्षा का बजट आने वाला है उसमें वह जिक्र कर सकते हैं। इसलिये मैं इसको नहीं ले रहा हूं।

अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचन में निर्वाचक मान लेने के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--नियम ५२ के अनुसार कुछ प्रश्न उपस्थित किये गये हैं। एक भगवती सिंह विशारद का है। इसी सम्बन्ध में एक राजनारायण जी ने भी दिया था। चुनाव के सम्बन्ध में कोई बहस वह करना चाहते हैं, क्योंकि अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों को शायद यह आज्ञा दे दी गई है एलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एलेक्टोरल रोल में उनके नाम चाहे वह सरकारी हों या गैर सरकारी हों, दर्ज हों और वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही समझे जायंगे क्योंकि उनके वह वारिस (heir) होकर आये हैं इसलिये, उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की पोजीशन देना चाहिये और उसके सदस्यों को, चाहे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वोट देने का अधिकार होना चाहिये। ऐसी कोई आज्ञा दे दी गई थी उसके ऊपर वह बहस करना चाहते हैं।

चूंकि चुनाव के सम्बन्ध में, इस आदरणीय सदन में जो आज्ञा एलेक्शन कमीशन की तरफ से होती है उसमें बहस नहीं होती, तो बहस तो नहीं होगी, लेकिन नियम ५२ में जो श्री भगवती सिंह विशारद ने प्रश्न दिया है उस पर सदन को मंत्री जी सूचना दे सकते हैं कि क्या-क्या उसमें आज्ञा दी गई है और उन्होंने किस आधार पर वह आज्ञा दी। इसके बाद आदरणीय सदन के सदस्यों को यह अधिकार बाद में हो सकता है कि अगर एलेक्शन कमीशन की आज्ञा अवैध हो तो अदालत में जाकर उस आज्ञा को कटवाने का प्रयत्न करें। लेकिन यह कोई अदालत नहीं है जहां पर बहस कर के हम फैसला कर सकते हों।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--हमारा मकसद यह है कि अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम जो है उसकी दफा ४ में यह लिखा है कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं वे वहां के किसी मतदान में भाग नहीं लेंगे। तो इस सदन ने जो अधिनियम बनाया है उसका उल्लंघन हुआ है।

श्री अध्यक्ष--मैंने आर्डर देखा, उसमें लिखा है कि अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम की दफा ४ में यह लिखा होना कि वह वोट नहीं दे सकते का असर जो चुनाव में वोट देने का अधिकार है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। यह उनकी आज्ञा है :--

"I am directed to say that the Election Commission has been advised that the members of the Antarim Zila Parishads constituted under section 4 of the Antarim Zila Parishad Act, 1958, are entitled for enrolment in the electoral rolls of the Local Authorities Constituencies of the U.P. Legislative Council. The Election Commission has therefore directed that immediate

[श्री अध्यक्ष]

steps may be taken forthwith to bring on to the electoral rolls of the Local Authorities Constituencies in the State the names of all members of the Antrim Zila Parishad. I am to add that the official members of a Parishad are also entitled for enrolment in the Local Authorities' Constituencies and to voting at elections at the Local Authorities Constituencies."

इलेक्शन कमिश्नर ने इसके ऊपर यह दिया है :—

"The fact that, under sub-section (4) of section 4 of the U. P. Act, the official members of a Parishad have no right of vote at its meetings is no bar either to their being registered in these rolls or to their voting at elections by these constituencies."

तो इस आर्डर के आ जाने के बाद आप इस पर बहस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन सूचना अगर चाहते हैं तो मांग सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो स्थानीय प्राधिकारी होंगे वह विधान परिषद् के चुनाव में वोट देने के हकदार रहेंगे, तो मेरा कहना है कि अगर इलेक्शन कमीशन संविधान के अनुच्छेद के बिलकुल विरुद्ध आदेश करता है तो क्या यह सदन उस पर विवाद कर सकता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। चूंकि चुनाव का अधिकार विधान सभा और लोक सभा दोनों के अधिकार से निकाल लिया गया है इस देश में, इंगलैन्ड की पद्धति दूसरी थी लेकिन वहां भी शायद धीरे धीरे एक स्वतंत्र अधिकारी बनाने का विचार हो रहा है, तो जब हमारे यहां स्वतंत्र बाडी बना दी तो हम उस विषय में बहस नहीं कर सकते। अगर इसके लिये आप अधिकार ले लेते हैं तो हो सकता है कि अल्पमत के ऊपर इसका बुरा असर पड़ जाय। इसलिये यह चीज निश्चित हो गई है कि यहां पर उस विषय में कोई बहस नहीं होगी। अगर कोई बात अवैधानिक है तो उसके लिये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की आज्ञा को रद्द कराया जा सकता है और मैं समझता हूं यह टेस्ट केस हो सकता है। मैं जानता हूं राजनारायण जी की शंका महत्वहीन नहीं है लेकिन लाचारी इस बात की है कि हम लोगों को अधिकार नहीं है इसलिये मैं बहस की इजाजत नहीं दूंगा। मैं न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि वह सदन को सूचना इस संबंध में दे दें, क्योंकि मैंने तो थोड़े शब्द ही आज्ञा के पढ़े हैं।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—श्रीमान् जी, माननीय भगवती सिंह विशारद जी ने इस संबंध में प्रश्न उठाया है कि लोकल अथारिटीज कांस्टीट्एंसीज से विधान परिषद् के चुनाव के लिये निर्वाचक मंडल में अंतरिम जिला परिषद् के सरकारी सदस्य क्यों शामिल किये गये हैं। यह बात सही है कि वे शामिल किये गये हैं और इस संबंध में जैसा आपने अभी बता दिया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राय ली गई थी, उन्होंने कानूनी सलाह लेकर के यह राय दी है कि सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाना मुनासिब है। क्यों मुनासिब है ? पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट की धारा २७ की उप धारा (२) के अनुसार जितनी स्थानीय संस्थाएं हमारे प्रदेश में निर्वाचक मंडल में शामिल होने के लिये निर्धारित की गई हैं उनमें जिला बोर्ड भी एक स्थानीय संस्था थी। जिला बोर्ड खत्म हो गये और उनकी जगह पर अंतरिम जिला परिषदें स्थापित हुईं। तो अंतरिम जिला परिषद् ही जिला बोर्ड की उत्तराधिकारिणी है और उनकी पावर्स, फंक्शन्स और ड्यूटीज, उनके फंड और प्रापर्टीज अंतरिम जिला परिषद् में निहित हो गई हैं। अब चूंकि ऐसा हुआ है इसलिये जिला बोर्ड के स्थान पर अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य उक्त निर्वाचन मंडल में

शामिल किये जायंगे। अब अंतरिम जिला परिषद् के जितने सदस्य हैं, चाहे अन्तरिम जिला परिषद् के कामों में उनको वोट देने का अधिकार हो या न हो, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन ऐक्ट की धारा २७ की उप धारा (२) के अनुसार चूंकि वे निर्वाचक मंडल में शामिल हो जाते हैं, इस आधार पर उनको वोट देने का अधिकार हो जाता है। यह उनकी सलाह से किया गया है और निर्वाचक मंडल में उनका भी नाम शामिल किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि क्या वह कोई ऐसा संशोधन विधेयक लाने का विचार रखती है कि अन्तरिम जिला परिषद् के जो सरकारी सदस्य हैं वे विधान परिषद के चुनाव में वोट नहीं देंगे?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यह मसला पेचीदा है और कांस्टीट्यूशनल है, इस पर सरेदस्त जबाब देना मुमकिन नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—सभी दलों का यह मत है कि सरकारी अधिकारी जो जिला परिषद् में पदेन सदस्य हैं उनको अगर सरकार पार्टी पालिटिक्स में घसीटना उचित नहीं समझती है तो क्या सरकार उनको ऐडवाइस करेगी कि वे वोट न करें?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिसको राइट है कांस्टीट्यूशनली वोट करने का उसे हम कैसे एडवाइस करें?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इलेक्शन कमिश्नर ने जो सलाह भेजी है वह स्टेट गवर्नमेन्ट की किसी सिफारिश पर भेजी है या अपने मन से उन्होंने भेज दी?

श्री जयराम वर्मा—इसके बारे में सलाह ली गयी कि क्या करना चाहिये। कानूनी सलाह लेकर यह ऐडवाइस किया है कि उनका शामिल किया जाना कानून के अनुसार है।

श्री गेंदासिंह—उस पत्र को, जो इलेक्शन कमिश्नर को भेजा गया, मेहरबानी करके पढ़ देने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कांफिडेंशियल लेटर पढ़ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस संबंध में प्रदेशीय सरकार और यहां के जो इलेक्शन चलाने वाले अधिकारी हैं उनकी सम्मतियों में मतभेद था? यहां के जो चीफ इलेक्टोरल आफिसर हैं उनकी सम्मति थी कि नहीं? अगर इस तरह से सरकारी सदस्यों को टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज में भर भर कर चुनाव करा दिया जायगा तो लोकल अथारिटीज का महत्व नहीं रह जायगा, लेकिन जब मतभेद हुआ तो इसको इलेक्शन कमिश्नर को रेफर किया गया और इलेक्शन कमिश्नर ने उस मामले को ला मेम्बर के यहां रेफर किया और फिर ला मेम्बर की जो सम्मति आई उसमें भी फर्क हुआ। क्या सरकार इन सब की जानकारी करायेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह मसला हमारे सामने नहीं है। देखकर जरूर जानकारी करा दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—स्थानीय चुनावों के निकायों में जो वोटरों की संख्या होती है वह सीमित होती है और ये डायरेक्ट नहीं होते, उनके जरिये से होते हैं और सीमित संख्या में अधिकारियों की संख्या शामिल कर लेने से चुनाव का जो उद्देश्य है वह विफल हो सकता है और पार्टी अधिनायवाद कायम हो सकता है और इससे विरोधी दलों के प्रतिनिधित्व को हानि पहुंचती है। इतनी महत्वपूर्ण बातों

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रादेशिक सरकार ने या अन्तरिम जिला परिषद् ने वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। सरकार ने यह माना है कि उनकी सम्मति निष्पक्ष सम्मति नहीं हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर पुनः विचार करेगी, जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा, कि कोई विधेयक वह इस बात पर लायेगी कि उनको वोट देने का अधिकार न हो?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बड़ा लम्बा सवाल है। लेकिन तिवारी जी का जहां तक हवाला है कांस्टिट्यूशनल दिक्कत जो मैंने बतलाई वही जवाब पालीवाल जी के लिये है। जहां तक अन्तरिम जिला परिषद् के लिये कानून बनाने और सरकारी अफसरों को वोट देने के लिये अधिकार न देने का संबंध है, वह कानून यह विधान सभा बना सकती है। जहां तक कांस्टीट्यूशनल पोजीशन से लोगों को वोट देने के अधिकार का ताल्लुक है, वह कांस्टीट्यूशन से गवर्न होता है और वह इलेक्शन कमिश्नर को पूरा पूरा अधिकार है, लिहाजा उन्होंने ऐसी ऐडवाइस दी और उसी के मुताबिक हमको अमल करना है।

श्री गेंदासिंह---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न अब उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इस समय यह प्रश्न उठता है और आपकी रूलिंग चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को किस अवस्था में किसी कागज को यह कह देने का अधिकार है कि यह गोपनीय है। मैं समझता हूं कि यह कागज कतई गोपनीय नहीं है। इस कागज को सदन को देखने का हक है, आपके सामने इसे आना चाहिये। इसमें कोई बात गुप्त रखने की जरूरत नहीं है। इसका चुनाव से संबंध है जिसमें हजारों लोग भाग लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप कोई आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---आपकी रेक्वेस्ट है, मैं देख लूंगा उस कागज को पहले और मैं यह देखूंगा कि जो कारेस्पान्डेंस उनकी होती है वह गोपनीय समझी जाय या नहीं। रूल्स देखकर ही मैं फैसला दूंगा, एकदम, अचानक नहीं दे सकता हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सरकार ने सदन में जो नीति अपनायी हो उसके विरुद्ध क्या उसे हायर अथारिटीज को अपनी राय देने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता ही नहीं है।

श्री राजनारायण---यह प्रश्न उठता है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी अफसरों को वोट देने का हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं देख लूं उसको।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक २९---पुलिस

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा। नेता विरोधी दल कितना समय चाहते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---डेढ़ दिन का, सोमवार को २ बजे तक।

श्री अध्यक्ष---तो २ बजे तक यह चलेगा और माननीय गृह मंत्री जी इसको उपस्थित करेंगे।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८—पुलिस—लेखा शीर्षक २९—पुलिस के अन्तर्गत ९,८५,९५,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, आरम्भ में मैं इस विषय पर कुछ बहुत ज्यादा सदन का समय लेना नहीं चाहता क्योंकि अभी डेढ़ दिन इस पर बहस होगी। आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के जो सुझाव होंगे और जो बातें कही जायंगी उस विषय में उत्तर देने का फिर मुझे अवसर मिलेगा, तो उस समय तफसील से बात कहूंगा। आज इस समय मैं सम्मानित सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता केवल २-३ बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये श्रीमन् की आज्ञा चाहता हूं।

श्रीमन्, गत वर्ष पुलिस के बजट में ९,४१,८४,६०० रुपये की रकम रखी गयी थी और इस वर्ष ९,८५,९५,९०० रुपये की रकम रखी गयी है। तो इसमें ४४,११,३०० रोपये का इजाफा इस साल हुआ है। इस बढ़ोत्तरी का कारण यदि हम बजट पर दृष्टिपात करें तो पता लग जायगा।

(इस समय १२ बजे श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

बहुत थोड़े से आइटम्स हैं जिनकी वजह से यह इजाफा हुआ है। ऐसे पुलिस बजट तो बहुत कुछ बंधा बंधाया, रुटीन सा होता है क्योंकि कोई नयी रचना संबंधी, निर्माण संबंधी, इस प्रकार की चीज तो इसमें होती नहीं है। यह एक रोटीन बजट होता है और रोटीन ही इसमें इजाफा होता है। जो ये ४४ लाख रुपये इस वर्ष बढ़े हैं उनमें से अधिकांश के ऊपर, अगर माननीय सदस्य ध्यान दें तो अन्दाज लगेगा कि करीब ८ लाख ६९ हजार रुपया शेड्यूल्ड आइटम्स में है जो परिशिष्ट क, ख और ग में दिये हुए हैं। उसमें कई नयी पुलिस चौकियों की स्थापना के बारे में व्यवस्था है।

दूसरा, जो विशेष आइटम इसमें रखा गया है ९ लाख ५० हजार ४ सौ रुपये का डकैतों के विरुद्ध और खास कर चम्बल खादर के डकैतों के विरुद्ध, जिसमें मैनपुरी, इटावा आते हैं, वहां कुछ विशेष रूप से प्रबन्ध और कार्यवाही करने के लिये हैं ऐसे वहां की स्थिति में पूर्व की अपेक्षा सुधार हुआ है। वहां डकैतों के काफी बड़े बड़े गिरोह साफ हुए हैं हमारी और मध्य प्रदेश की पुलिस के प्रयास से, लेकिन फिर भी इस बात की कोशिश की जा रही है कि विशेष रूप से वहां प्रबन्ध किया जाय जिससे उनका समूल रूप से उन्मूलन हो। उसके लिये सवारियों की व्यवस्था, वायरलेस की व्यवस्था, कुछ थानों और चौकियों की व्यवस्था, करने के लिये डकैती आपरेशन के संबंध में करीब ९ लाख रुपया रखा गया है।

एक तीसरा आइटम है जिसमें १३ लाख रुपया खर्च होगा। जो हमारी पी० ए० सी० की बटालियनें हैं, उनमें एक बटालियन के इजाफे के लिये यह रुपया रखा जा रहा है। जैसा कि आदरणीय सदन के सदस्यों को मालूम है इस समय पी० ए० सी० के ऊपर काफी दबाव है। हमारे बार्डर के भी सवाल पेश हो चुके हैं जिनके संबंध में कई बार माननीय सदन में विवाद भी हुआ है। हमारे सदस्यों को ज्ञात है कि बार्डर की रक्षा का एक प्रारम्भिक उत्तरदायित्व इस प्रदेश पुलिस पर है और वह कठिन स्थान है। जिन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों को काम करना पड़ रहा है उसका कई बार उल्लेख हो चुका है। इसके साथ साथ भिन्न प्रकार के और काम हैं जिनमें डकैती आपरेशंस और कभी-कभी शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से, हमारे फोर्स पर विशेष उत्तरदायित्व आ जाने के कारण, उसमें कुछ इजाफे की जरूरत महसूस हुई। ऐसे जरूरत तो हमें ज्यादा की है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक बटेलियन की स्वीकृति आपसे मांगी गयी है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

करीब १३ लाख रुपया उस पर खर्च होगा। कई बार पिछले बजट के अवसरों पर यहां पर जिक्र हो चुका है हमारे यहां पुलिस की सार्थकता और उसकी कार्यक्षमता के लिये इस दृष्टि से कि आने जाने में उसको सुविधा मिलनी चाहिये, क्योंकि अगर पुलिस फोर्स, में मोबिलिटी न हो तो बड़े से बड़े फोर्स की भी सार्थकता कम हो जायगी। हमारे पास गाड़ियां हैं पुरानी। उन गाड़ियों की एक आयु होती है। वह समाप्त हो चुकी है। हमको डिस्पोजल्स से गाड़ियां मिली थीं। अगर सारी गाड़ियों को उपयोगी बनाना चाहें तो बहुत ज्यादा रुपया खर्च होगा तब वह रिप्लेस होंगी, लाखों करोड़ों रुपये तक पहुंच जायगा। इसलिये यह योजना बनाई गई है कि पांच सात वर्ष के अन्दर फेजिंग करके धीरे-धीरे जो खराब होती जाती हैं उनसे जहां तक काम हो सकता है वह लें और फिर उनको रिप्लेस कर दें। तो इसीलिये उसके लिये भी ७ लाख रुपये रखे गए हैं। ५,८९,००० रुपया बिलकुल रोटिन आइटम्स के लिये रखा गया है जो आम तौर से पुलिस विभाग के कर्मचारियों की तनख्वाहों में बढ़ोत्तरी होती है सालाना, उसके लिये और कंटिजेंट खर्च जो होते हैं उनके लिये और कुछ टेम्पोरेरी पोस्ट्स जो वक्त वेवक्त होती रहती हैं जैसे उदाहरणार्थ कुम्भ का मेला हुआ तो तमाम टेम्पोरेरी पोस्ट्स हो गई या और इसी तरह से आवश्यकतायें पड़ जाती हैं जो साधारण तौर से हर साल होती रहती हैं, उनके लिये और यात्रा के भत्तों में कुछ सुधार इधर किया गया है बजट में अब की बार उसकी वजह से जो बढ़ोत्तरी होगी उस सबके लिये यह ५,८९,००० रुपया इसमें रखा गया है। इस प्रकार माननीय सदस्य देखें तो यह ४४,११,००० रुपये की वृद्धि जो है वह साधारण तौर से प्रतिवर्ष जो वृद्धि होती रहती है तनख्वाहों में और भत्ते आदि में उसमें जो खर्च होता है उसी के हिसाब से यह वृद्धि है। यह डिपार्टमेंट ही ऐसा है कि इसका ८० फीसदी बजट का जो प्राविधान होता है वह तो अधिकारियों के वेतन और उनके एलावेंसेज इत्यादि पर खर्च हो जाता है, रेशियो आप देखें तो, और २० फीसदी कुल ऐसा होता है जो भी एक आमतौर से होने वाला खर्च होता है प्रतिवर्ष ही जिसमें कि हथियार हैं और हथियारों के गोली बारूद आदि के लिये जो कुछ पैसा खर्च होता है प्रतिवर्ष वह है, यूनीफार्म है, ट्रांसपोर्ट है, यातायात के साधन हैं, इन सब पर जो खर्च होता है वह २० प्रतिशत है। इस प्रकार जो पुलिस का बजट होता है उसका ८० फीसदी वेतन पर और २० फीसदी उसकी आनुषंगिक आवश्यकताओं पर खर्च होता है। ऐसे ही आप देखें कि यह आपके सामने मौजूद है।

अब दो एक बातों की ओर और आपका ध्यान दिलाकर के मैं इस समय समाप्त करूंगा और सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। एक तो मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह भी जो करीब ९,८५,००,००० का बजट है उसमें श्रीमान् देखेंगे कि बहुत रुपया इसमें हमको गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से भी पाना है। जो यहां कुछ हमारी पी० ए० सी० वगैरह रहती है उसमें कुछ गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की भी होती है जिसका वह खर्च देते हैं। उसके लिये करीब करीब ९२ लाख रुपया उनसे हमको मिलना है। हमें बजट में अपने दिखाना ही पड़ता है क्योंकि खर्च हम करते हैं। बाद में वह रुपया हमको मिलता है। उसको इसमें से निकाल दें तो करीब-करीब ८ करोड़ के यह बजट आ जाता है।

आज जो खर्च हो रहा है पुलिस के मुहकमें पर उसे दो दृष्टियों से हम देखें। एक तो जो हमारा स्टेट रेवेन्यू है उसके अनुपात से और दूसरे जो एक स्टेट का खर्चा है उसके अनुपात से। यानी जो स्टेट की आमदनी है उसके हिसाब से और जो स्टेट का खर्चा है उसके हिसाब से। इस तरह से कुछ मैंने उसका अध्ययन करने की चेष्टा की तो आज ऐसा लगता है कि १९६०–६१ के बजट में ७.५३ प्रतिशत स्टेट के रेवेन्यू का खर्च होता है पुलिस के ऊपर। पहले से आप देखें तो सन् १९३७–३८ में यह १३ परसेंट था, १९४६–४७ में

१४ परसेंट, १९५८–५९ में ८ परसेंट १९५९–६० में ७.८७ परसेंट और १९६०–६१ में ७.५३ परसेंट। यह तो हमारे सारे रेवेन्यू का परसन्टेज है। इसी तरह से स्टेट एक्सेपेन्डीचर की रोशनी में देख तो इस पर हमारा स्टेट एक्पेन्डीचर ७.४० परसेन्ट है। यह सन् १९३७–३८ में १३.२ परसेन्ट था। सन् १९४६–४७ में १३.३ परसेन्ट हुआ। उसके बाद १९५८–५९ में ७.९ परसेन्ट। सन् १९५९–६० में ७.७५ परसेन्ट और १९६०–६१ में ७.४० परसेन्ट है। यह इस तरह से है जो हमारे यहां प्रदेश की आमदनी या खर्च के सिलसिले में पुलिस के ऊपर खर्च होता है।

यदि माननीय सदस्य इस विषय में और कुछ कृपा करके अध्ययन करने का कष्ट करें तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो जायगा कि हमारे यहां जो पुलिस फोर्स है अर्थात् पुलिस मैन की हमारे यहां जो तादाद है वह प्रदेश की प्रति हजार की आबादी पर .८५ है, यानी एक हजार पर एक भी नहीं है। एक से कम है। यह हमारे यहां पुलिस फोर्स का अनुपात है जो एक हजार की आबादी पर पड़ता है। हमने इसकी दूसरे प्रदेशों से भी तुलना की तो यह देखा कि बम्बई में तो १.८९, जो करीब-करीब पौने दो, एक हजार पर पड़ता है। वेस्ट बंगाल में १.४३ है जो करीब डेढ़ से कुछ कम पड़ता है। मध्य प्रदेश में १.३६ है। पंजाब में १.९८ है और यू० पी में ०.८५ है। बिहार का ०.७८ पड़ता है जो कि हमारे यहां से कुछ कम है। मद्रास में .९७ पड़ता है वह हमारे यहां से कम नहीं है क्योंकि हमारे यहां का .८५ पड़ता है। बिहार को छोड़कर सारे प्रदेशों से आबादी के लिहाज से हमारा पुलिस फोर्स अनुपात से कम है। इसी प्रकार से आज यह मांग होती है, बहुधा मांग होती है चौकी बढ़ाने की हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रतिवर्ष बहुत मांग होती है और प्रतिवर्ष कुछ न कुछ १०, २० चौकियां २,४ थाने खोलने की कोशिश की जाती है फिर भी हम ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मांग बहुत है। आज इस प्रकार से देखने से प्रत्यक्ष ही पता लगता है कि हमारे यहां एक हजार की आबादी पर एक का भी औसत नहीं आता है। अपने प्रदेश की दूसरे प्रदेशों से तुलना की तो उसमें भी बहुत फर्क है। एक हजार पीछे पौन आदमी पड़ता है। जिस प्रकार की आज परिस्थिति है उसमें यह बहुत कम है। अपनी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, बावजूद इसके कि मांग बहुत होती रहती है कि इस तादाद में इजाफा किया जा सके। अब यह सावल कि क्या हो सकता है, कितना उसमें इजाफा हो सकता है या कुछ और तरक्की की जा सकती है ये सब मसले हमारे पुलिस कमीशन के सामने विचार करने के लिये मौजूद हैं।

अब मैं यह निवेदन करूं कि पर-कैपिटा खर्च जितनी आबादी पर है, उसमें प्रति व्यक्ति पुलिस का जो खर्च पड़ता है, वह कितना है। उसको भी आप देखें कि हमारे उत्तर प्रदेश में १.४६ पड़ता है। मैं देखता हूं कि बिहार में १.१८ जरूर है लेकिन हमारे देश के और जितने प्रदेश हैं उन सब का अधिक है—बंबई में २.६८, मद्रास में १.७८, वेस्ट बंगाल में २.२०, मध्य प्रदेश में २.३, पंजाब में २.६७। इस प्रकार पर-कैपिटा खर्च भी हमारे यहां एक प्रकार से सा प्रदेशों से, केवल बिहार को छोड़ कर जहां कि हमसे कुछ कम है, १.४६ हमारा है, उनका है १.१८, कम है।

पिछली बार चर्चा हो चुकी है कि पुलिस के मुहकमे में जो हमारे भाई काम करने वाले हैं उनको वेतन में और अन्य सुविधायें देने के संबंध में हमें कुछ करना चाहिये और हमारे माननीय सदस्यों ने कई बार उदारतापूर्वक उसे बढ़ाने की राय दी है। जिस आदमी से २४ घंटे हम काम लेते हों उसको जितना वेतन दिया जाता है और उस काम के साथ-साथ उस पर जितनी जिम्मेदारी रखी जाती है, जिन्दगी के रोज के काम में उसकी जो ड्यूटीज हैं उनमें वह जितना खतरा उठाता है, उस हिसाब से हमारे हेड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल का वेतन बहुत नाकाफी है और तकलीफदेह है। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि पिछले दो वर्षों में उसमें कुछ थोड़ा बहुत इजाफा किया गया एलाउन्स

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वगैरह के नाम से कि १०० रुपये से कम जिनका वेतन हो, उन्हें इतना और दिया जाय। इस हिसाब से कुछ इजाफा हुआ है उनके भत्ते इत्यादि में। कुछ उनके यात्रा के भत्ते में इजाफा हुआ है, मकान के किराये के संबंध में भी कुछ व्यवस्था पिछली बार की गयी। कुछ उनको अस्पतालों से अधिक सुविधायें प्राप्त हो सकें, इसके लिये भी व्यवस्था की गयी। वह सब चीजें बजट में मौजूद हैं इसलिये मैं उनके डिटेल में नहीं जाता। एक व्यवस्था यह भी की गयी कि कभी-कभी असाधारण रूप से वह कठिनाइयों में पड़ जाते हैं और छोटी तनख्वाह के लोग हैं तो उनके लिये बजट में ढाई लाख रुपये की एक मुफ्त व्यवस्था की गयी कि एस० पी० के पास एक फंड रहे और वह उनको आवश्यकता होने पर दे सकें। तो उनको सुविधायें देने की दृष्टि से हम कुछ काम करते रहे हैं, परन्तु बहुत बड़ी संख्या है, करीब ६०,००० के और थोड़ा बहुत इजाफा करने पर भी खर्चा लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। तो आज की परिस्थिति में हम उतना ही कर सकते हैं, जितने कि हमारे पास साधन हों।

सबइंस्पेक्टर्स के बारे में, उनकी वर्दी की व्यवस्था की गयी पिछले दो वर्षों में कि जिनकी पांच साल की सर्विस है उनकी वर्दी उन्हें मुफ्त हो जाय। यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने में नहीं थी, अब की गयी। तो इस प्रकार उनको कुछ सुविधायें देने की चेष्टा की गयी है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है इस दिशा में। हमने पुलिस कांस्टेबिल्स के लिये और उनके अलावा जो उनके तत्काल ऊपर के अधिकारी हैं उनके लिये पुलिस की हाउसिंग स्कीम को भी चलाया क्योंकि वे थानों में रहते हैं और परिवार से अलग रहते हैं और बरसों लग जाते हैं अपने घर जा नहीं पाते और कभी-कभी थानों में जगह नहीं रहती तो आसपास किराये इत्यादि के मकानों में रहते हैं। थोड़ा बहुत मकान के किराये के संबंध में उनको भत्ता भी दिया जाता है और बहुधा ऐसा भी होता है कि वे ऐसी जगहों में रहते हैं कि जो वांछनीय स्थान नहीं है और इन सबका असर होता है और जिन लोगों से २४ घंटे काम लेना होता है उनके रहने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये इस तरफ सरकार का ध्यान गया है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, स्कीम बहुत बड़ी हो जाती है और कुछ भी करने पर रुपया बहुत खर्च हो जाता है। धीरे-धीरे करके कुछ किया गया। भारत सरकार ने कृपा करके उसके लिये हमको कुछ कर्ज दिया करीब पिछले ४, ५ सालों में सन् ५६-५७ से लेकर ५९ तक करीब १ करोड़ १६ या १५ लाख रुपया हम को कर्ज के रूप में उनसे मिला है और उसमें हमने इस हाउसिंग की स्कीम को चलाया, लेकिन जितना हुआ है उससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। जिस प्रकार साधन हमें सहायता देते हैं और जितनी अनुमति हमें मिलती है उसी दृष्टि से हम उसको करते चले आ रहे हैं। कुछ इमारतें बनाई गयी हैं और हम बराबर इस बात की कोशिश करते हैं कि इस दिशा में कुछ प्रगति हो क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक है।

अब यह एक नान प्लान्ड मुहकमा है, नान प्लान्ड इस दृष्टि से नहीं कि इसकी कोई प्लान ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है किन्तु जिस तरीके से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की प्लान बनी, दूसरी बनी, तो जिस तरह से और प्लान के कार्य होते हैं, उस तरह से इस विभाग की प्लान नहीं है और जो प्लान हैं वे रचनात्मक और निर्माणात्मक किस्म के हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जो सीमित साधन हमारे प्रदेश के हैं, उसी के अनुसार हमें अपना कार्य करना है। रचनात्मक कामों के लिये हमें एक-एक पाई बचा कर उसमें लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। प्रशासकीय क्षेत्र में, चाहे वे कितने ही आवश्यक होते हैं, उनमें हमें उतना पैसा नहीं लगा पाते हैं जितना कि हमें दूसरे प्लान के कार्यों में लगाना होता है। हमारी प्लान्स के लिये जो भी सहायता हमें भारत सरकार से मिलती है वह तभी मिलती है जब कि हमारे पास भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं। यदि हमारे पास

वह रिसोर्सेज न हों तो हमें वह सहायता नहीं मिलती। इसके लिये हमको एक एक पाई बचानी होती है और उसको बचाकर ऐसे कामों में लगानी होती है जो बहुत जरूरी होते हैं। इन सब बाधाओं के होते हुए जो कुछ संभव हो पाता है, मकान इत्यादि बनाने में, तथा और बातों में, हम सुविधायें देने की कोशिश करते हैं। मेरे पास इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं कि थानों की इमारतों की हालत खराब है और वे गिरती जा रही हैं। इसके लिये जो कुछ संभव हो पाता है हम इसके लिये रकम देते हैं। किन्तु जब तक हम दूसरी दिशा में, प्रदेश के सामूहिक उत्थान की तरफ, उसकी रचना की तरफ, अपनी शक्ति लगाये हुए हैं, तब तक इस ओर हम ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। इस विभाग में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनकी कठिनाइयों का ज्ञान होते हुए भी, उनको दूर करने के लिये हमें धीरे धीरे चलना होता है क्योंकि हम दूसरी दिशा में लगे हुए हैं। जब पूरे प्रदेश में सामूहिक विकास होगा तो उससे सभी को लाभ होगा, सभी का विकास होगा। इसलिये कुछ कठिनाइयां सहते हुए भी हमको संतोष रखना चाहिये। जितना हो सकता है उतना हम इंतजाम उनके लिये करते चल रहे हैं और यदि इसमें वे संतोष रखेंगे तो एक बहुत बड़ी सेवा प्रदेश की उनके द्वारा होगी।

अब एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। गत वर्ष भी, और उसके पहले भी, कई बार इस बात की मांग की गयी थी कि इस साथ पुलिस के महकमे के स्वरूप में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिये। इस बात की सभी इधर के और उधर के सदस्यों ने मांग की थी। यह बात सही थी और इस ओर सरकार ने ध्यान भी दिया। इस बात की आवश्यकता थी क्योंकि हमारी परिस्थिति, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, बहुत कुछ बदल गयी है। देश की राजनीति में परिवर्तन होने के साथ-साथ समाज में जरूर परिवर्तन हुआ है। पुराना जो रवैया हमारी पुलिस का रहा है और जो जिम्मेदारी उनकी रही है। उस में भी बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। अब उनके ब्योरे के संबंध में भी, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व के संबंध में भी समाज की आवश्यकताएं जिस प्रकार की हैं उनके प्रकाश में, उनकी उपयोगिता के संबंध में भी, किस प्रकार वह अधिक से अधिक उस प्रकार के जीवन की रचना में सहायक हो सकें जिसे बनाने का संकल्प इस देश और प्रदेश ने किया है, ये काफी मौलिक प्रश्न उसमें रहे हैं। यह पुलिस का मुहकमा ऐसा है कि इसके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सी जांचें होती हैं। हम सब इस बात को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि हमारी जैसी परिवर्तित परिस्थिति है उसके अनुकूल आने में उन्हें समय लगेगा और अभी हमारे लिये संतोषजनक परिवर्तन इनमें नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन फिर भी यह तो प्रत्यक्ष ही है कि ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको मौलिक रूप से विचार करना पड़ता है और करना पड़ेगा, क्योंकि यह मुहकमा ऐसा है कि एकदम से कहीं हटा देना तो संभव है नहीं और आज की जो परिस्थिति है संक्रान्ति के काल की और शान्ति और व्यवस्था के संबंध में आप अपनी राय देंगे ही और यह कहा जायगा कि बहुत सुधार नहीं है, संतोषजनक नहीं है, उनमें सुधार की आवश्यकता है, वह सही है। तो इस मुहकमे को छोड़ा तो नहीं जा सकता है। इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जायंगी और आवश्यकता भी रहेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शिकायत भी होती है और मांग भी रहती है कि चौकी और थाने बनाये जायं। कोई यह नहीं कहता कि थाने को हटा दो और किसी से पूछिये कि थाना और चौकी हटा दी जाय तो वह मुनासिब नहीं मालूम होता, यह कभी कोई स्वीकार नहीं करता। इस मुहकमे के सारे परिवर्तन किस प्रकार हों, जिससे उनकी क्षमता भी बनी रहे, उनकी उपयोगिता हमारे लिए अधिक से अधिक हो जाय और आपकी परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक और मैं कहूं सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनमें परिवर्तन आ जाय, इसके लिये गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत स्पष्ट है।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

हमारे यहां कमीशन १९४७ में बैठा था। उसकी परिधि जरूर इतनी व्यापक नहीं थी फिर भी उसने बहुत सी बातों पर विचार किया, उसकी सिफारिशों को माना गया। लेकिन अब १३ वर्ष हो गये, बहुत जमाना बदल गया। अब फिर कमीशन की स्थापना हो गयी और उसने उस कार्य को आरंभ भी कर दिया है। मुझसे ऐसे ही निजी-तौर पर जो बातचीत हुई कमीशन के अध्यक्ष से तो निश्चित रूप से नहीं, साधारण रूप से जो उनकी आशा है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि ८-९ महीने के अन्दर हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। आपने देखा होगा कि कमीशन के टर्म्स आफ रेफरेंस बहुत व्यापक हैं। जितने प्रश्न हो सकते हैं, जो मौलिक हो सकते हैं, हमने कमीशन के विचार क्षेत्र में रख दिये हैं।

कई बातें कही जाती हैं, जैसे एक बात कई बार कही गयी है कि हमारी इंवेस्टिगेशन और प्रासिक्युशन की साइड अलग-अलग होनी चाहिये और यह भी शिकायत होती है कि एफ० आई० आर० जिसका बड़ा महत्व होता है, जिसके ऊपर सारे केस बनते हैं वही गड़बड़ा जाती है, लिखाने वाला कुछ कहता है और लिखने वाला कुछ लिखता है, लिखी भी नहीं जाती और यह भी कहा जाता है कि इन रिपोर्टों में जिन्होंने गुनाह किया हो वह छोड़ दिये जाते हैं और बेगुनाह फंसाये जाते हैं। तो इंवेस्टिगेशन और रिपोर्ट एक हो और प्रासीक्युशन अलग हो। यह प्रश्न कहां तक मुमकिन है आपकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, यह सोचना पड़ेगा। मौलिक दृष्टि से कोई संदेह नहीं कि अच्छा है, हमारा तशखीस का काम तेजी से हो सकता है। साधारण पुलिस को, थाने के दरोगा को इतना समय नहीं मिलता कि वह तफतीश कर सके, तो प्रासीक्यूशन और इंवेस्टिगेशन किस तरह से हो और रिपोर्ट की, थाने के प्रबन्ध में, एजेंसी अलग हो, इस तरह का प्रश्न है।

अपनी आवश्यकता को देखते हुये उनकी संख्या के सम्बन्ध में रोज मांग होती है कि बढ़ाओ-बढ़ाओ, डिपार्टमेन्ट भी मांग करता है लेकिन बढ़ाते जाना भी मुमकिन नहीं है। लेकिन जितनी आवश्यकता है उसका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हो जाय, कम से कम इस सम्मानित सदन के सामने आ जाय कि हमको इतनी आवश्यकता होती है और उस पर विचार हो जाय कि उनकी सुविधायें क्या हैं और किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं वह किस प्रकार से लाये जा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग के सम्बन्ध में, उनकी भर्ती के सम्बन्ध में, किस प्रकार हम वह परिवर्तन ले आ सकें और वह ऐप्रोच काम करने के ढंग में भी, स्वभाव में भी, दृष्टिकोण में भी और आज हमारी जो बदली हुई स्थिति है, हम एक स्वतंत्र देश के प्रदेश हैं, हमने लोकतंत्र को स्थापित कर लिया है इसलिये लोकतांत्रिक देश और प्रदेश में पुलिस को कैसा होना चाहिये और वह परिवर्तन किस प्रकार आ सकते हैं चाहे ट्रेनिंग के जरिये, चाहे रेक्रूटमेन्ट के जरिये, जिस तरह से भी हो, डिसिप्लिन किस तरह से आये जिससे हमारी पुलिस क्षम्य और प्रभावकारी बनी रहे, साथ ही साथ काम करने का ढंग और तौर तरीका हमारी परिस्थिति के अनुकूल हो जाय, यह सारे ऐसे प्रश्न हैं जो गम्भीर विवेचना की अपेक्षा करते हैं। यह सारी बातें कमीशन के सामने हैं और हम आशा करते हैं कि उनकी विवेचना भी और उनके सुझाव भी और उनकी सलाह भी जल्द से जल्द हमें प्राप्त होगी।

इस समय हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी अपने सीमान्त की भी है और यह प्रसन्नता की बात है कि इस देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व जिस सेना के ऊपर है उसके अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि इस प्रदेश की पुलिस क्षम्य है और सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनके ऊपर छोड़ा जा सकता है और उन्होंने छोड़ा भी है। एक लम्बा चौड़ा बार्डर एरिया है और वहां पर जो कुछ थोड़ा बहुत संकट उपस्थित हुआ है उससे सदन के सम्मानित सदस्य पूरी तरह से परिचित हैं। तो जहां हमारे पुलिस के मुहकमे के लिये बहुत टीका टिप्पणी होती है, बहुत सी बुराइयां हैं उनको दूर करना है, हमें गर्व भी है कि हमारी पुलिस इतनी क्षम्य समझी जाती है कि देश की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उन पर डाला गया। राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे ने कहा था कि मिलिटरी के द्वारा सीमा की सुरक्षा होनी चाहिये, उसका जवाब हमारे मुख्य मंत्री जी दे

चुके हैं । हम सेना के पथप्रदर्शन में ही, उनकी राय से ही और उनके निर्दिष्ट मार्गों के द्वारा ही उस उत्तरदायित्व को उठा रहे हैं । हमारे देश के और प्रदेशों में भी जहां इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी है मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। हमारे यहां की पुलिस बाहर भी गई है और जहां कहीं से भी वह लौट कर आई उसकी कहीं कोई शिकायत नहीं हुई बल्कि सभी प्रदेशों ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि बड़े अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ, निर्भयता और ईमानदारी के साथ उन्होंने वहां पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। जहां कमियां होती हैं वहां हम देखें और उनको दूर करने की चेष्टा करें लेकिन साथ ही साथ उनकी जिन बातों के कारण हम गर्व का अनुभव करते हैं उनको भी सामने रखें। आज हमारी पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसके ऊपर आज परिस्थितियों ने न केवल आंतरिक शान्ति-व्यवस्था का ही भार छोड़ रखा है बल्कि बाह्य भार, जिसको कहा जाता है वह भी उन पर छोड़ रखा है, अपने प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी । तो इस दृष्टि से हमारे लिये यह एक संतोष का विषय होता है । हम टीका-टिप्पणी अवश्य करें परन्तु यह भी देखें कि जिनसे हम को काम लेना है उनके दिल को तोड़ देने की दृष्टि से उनकी टीका-टिप्पणी न हो । उससे प्रदेश की हानि की संभावना भी होती है ।

अपने प्रदेश में मैंने निवेदन किया कि ऐन्टी डकैती आपरेशन के संबंध में भी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में शांति और व्यवस्था की जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि जिस पर हम संतोष करें और एक दृढ़ता के साथ यह कहें कि वह सारी व्यवस्था इस समय सही है और दुरुस्त है क्योंकि आखिर इसी प्रदेश के हम निवासी हैं, हमारा यह उत्तरदायित्व है कि जो कमी है उसको स्वीकार करें, तभी उस कमी का परिहार भी हो सकता है । मैं जानता हूं कि हमारे यहां जरायम में वृद्धि हुई है । आज जो रिपोर्ट आपके सामने है उससे हमें मालूम होगा कि मृत्युओं तथा डकैतियों के जरायम सन् ५८ की अपेक्षा बढ़े हैं, यद्यपि सन् ५७ की अपेक्षा सारे जरायम ज्यादा नहीं है । यों तो हमें खबरें मिलती रहती हैं, हमारे माननीय सदस्य भी आते रहते हैं और हमें बताते हैं कि देहात में इस समय कैसी अरक्षा की स्थिति और मनोवृत्ति दिखायी देती है तथा भय और आतंक है । इसके अनेक कारण हैं । इसके विवेचन में मैं नहीं जाता । जिन लोगों के ऊपर उसका भार है, उनकी कमी तो हो ही सकती है लेकिन उसमें दूसरे फैक्टर भी हैं । युग का परिवर्तन, संक्रांतिकाल, लोगों में कानून की मर्यादा, लोकतंत्र की स्थापना के कारण लोगों में निरंकुशता की भावना हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव है इनको भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूं । इन सब का सामना करने के लिये आपके सुझाव, पथ-प्रदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होगी क्योंकि एक व्यक्ति या एक सरकार के लिये सब कुछ संभव हो नहीं सकता । इसमें तो सबके सहयोग की, सब के सुझाव की और दूरदर्शी दृष्टिकोण से विचारपूर्वक किसी प्रयास की सफलता में यह सब संभव है ।

पिछले सालों में भी और इस वर्ष भी डकैतों के बड़े-बड़े गिरोहों का सफाया हुआ है । आगरा, बलिया, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बुन्देलखंड और बुलन्दशहर में जहानसिंह का गैंग आदि का सफाया किया जा चुका है । बड़े-बड़े दलों का सफाया हुआ है लेकिन छोटे-छोटे दल पैदा भी हो रहे हैं और जो बड़े-बड़े दल खुराफात करते थे उससे अधिक छोटे-छोटे दल खुराफात करते हैं । उनका प्रश्न हमारे सामने है । उनका भी हम मुकाबला कर रहे हैं और इस बात की चेष्टा की जा रही है कि इस परिस्थिति का शीघ्र से शीघ्र उन्मूलन हो । कभी-कभी कानपुर जैसी घटनायें भी हुईं । रात को आदमियों की हत्यायें हुईं । आदरणीय सदन में उस पर काफी विचार हुआ । मैंने कहा था २—३ दिन में इसका पता लग जायगा और संयोग से ऐसा हुआ भी । अब उस पर मामला अदालत में चलता होगा । अब डकैतों के विरुद्ध भी और शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास बराबर हो रहा है । और स्थिति संतोषजनक जैसी आप और हम चाहते हैं वैसी नहीं है। इस बात को स्वीकार करते हुये भी नम्रतापूर्वक यह निवेदन अवश्य करूंगा कि परिस्थिति हमारी कोई बिगड़ी नहीं है प्रत्युत उसमें सुधार होता जा रहा है, यद्यपि नये-नये प्रश्न हमारे सामने खड़े होते चले जा रहे हैं जिनका भी हमको मुकाबला करना

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

पड़ता है । यह बजट जैसा कि मैंने शुरू में ही निवेदन किया, रूटीन सा बजट है । इस समय जो रुपया हम खर्च कर रहे हैं उससे अधिक कदाचित्, ऐसा सदन के माननीय सदस्यों की बातचीत से ही मालूम होता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है शान्ति और व्यवस्था की दृष्टि से अधिक खर्च हो सकता है और होना चाहिये । परन्तु हो सकता है कि आज जो खर्च हो रहा है वह बहुत बड़ा खर्च न हो और प्रत्येक व्यक्ति पर जो खर्च पड़ता है वह भी मैंने आपसे निवेदन किया और अभी तक के खर्चे की दृष्टि से कोई कह दे कि यह पुलिस राज्य कायम रखना है, तो यह बात इसके ज्यादा अनुकूल नहीं है । फिर भी आपके जो सुझाव होंगे, जिससे आपके इस मुहकमे का अधिक सुधार हो सके और बहुत बड़ी बात तो यह कि अधिक से अधिक प्रभावकर और कार्यक्षम तो हो ही, इसका मनोबल तो बना रहे ही, साथ ही साथ जो देश में राजनीतिक और सामाजिक नये परिवर्तन होते हैं उनके अनुकूल इसमें भी परिवर्तन आवे, इसके सम्बन्ध में जो आपके सुझाव होंग उनको आदरपूर्वक और कृतज्ञतापूर्वक ग्रहण करूंगा और यथासम्भव इस बात का प्रयत्न किया जायेगा कि हम उन सुझावों को कार्यान्वित कर सकें और अधिक से अधिक सन्तोषजनक इस मुहकमे को बना सकें ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं माननीय मंत्री जी से एक चीज जानना चाहता हूं कि यह तो विभाग द्वारा अनुशासन की कार्यवाहियां हुई हैं, इसमें सन् ५७ से ५८ में कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता है उस लिटरेचर में जो कि विभाग द्वारा हम लोगों को मिला है । तो माननीय मंत्री जी के पास इस तरह के कोई आंकड़े हों, तो वे बतला देने की कृपा करें ।

श्री अधिष्ठाता---यह तो वे अपने जवाब में बतला देंगे । अब आप समझ लें कि अपने भाषण के लिये तो उन्होंने ४५ मिनट पहले ही ले लिए हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, अगर वे पहले बतला देते तो सदस्यों को बोलने में सुविधा होती । वैसे जो आपकी आज्ञा होगी उसे तो हम स्वीकार करेंगे ही ।

श्री अधिष्ठाता---अगर माननीय मंत्री जी के पास ऐसी कोई फीगर्स हों तो वे बतला द ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, जो रिपोर्ट बंटी है, उसमें ये फीगर्स होंगे ।

श्री अधिष्ठाता---शायद नहीं हैं ।

कुंवर श्रीपाल सिंह---श्रीमन्, इस पुस्तिका के पेज ८, ९ पर जहां अनुशासनिक कार्यवाहियों का जिक्र है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि सन् ५७ से ५८ में अधिकारियों के खिलाफ अधिक कार्यवाही हुई या कम हुई ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---श्रीमन्, इसमें दिया हुआ तो है कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई । अगर आपका मतलब कम्परेटिव चार्ट से हो जिसमें ५६-५७-५८ के फीगर्स दिये हुये हों, तो उनको मैं पता लगा कर आपके पास भिजवा दूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---अधिष्ठाता महोदय, आपके आदेश से मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक २९--पुलिस--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का ब्योरा जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।

पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं जनविरोधी कार्यों की आलोचना, बढ़ते हुये अपराधों को छिपाने की प्रवृत्ति एवं अवैधानिक जांच के ढंगों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता । जनता और पुलिस के बीच की खाई को दूर करने का सुझाव ।

मान्यवर, यह सर्वमान्य बात है कि किसी जनवादी शासन की पुलिस का जहां पर बड़ा महत्वपूर्ण कर्त्तव्य होता है कि समाज के अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम रखे, अपराध होने से रोके और अपराधियों को दंड दे, वहां उसका उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य यह भी होता है कि समाज के अन्दर आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ निर्बल अंग है उसकी रक्षा करे। समाज में जो भी मेहनतकश जनता है, जब वह अपने अधिकारों के लिये मांग करे और उसकी पूर्ति के लिये शान्तिमय ढंग से आन्दोलन करे, उसके लिये संघर्ष करे तो उस संघर्ष को भी वह शान्तिपूर्ण ढंग से चलने दे जिससे वे अपना जनवादी हक हासिल कर सकें। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि प्रदेश की पुलिस के पिछले एक वर्ष के इतिहास को अगर हम देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पिछले एक वर्ष में पुलिस ने प्रदेश में जो कार्यवाहियां की हैं उनसे मेरा विश्वास है कि उसने दमननीति को ही अपनाया है। आज भी हमारे राज्य की पुलिस अपने बर्बरतापूर्ण कार्यों के लिये दूसरे प्रदेशों की पुलिस को मात करती है।

पिछले एक साल में हमारे सूबे की पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक मौकों पर जनता पर गोली चलायी है और उस से सूबे की जनता का हर एक भाग प्रभावित हुआ है। गोरखपुर में गरीब गन्ना किसानों पर पुलिस द्वारा गोलीकांड हुआ, इलाहाबाद में शांन्तिपूर्ण ढंग से कार्य करने वाले छात्रों पर गोली-वर्षा पुलिस द्वारा की गई, लहरपुर में एक सम्प्रदाय विशेष के ऊपर गोली वर्षा हुई। कानपुर की निरीह, शान्त जनता पर जिस बर्बरता और निर्दयता-पूर्वक गोली वर्षा की गई वह। सबको मालूम है और वह हमेशा के लिये इतिहास के पन्नों पर एक कलंक का स्वरूप है। मथुरा में गोलीकांड हुआ और जो गरीब मजदूर आज प्रदेश के और देश के आर्थिक निर्माण कार्य में रिहन्द बांध पर लगे हुये हैं उन के ऊपर जिस निर्दयता और बर्बरता के साथ गोली वर्षा की गई उस को भुलाया नहीं जा सकता। माननीय मंत्री जी ने दूसरे सूबों से सप्रदेश की तुलना की है और बताया है कि हमारे यहां पुलिस की संख्या दूसरे सूबों के मुकाबले में कम है और हम पुलिस पर कम व्यय करते हैं। अच्छा होता वह यह भी बताते कि शहरों और सूबों के मुकाबले में गोली वर्षा कितनी बार अधिक हुई है और कितनी बार यहां धारा १४४ का प्रयोग हुआ है और नागरिकों पर जो अत्याचार यहां हुये हैं उस में और सूबों के मुकाबले में वृद्धि हुई है या नहीं? दूसरे सूबों के मुकाबले में अपराधों में यहां वृद्धि हुई है या नहीं यह भी तमाम आंकड़े मंत्री जी की तरफ से पेश होने चाहिये थे।

दूसरी जो सबसे बड़ी और सबसे दुखद घटना इस प्रदेश में हुई वह यह थी कि इस वर्ष हमारे २ मुख्य विश्वविद्यालयों के पवित्र प्रांगण में सशस्त्र पुलिस को भेजा गया और वह भी ऐसे मौके पर जब कि कोई अशांति वहां पर नहीं थी और जब कि प्रदेश की जनता जानती थी कि उस मौके पर विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० का भेजना बिलकुल आवश्यक नहीं था लेकिन वाइस-चांसलर के पत्र को आधार बनाकर सरकार ने अपनी इच्छा की पूर्ति की। विश्वविद्यालयों के छात्रों के मनोबल को तोड़ने का दुःसाहस शासन की तरफ से किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि जहां शासन का यह कर्त्तव्य है कि वह जनता के और पुलिस के मनोबल को ऊंचा उठाये वहां क्या शासन का यह भी कर्त्तव्य नहीं है कि वह देश के नागरिकों का, वहां के नौजवानों का मनोबल भी ऊंचा उठाये? लेकिन उसको उठाने के लिये पुलिस के और पी० ए० सी० के बूटों की ठोकरें विद्यार्थियों पर लगवाई जाती हैं और डंडों की वर्षा उन पर कराई जाती है। क्या इसी से यहां की जनता का मनोबल बढ़ेगा? इस प्रकार से तो देश की जनता के किसी भी अंग का मनोबल नहीं बढ़ेगा। इस बात को सरकार को नोट कर लेना चाहिये।

इसके बाद पिछले दिनों में प्रदेश के कई स्थानों पर गत सालों के मुकाबले धारा १४४ में का बहुत अधिक प्रयोग यहां किया गया। वह कौन-सी स्थिति विशेष थी कि जिस के कारण इस धारा का प्रयोग इतना अधिक किया गया?

दूसरी खास बात यह है कि इस प्रदेश में जनता और पुलिस के बीच की खाई दिनोदिन चौड़ी होती जा रही है। सरकार इसे पाटने का प्रयास करती है अपने चार द्वारा, नम्रता दिवस

[श्री चन्द्रजीत यादव]

और सप्ताह मनाकर । उस खाई को पाटने का यह ढंग नहीं है । उसका एक मात्र ढंग यह है कि पुलिस कर्मचारी अपनी नम्रता, कर्त्तव्य परायणता और ईमानदारी से जनता का दिल जीतें । परन्तु वह होता ही नहीं अगर वह होने लगे तो वह एक जीता-जागता उदाहरण होगा उस खाई को पाटने का होगा । पिछले साल के पहले साल में पुलिस के अधिकारियों ने ४ की हत्यायें की थीं और यह जो साल बीत रहा है इस में १६ नागरिकों की हत्यायें पुलिस अधिकारियों द्वारा हुईं। यदि पुलिस के द्वारा अत्याचार बढ़ेगा, नागरिकों की हत्यायें होंगी तो पुलिस और जनता का सम्बन्ध अच्छा नहीं हो सकता ।

श्री अधिष्ठाता--यादव जी, मैं चाहता था कि जिस विषय पर आप बोलें उस पर सुझाव भी दे दें तो और ज्यादा अच्छा हो ।

श्री चन्द्रजीत यादव--अन्त में सुझाव दूंगा । पहले परिस्थिति देख लें । श्रीमन्, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता था कि यह परिस्थिति इसलिये ऐसी है कि हमारी पुलिस की प्रशंसा की गई है । लेकिन आज एक-एक जिले के अन्दर जो तांडव नृत्य पुलिस कर रही है और सरकार जिसको आंख मूंद कर देख रही है, वह उसके लिये जिम्मेदार है । आजमगढ़ के पुलिस कप्तान के खिलाफ वहां की तमाम पार्टियां थीं, जिसमें कांग्रेस भी थी। नागरिक सुरक्षा कमेटी बनी । पत्रकारों पर हमले हुये । लोगों को परेशान किया गया । सरकार की जानकारी में इस बात को लाया गया लेकिन सरकार चुप रही । उसके बाद उसकी पदोन्नति की गई । दूसरे, जिस थानेदार ने मस्जिदों के अन्दर नमाज पढ़ते हुये लोगों के सिर तक तोड़े, सत्याग्रहियों का यज्ञोपवीत तोड़ा, उसकी पदोन्नति की गई । इससे मनोबल नहीं बढ़ सकता । इससे पुलिस का दुस्साहस बढ़ता है । ऐसी परिस्थिति आजगमढ़ की ही नहीं है । अलीगढ़ की परिस्थिति, बदायूं की परिस्थिति तथा सीतापुर की भी यही परिस्थिति है, सदन यह सब जानता है ।

बदायूं में गौतुरा स्थान पर ५ कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ताओं को पिटवाया गया । १३ अक्तूबर, १९५८ की रात को १० बजे शहर कोतवाल के नेतृत्व में जिला पार्टी आफिस पर हमला किया गया। ९ दिसम्बर को छोटेसिंह को बिना किसी कारण पीटा गया । रामचन्द्र भारद्वाज की हत्या की गई और हत्यारा सीना ताने घूम रहा है ।

सीतापुर के बारे में झारखंडे राय जी आई० जी० से बात की तब दरोगा का ट्रांसफर किया गया । लेकिन पुलिस कप्तान ने धमकी दी कि आई० जी० से कहकर दरोगा का ट्रांसफर कराते हो तो देखेंगे कि कितने लोगों का ट्रांसफर करा सकते हो । उसके बाद पुलिस कप्तान का जुल्म पराकाष्ठा पर पहुंचा है लेकिन सरकार चुप है । सीतापुर के अन्दर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कर्मचारी अपनी सीढ़ी लिये जा रहा था कनेक्शन ठीक करने के लिये । उप-कप्तान महोदय आ रहे थे । सीढ़ी उनकी कार से टकरा गई । मौके पर उपस्थित पुलिस ने उसको चौकी पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा। दूसरा कर्मचारी जब शिकायत करने गया तो वह भी पीटा गया । तीसरा विद्यार्थी जब कारण जानने गया तो वह भी पीटा गया । कैसे मनोबल बढ़ेगा? सीतापुर की जनता ने एक राय से पूरे नगर के अन्दर हड़ताल की । जिले-जिले के अन्दर आज छोटे-छोटे हिटलर बन गये हैं और सरकार कान बन्द किये हुये देखती रहती है । गांव के अन्दर जो बड़े-बड़े जमींदार थे या शहर के अन्दर जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, पुलिस आज उनके हाथ का खिलौना है । खेतों पर कब्जे की बात हो, गरीब हरिजन भले ही अदालत से जीत जाय लेकिन जो आदमी कब्जा किये हुये है वह नहीं छोड़ता और पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है । मजदूर आन्दोलन चलाता है तो पूंजीपति के इशारे पर अत्याचार होता है, गोली बरसाई जाती है, लाठी चार्ज होता है ।

इतना ही नहीं, मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया कि पिछले दिनों के अन्दर हमारे देश में अपराधी की वृद्धि हुई है । मैं फिगर्स बतलाता हूं जिनसे चित्र स्पष्ट मालूम हो जायगा। सन् १९५४ में २५ हजार ४४ जघन्य अपराध हुये और ३८ हजार ८८२ साधारण अपराध।

सन् १९५५ में २१ हजार ९८० जघन्य और ३५ हजार ९८० साधारण। सन् १९५७ में २४ हजार २२२ जघन्य और ४० हजार ६३५ साधारण। सन् १९५८ में २३ हजार ५७३ जघन्य और ४२ हजार ५८१ साधारण। अपराधों की स्थिति में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरा होती जा रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी पुलिस की तत्परता और उसकी व्यवस्था का गुणगान करते हैं। प्रदेश की जनता जो अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखती है उसको सरकार स्वीकार नहीं करती। मैं इस बात का आरोप लगाता हूं कि सरकार की यह नीति हो गई है कि क्राइम्स को छुपाया जाय और इस प्रकार के डायरेक्शन्स हैं कि डकैतियां अगर होती हों तो उनकी रिपोर्ट चोरी में भी न लिखी जाय। आजमगढ़ के अन्दर ४ डकैतियां हुई लेकिन चारों में से एक भी दर्ज तक नहीं की गई। हमने जिलाधीश से बात की, कप्तान की बात करना तो बेकार है उनका वहां एकछत्र राज्य है और सब अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने इस बात की शिकायत चीफ सेक्रेटरी से की, एक प्रतिनिधि मंडल गया तो उन्होंने कहा कि अगर कप्तान को हटा देंगे तो आजमगढ़ के अन्दर कम्युनिस्ट पार्टी विक्टरी पैरेड मनायेगी। सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी चिन्ता है लेकिन आजमगढ़ की साधारण जनता और पूरा समाज त्रस्त है, उसकी तरफ से सरकार आंखे बंद कर लेती है। यह आपका न्याय है? उनकी ठीक ठीक रिपोर्ट नहीं हो पाती है। आज जिले के अन्दर यह हालत है, अकेले आजमगढ़ में ही नहीं वरन् समस्त प्रदेश में यही हाल है।

सरकार का जो गुप्तचर विभाग है मैं मानता हूं कि आवश्यक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गुप्तचर विभाग आज अपनी सारी शक्ति इस बात में क्यों नहीं लगाता है कि प्रदेश में जो बड़े बड़े डाकुओं के गिरोह घूम रहे हैं, मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि छोटे छोटे डाकुओं के गिरोह भी पैदा होते जा रहे हैं, तो क्यों गिरोह पैदा होते जा रहे हैं, कौन उनको शरण देता है, हथियार देता है, इसका पता गुप्तचर विभाग क्यों नहीं लगाता? लेकिन गुप्तचर विभाग की सारी शक्ति आज दूसरी तरफ लगी हुई है। एक सेन्ट्रल सी० आई० डी० का आदमी, प्रदेश की सी० आई० डी० का आदमी और एक स्थानीय सी० आई० डी० का आदमी हमारी मीटिंगों में रिपोर्टिंग करने जाता है। मेरी समझ में नहीं आता वहां कौन-सी ऐसी बातें होती हैं? आज राजनीतिक पार्टियों को मीटिंग करने का पूरा अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है तो फिर सरकार द्वारा इधर क्यों पुलिस के जन और धन का अपव्यय किया जाता है? उनकी शक्ति और बुद्धि का दूसरी तरफ प्रयोग होना चाहिये ताकि समाज की दशा सुधरे, शान्ति व्यवस्था कायम हो। अतः मीटिंगों में सी० आई० डी० का भेजना बन्द किया जाय।

श्रीमन्, आज सेक्रेटेरियट के किसी विभाग में चले जाइये पूरा सेक्रेटेरियेट एक जेल बना हुआ है, कन्सेन्ट्रेशन कैम्प बना हुआ है, यहां देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कहां जाता है, कब जाता है और कब आता है। कर्मचारी आज इस व्यवस्था से घबड़ाये हुये हैं। इस प्रकार से नागरिक स्वतंत्रता का हनन अगर होगा तो यह स्थिति सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब तक अपराधों के इनवेस्टीगेशन (जांच) का यह तरीका रहेगा जो आज है जिसमें दरोगा एफ० आई० आर० लिखाते समय कहता है कि नाम बताइये और अगर नाम नहीं देते हैं तो जांच नहीं होती, तब तक देश की स्थिति सुधरेगी नहीं। नाम देने पर होता क्या है कि आधे मुलजिम रिपोर्ट लिखाने वाले के होते हैं और आधे मुलजिम दरोगा जी अपनी तरफ से लिखते हैं। आजमगढ़ में कप्तान के बंगले के सामने सिविल सर्जन के यहां चोरी होती है, गन चोरी जाती है, रिवाल्वर चोरी जाता है, और १२,००० रुपये का सामान चोरी जाता है लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। चौक में ४ सेठों के यहां चोरी होती है, लाखों रुपये की सम्पत्ति चोरी जाती है लेकिन एक पैसे का पता नहीं चलता, एक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। यह स्थिति है। कैसे प्रदेश की जनता पुलिस के ऊपर विश्वास रखेगी?

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दूसरी बात जो मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है, जैसा मंत्री जी ने कहा कि आर्थिक दिक्कत के कारण वह दोनों विभागों को अलग करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, वह यह कि अविलम्ब इन दोनों विभागों को अलग किया जाय, इसके लिये चाहे कहीं से पैसे की बचत करें । अगर प्रदेश की हालत को सुधारना है तो पुलिस का इन्वेस्टीगेशन विभाग और प्रशासकीय विभाग अलग करना नितांत आवश्यक है । डकैतियों में साइन्टिफिक मेथड्स इस्तेमाल किये जाने चाहिए । आजमगढ़ चौक में तिजोरियां कटती हैं लेकिन पता नहीं लगता है जैसे किसी ने बैठे हुये तिजोरी खोल दी हो । तो जब तक साइन्टिफिक मेथड्स इन्वेस्टीगेशन में नहीं अपनाये जायेंगे तब तक अपराधियों का पता नहीं लग सकता । तब तक इन चोरियों व डकैतियों का पता नहीं चल सकता । जो रिपोर्ट दी गई है उससे साफ जाहिर है कि इतने कत्ल हुये, चोरियां व डकैतियां हुईं । ये क्राइम्स ऐसे हैं जो गम्भीर हैं जिनसे जनता के जीवन को खतरा पैदा होता है ।

दूसरे, पुलिस कमीशन की नियुक्ति हमारे प्रदेश में की गई । इसके लिये बहुत खुशी है लेकिन १३ साल की जो देर की गई वह बहुत अवांछनीय है । जब गुलामी से एक नई व्यवस्था में प्रवेश कर चुके थे तो जरूरी था कि उस ढांचे में परिवर्तन किया जाता । क्या यह सत्य नहीं है कि आजादी के बाद जनता ने, पुलिस विभाग ने समझा था कि परिस्थितियां बदलीं और पुलिस का कर्त्तव्य जनता की रक्षा करना हो गया ? पुलिस डरती थी और रिश्वत कम हो गई थी । लेकिन १३ साल में पुलिस ने देखा कि शासन का वही रवैया है, विरासत में सारे कायदे कानून वही हैं तो पुलिस को पूरी छूट हो गई और वह स्थानीय पालिटिक्स में घुस गई । पुलिस अधिकारी स्थानीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं पर हमले कराये जाते हैं । इलेक्शन के अन्दर तोड़-फोड़ की जाती है । १०७, १०९ और ११० का व्यापक प्रयोग राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के लिये किया जाता है । क्या इन धाराओं की यही मंशा थी ? अगर यही थी तो हमारी प्रदेशीय सरकार को इस बात की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करनी चाहिये कि धारा १०९ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से निकाली जाय । क्या यह सत्य नहीं है कि १०९ के अन्दर किसी भी सड़क चलते को पकड़ कर, चाहे कितना ही वह निर्दोष हो--प्रोफेशनल विटनेसेज पुलिस के पास होते हैं--और एक दियासलाई एक रबरी तथा एक लाठी जो पहिले से ही थाने में मौजूद होती है, लेकर गरीब का चालान कर दिया जाता है ।

गोली कांड जिस तेजी से बढ़ रहा है यह एक भयंकर चिन्ता का विषय है । सरकार को नियम बनाने चाहिये कि प्रदेश के अन्दर किसी भी परिस्थिति में गोली कांड होता है तो उसकी वह अविलम्ब जुडीशियल इंक्वायरी करायेगी । एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है । गोली चल जाय तो कहा जायगा कि ला ऐंड आर्डर के लिये खतरा था इसलिये गोली चलाई गई । यह स्थिति ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जा सकती ।

तीसरी बात यह है कि सुरक्षा की भावना जनता के अन्दर पैदा हो । सुरक्षा समितियां गांव गांव में बनें, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाय । उनको आज की बदली हुई सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति में एक अच्छे ढंग का कोर्स हो कि जनता और पुलिस का क्या सम्बन्ध होना चाहिये और आज जरूरत इस बात की है कि प्रदेश के अन्दर जो आर्म्स लाइसेन्स दिये जाते हैं वे हर नागरिक को दिये जायं और यदि इसमें कोई हिचक है तो कम से कम जो सुरक्षा समितियां बनें, उनके सदस्यों को बन्दूकें दी जायं ताकि वे गांव की रक्षा कर सकें ।

चौकीदार को ५ रुपये दे कर उसे सरकार अपना कर्मचारी मानती है । उसे कम से कम ४० रुपये वेतन मिलना चाहिये । चौकीदार का यह कर्त्तव्य होता है कि जो भी घटना होती है, उसको वह थाने पर जा कर रिपोर्ट करे । लेकिन वहां जो चोरी डकैती के रूप में और डकैती चोरी के रूप में परिणत हो जाती है इसके लिये चौकीदार को गांव सभा के मातहत कर दिया जाय ताकि गांव सभा की व्यवस्था के अन्दर वह काम कर सके और घटना की रिपोर्ट पहले वह प्रधान के पास करके थाने पर करे । फिर विकेन्द्रीकरण की तरफ हम जा भी रहे हैं । लिहाजा नीचे से इस बात को शुरू करना चाहिये ।

एक दूसरी बात, श्रीमन्, मैं यह चाहता हूं कि स्थानीय स्वायत्त शासन के मातहत पुलिस होनी चाहिये । दूसरे देशों में, इंग्लैंड वगैरह में इस तरह की बात है और इंग्लैंड की पुलिस दुनिया के किसी देश की पुलिस से कम कर्त्तव्यपरायण और ईमानदार नहीं है । इसलिये प्रदेश के पांच कारपोरेशंस में पुलिस व्यवस्था कार्पोरेशंस के अधीन करनी चाहिये और यहीं से यह प्रयोग प्रारम्भ होना चाहिये ।

इसके अलावा डेवलपमेंट के काम में जिस तरह से मिलिटरी आज प्रदेश के निर्माण-कार्यों में लगी हुई है और उसका जो नतीजा निकला है उसकी सारे देश ने सराहना भी की है, उसी प्रकार जिलों के हैड्क्वार्टर्स पर जो रिजर्व पुलिस होती है, पी० ए० सी० होती है, उसकी शक्ति को भी डेवलपमेंट के कामों में इस्तेमाल करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त छोटे कर्मचारियों को जो सुविधायें दी गई हैं, मैं समझता हूं कि जो कर्त्तव्य उनके होने चाहिये और जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर है उसको देखते हुये वे सुविधायें नाकाफी हैं । इसलिये कम से कम सिपाही से लेकर चौकीदार तक को जो सुविधायें दी गई हैं और जो उनका वेतन है, उसको जरूर बढ़ाना चाहिये । ऊपर के कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत नहीं है । आज सब-इंस्पेक्टर घूसखोरी के जरिये इतना रुपया कमा कर खर्च करता है जितना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी नहीं खर्च कर पाता और सरकार उसको रोकने के लिये कोई कदम भी नहीं उठा पाती है । आज मामूली रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती जब तक पुलिस के अधिकारी घूस नहीं ले लेते । पुलिस के मनोबल को बढ़ाने का जहां तक प्रश्न है उसमें पूरा सहयोग होगा लेकिन पुलिस के रवैये में एक नितान्त आवश्यक परिवर्तन होना चाहिये । उसका सम्बन्ध हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों के साथ है ।

श्री शिववचन राव (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, पुलिस के काम से जैसा संतोष होना चाहिये वैसा संतोष तो नहीं है लेकिन बहुत हद तक पहले की बनिस्बत आजकल काम ढंग से चल रहा है । मुकदमों के सम्बन्ध में, डकैती, चोरी, राहजनी आदि के बढ़ाने में विरोधी पार्टियों के लोगों का बहुत जगहों पर खुले आम हाथ होता है । मैं ऐसे कुछ केसेज को जानता हूं । मेरे जिले में एक गांव में डकैती पड़ी, दो कत्ल हुये, गोलियां चली लोग घायल किये गये और जब मुकदमे की तफतीश होने लगी तो उसी वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कुछ विरोधी पार्टियों के लोगों ने गवाहों को जा कर धमकाया और धमकाया ही नहीं बल्कि रास्ते चलते उनको मारा, पीटा और लूटा । एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर साहब के लड़के को मुकदमे में सजा हुई, तो घर में घुस कर गवाहों को भाला आदि लेकर धमकाया और कहा कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हारे घर में डकैती पड़ेगी और तुमको बुरी तरह से मारा जायगा । यही नहीं जाति बिरादरी की बात भी उठायी गयी । एक चौधरी साहब उनके घर गये और पंचायत की । नतीजा यह हुआ कि सब गवाह टूट गये । जब गवाह टूट गये तो मुकदमा कैसे चलता ? यही नहीं, वहां के थानेदार को भी प्रलोभन दिया गया। उनसे कहा गया कि अब गवाह तो सब टूट ही गये हैं, मुकदमा क्या चलेगा, तुम भी अपना हाथ साफ कर लो । उस दरोगा को रुपया घूस दिया गया । नतीजा यह हुआ कि सब लोग छूट गये और उस इलाके में चोरी, डकैती और बढ़ती गई और लोग डकैतों और बदमाशों से डरने लगे । इस तरह के तो इनके कारनामे हैं ।

हां, पुलिस के काम से, मैंने पहले ही कहा, जिस तरह का सन्तोष होना चाहिये वैसा नहीं है लेकिन पुलिस का अत्याचार दूर करने के लिये हम सब का सहयोग होना चाहिये । जब चोर, डकैत, बदमाश पकड़े जायं तो हमको गवाहों को मजबूत करना चाहिये और कोर्ट में उनके बयान दिलाने चाहिये ताकि कोर्ट से उनको सजा हो जाय । जब गवाही ठीक से नहीं मिलेगी, बयान ठीक नहीं होगा, तो मुकदमा नहीं चल सकता है । इसलिये मुकदमे छूट जाते हैं। मैं जुर्म के पक्ष में नहीं हूं बल्कि मैं इस पक्ष में हूं कि लोग जाति-बिरादरी के आधार पर काम न करें, कि अगर हमारी जाति बिरादरी का है तो उसको छुड़ाने की कोशिश करें। जुर्म करने वाले को

[श्री शिवबचन राव]

सजा करानी चाहिये और बदमाश के खिलाफ मजबूती से गवाही दिलानी चाहिये । तभी चोरी-डकैती बन्द हो सकती है । मेरा एक सुझाव है कि एक जत्था ऐसा बनाया जाय जिसमें पुलिस के बाहर के लोग हों । वह सारे सूबे में घूम कर कुछ केसों को देखें और अपनी रिपोर्ट दें । उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाय । जय हिन्द ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता---१० मिनट मिलता है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---अधिष्ठाता महोदय, अध्यक्ष की कल की बात के अनुसार १५ मिनट समय था ।

श्री अधिष्ठाता---दस मिनट के अलावा पांच मिनट और दिये जा सकते हैं ।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)---समय न बढ़ाया जाय । इस पर अधिक से अधिक मेम्बरों को बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---एक पार्टी के नेता हैं, इस खयाल से मैंने कहा ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---माननीय अधिष्ठाता महोदय, पुलिस का जो बजट पेश हुआ है, स पर जो कटौती का प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में हूं । आज यह साधारण वाद-विवाद में बहुत बार आ चुका है कि पुलिस ने घूस खायी, अधिकारियों ने यह किया, वह किया । यह एक सर्वसाधारण की बात है । जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा, पुलिस की रूपरेखा और आचारपद्धति के सम्बन्ध में पुलिस कमीशन को बिठाया है । इसलिये उस पर तो मैं बात नहीं करूंगा । मैं सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक है और इस ओर सरकार का जिस मात्रा में ध्यान होना चाहिये, उतना नहीं गया, इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा ।

सुरक्षा की पुलिस की बड़ी भारी जिम्मेदारी है । सुरक्षा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और वाह्य । आज यह निर्विवाद विषय है कि हमारी वाह्य सुरक्षा का प्रश्न अधिक जटिल होता जा रहा है । अभी कल के समाचार पत्रों में था कि हमारे प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि लद्दाख में जो नमक की खाने हैं उन पर भी चीनियों ने कब्जा कर लिया है । इससे यह साफ है कि चीन की कब्जा करने की नीति यह है कि धीरे-धीरे जो स्थान खाली पाते जाओ उन पर कब्जा करते जाओ । इसको ध्यान में रखते हुये हमारे जो सरहदी जिले हैं, जिन पर सीजनल पुलिस रहती है, जब बरफ नहीं पड़ती, गरमी का मौसम रहता है, तो पुलिस वहां चक्कर मार कर जाड़ों में लौट आती है, लेकिन वहां आवश्यकता है कि स्थायी रूप से सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता---मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने आखिरी बेंचेज से आवाजें आ रही हैं, जिससे मुझे स्पीच नहीं सुनाई देती । माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अधिष्ठाता महोदय, शोर करना तो बैक बेंचर्स का अधिकार है, आप उनको इस अधिकार का उपयोग करने दें । मैं बड़ा आभारी हूं कि श्रीमन् ने शान्त रहने के लिये अपील की ।

अगर आज यह पूछा जाय कि सरहदी स्थानों पर किस स्थान पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है तो इसका उत्तर सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि न तो इन के पास आवश्यक कम्युनिकेशन के साधन हैं, न इनकी परमानन्ट चेक पोस्ट है वहां । यह मैं मानता हूं कि ठंढक वहां ज्यादा होती है, यह भी मानता हूं कि आवागमन के साधन कठिन हैं लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस बात की आवश्यकता है कि वहां उस ठंढक के अन्दर भी परमानेन्ट चेकपोस्ट हों । जरूरत होने पर वहां वायरलेस कम्युनिकेशन या एरियल कम्युनिकेशन का भी प्रबन्ध होना चाहिये । एयरोड्रोम अगर वहां नहीं हो सकते तो हैलीकाप्टर का इन्तजाम किया जा

सकता है । अगर यह आप नहीं करते हैं तो आपको सूचना नहीं मिलेगी कि चीन ने कहां पर कब कब्जा कर लिया । पार्लियामेंट में प्रधान मंत्री जी ने यही कहा है कि कांटैक्ट और परमानेन्ट चेक पोस्ट के अभाव में चीनी सेनायें बढ़ती चली जा रही हैं । यह तो ऐसे ही है कि उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना । चीनी धीरे-धीरे इसी तरह कब्जा किये जायेंगे और आपको सूचना नहीं मिलेगी ।

श्रीमन्, दूसरी चीज यह है कि आज यह स्पष्ट है कि सभी देशों के स्पाइज आज हर देश में मौजूद रहते हैं । उनको पकड़ने में हमारी पुलिस ने कहां तक प्रयास किया है ? हमारी पुलिस का जो सी० आई० डी० का मुहकमा है वह क्या करता है ? यह तो निर्विवाद सर्वमान्य है कि ट्रांसमीटर्स हमारे देश में मौजूद हैं । मुबारकपुर का रायट और उसकी घोषणा पाकिस्तान रेडियो से, यह इस बात का प्रमाण है कि ट्रांसमीटर्स हमारे देश में मौजूद हैं । लेकिन कितने ट्रांसमीटर्स पकड़े गये पाकिस्तान के या चीन के या बाहर के ? आज चाहे जासूसी के नाम पर, चाहे इंडोचाइना फ्रेंडशिप के नाम पर, चाहे यात्रा के नाम पर, या चाहे परमिट लेकर कितने लोग दूसरे देशों के आज इस स्टेट में आये हैं, क्या इसकी कोई सूचना सरकार के पास है ? क्या सरकार बता सकती है कि पाकिस्तान से परमिट लेकर आये हुये कितने लोग यहां ओवर स्टे कर रहे हैं ? वह नहीं बता सकते क्योंकि इसकी सूचना उनको होगी नहीं, और अगर हो तो बताने की आवश्यकता नहीं । लेकिन उसकी ओर संकेत होना चाहिये । तो यह मूलभूत जो जिम्मेदारियां हैं सिक्योरिटी की, इनकी ओर आपका ध्यान नहीं गया है ।

श्रीमन्, मैंने एक बार सरकार पर आरोप लगाया था, आज फिर दोहराता हूं, माननीय गृहमंत्री यहां बैठे हुये हैं कि जिन अधिकारियों के ऊपर प्रशासन की जिम्मेदारी है, वे ही अगर देश के साथ गद्दारी करने लगें तो प्रशासन नहीं चल सकता । उनके राज्य में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, मंत्री महोदय शायद जानते हों, जिन्होंने यहां की गोपनीय विषयों की सारी जानकारी बम्बई में जाकर एक पत्र के दफ्तर में बैठकर, चाइनीज कांसुलेट को करायी । क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को आप पकड़ते हैं ? क्या आपकी गोपनीय बातें आज विदेशी राजदूतावासों के जरिये बाहर नहीं जा रही हैं ? लेकिन आप इसके लिये क्या करते हैं ? यह मैं मानता हूं कि एक बार आप यह कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में ज्यादा कठोर पग नहीं लिये जा सकते हैं, लेकिन श्रीमन्, प्रजातन्त्र के रक्षार्थ आवश्यक है कि कठोर से कठोर पग इस दिशा में उठाये जायं ।

इतना ही नहीं, देश के अन्दर जो इस तरह के नारे लग रहे हैं दोस्ती के या और दूसरे इस तरह के नारों के द्वारा जो देश को हानि पहुचाने का प्रयास चल रहा है, उसको रोकने का क्या प्रयास किया गया है ? मैंने अखबारों में पढ़ा श्रीमन्, कि अगर इस देश के अन्दर चीन के खिलाफ कोई बात हुई तो हम गृह युद्ध कर देंगे । यह क्या है ? खुलकर गृह युद्ध के नारे लगाये जायं, केरल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने अपनी एक प्रेस कान्फ्रेन्स में गृह युद्ध की धमकी दी थी, आप यह सब देखते रहें, और कुछ कर न सकें, यह सब क्या है ? इस तरह से श्रीमन्, यह जो इंटर्नल और एक्सटर्नल डेंजर है, सिक्योरिटी का । उस ओर सरकार का ध्यान जिस मात्रा में जाना चाहिये उस मात्रा में नहीं जा रहा है ।

मैं एक बात और कहता हूं । दुनिया के सभी देशों में ट्रांसमीटर्स पकड़ने के लिये ऐंटी एस्पियोनेज यंत्र हुआ करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक कितने यंत्र मंगाये और कितने Transmitters पकड़े ? मैं समझता हूं एक भी नहीं पकड़ा गया । तो जिस मात्रा में आपका ध्यान इस ओर जाना चाहिये था उस मात्रा में नहीं गया है । मैं श्रीमन्, आज यह पुस्तिका जो पुलिस विभाग की ओर से मिली है इसमें देख रहा था, स्पेशल ब्रांच के बारे में इसमें दो एक लाइन का वर्णन आया है । उससे मालूम होता है कि प्रेसीडेंट आइजनहोवर का स्वागत करना ही शायद उसका मुख्य कार्य रह गया है । स्पेशल ब्रांच का मुख्य कार्य और उद्देश्य तो देश और प्रदेश की सुरक्षा की समस्या होना चाहिये । यह मैं मानता हूं कि स्वागत करना भी हो सकता है, जो बाहर से मेहमान आयें उनका रक्षा की दृष्टि से स्वागत हो, परन्तु वह मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता ।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

उसका एकमेव कार्य, मुख्य उद्देश्य रक्षा है किन्तु उसकी ओर दुर्लक्ष्य है । अभी कल गृह उप मंत्री-माननीय यादव जी ने उत्तर देते हुये एक बात कही थी । जब उनसे प्रश्न किया गया कि रेलवे पुलिस जी० आर० पी० की क्या ड्यूटी होती है तो मुझे आश्चर्य हुआ उनके उत्तर को सुनकर, उन्होंने कहा कि जी० आर० पी० की जिम्मेदारी केवल रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करनी होती है ।

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—मैंने आर० पी० एफ० के बारे में उत्तर दिया था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो जैसा मैंने निवेदन किया चाहे आप जी० आर० पी० को लें या और, उसके लिये उप मन्त्री महोदय इन्कार नहीं कर सकते । जिस प्रकार से रेलवे में गड़बड़ी हो रही है, चोरी या डकैती हो रही है क्या उनके अन्दर उनके कार्य की दुर्लक्ष्यता नहीं है ? आज इस सूबे में स्पष्ट रूप से डकैती बढ़ रही है और जिस तरीके से लूटपाट हो रही है उस ओर आपका ध्यान नहीं है । इटावा जिले में क्राइम्स की बढ़ती हुई संख्या के विषय में जब मैंने पूछा कि इतने क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पुलिस के यह नियम हैं कि यदि किसी जिले में क्राइम्स बढ़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों पर होगी, जब उनसे यह प्रश्न किया गया तो उन्होंने यह कहा कि यह नार्मल राइज है । बढ़ते हुये अपराध इस सरकार की दृष्टि में नार्मलराइज है । तो जब ऐबनार्मल राइज होगी तो पता नहीं सूबे में क्या होगा । तब सिवाय इसके क्या होगा कि ऐनार्की हो । यह दृष्टिकोण गलत है । क्राइम्स का रोकना जरूरी है । मैं यह मानता हूं कि जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि क्राइम्स बढ़ने के बहुत से कारण हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको उस मात्रा में न रोकना भी गलत दृष्टिकोण होगा ।

इतना ही नहीं, सारे जुर्मों को आप ले लें । अभी स्वीकार हुआ है कि राहजनी बढ़ी । राहजनी क्यों बढ़ी ? यदि राहजनी बढ़ती है और क्राइम्स के रूप सामने आते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जहां और फैक्टर इसमें सहयोग दे रहे हैं वहां पर पुलिस की दुर्लक्ष्यता भी इसमें साथ दे रही है । दुर्लक्ष्यता का आरोप इसलिये लगाता हूं कि पुलिस के थानों में यह दिखाई पड़ता है कि जो आदमी डकैती की रिपोर्ट लिखाने जाता है, उसको चोरी में लिखा जाता है । जुर्म के महत्व को कम कर दिया जाता है । रिपोर्ट को उसी प्रकार न लिखना इस चीज का स्पष्ट प्रमाण है । मैं नाम नहीं लेना चाहता, परन्तु एक अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि यह हम क्यों करते हैं । उन्होंने यह जवाब दिया कि यदि यह नहीं किया जाय तो फिर कौन जवाब देता फिरे । यह गलत चीज है । इस प्रकार की भावना का पुलिस फोर्स में खड़ा होना, यहां की सेक्योरिटी के लिये खतरनाक चीज है । इस ओर राज्य सरकार का ध्यान जाने की नितांत आवश्यकता है । उसके लिये कठोर पग उठाना पड़े तो उसको उठाने की आवश्यकता है ।

आप देखें कि इस पुस्तिका में स्वीकार किया गया है कि साम्प्रदायिकता के कारण दंगे हुये । मैं यह देखता हूं कि देश में होली के अवसर पर एक ही पैटर्न के दंगे हुए । जिस समय यू० एन० ओ० में कश्मीर का मामला उठता है तो एक ही पैटर्न के दंगे यहां देश में किये जाते हैं । होली फिर आ रही है । बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता के कारण जिस प्रकार से यहां पर दंगे होते हैं, क्या वास्तव में यह देशद्रोहिता नहीं है ? उसको रोकने के लिये आपने क्या प्रयास किया ? अभी यहां पर एक प्रश्न किया गया कि क्यों बारावफात के अवसर पर जौनपुर में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे ? ये नारे उन सज्जन के द्वारा लगाये गये जिन्होंने इस देश के सिटीजनशिप की कसम खाई है । उनके आश्वासन देने के बावजूद भी उनके नेतृत्व में ये नारे लगाये गये । इस तरह से आपके यहां होता है.....

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—गंजे के नाखून नहीं होते ।

श्री शिववचन राव—वह नौबत ही नहीं आयेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—हमारे राज्य में तो इस तरह के नारे लगाने की हिम्मत ही न होगी। देश की सुरक्षा के लिये कुछ भी करना पड़े किया जायगा। तो इस प्रकार से श्रीमान, प्रोत्साहन दिया जाता है। जब प्रश्न किया गया और पूछा गया कि यह नारे लगाना क्या जुर्म नहीं है, तो इसके उत्तर में कहा गया कि जुर्म नहीं है। रहे इस देश में, खाये इस देश में और दूसरे देश के लिये जिन्दाबाद के नारे लगाये, यदि यह देशद्रोहिता नहीं है तो क्या है ? अगर विदेश की तरफ देखकर और उसके लिये जिन्दाबाद के नारे लगाना, देशद्रोहित जुर्म नहीं है तो फिर जुर्म क्या है ? इस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है। अगर इस प्रकार की भावनाओं को बढ़ाकर देश में नंगा नाच खड़ा करे, यह आश्चर्य नहीं है तो क्या है ?

होली का अवसर फिर आ गया है और काश्मीर का मसला यू० एन० ओ० में उठेगा और अभी से अगर आप सचेत नहीं होंगे तो फिर वही परिपाटी दोहरायी जायेगी। खाली कम्युनल शब्द से डर कर और उसके आक्षेप से घबरा कर अगर आप देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी से भागते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्रीमन्, देखा जाय कि आखिर समाचार-पत्रों का जीवन में एक स्थान है और उनको समाचार मिलते हैं, उनके अपने संवाददाताओं से और कारस्पांडेंट्स से। जो बोनाफाइडी न्यूज कलेक्टर्स हैं उनके साथ कई स्थानों पर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिये आप आजमगढ़ की घटना को लीजिये, आगरा की घटना को लीजिये या अन्य अन्य स्थानों की घटनाओं को लीजिये। बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस क्राइम्स को मिनिमाइज करना चाहती है और प्रेस करस्पांडेंट घटना का विवरण स्पष्ट अखबार में लिख देता है। उदाहरण के लिये मैं दूर नहीं जाता, जौनपुर की एक घटना है। वहां एक स्त्री का म र हुआ, हंसिये से मर्डर किया गया। डाक्टर जो अटेंड कर रहा था उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखायी कि मर्डर है, लेकिन दरोगा ने बिना उसे पोस्ट मार्टम कराये जलवा दिया यह कहकर कि सुसाइड है। जब प्रेस में उस समाचार का पूरा विवरण आ गया तो डन्डा लेकर उस बेचारे करस्पांडेंट के पीछे पड़ गये। बाद में उस केस को रिइंविस्टीगेट किया गया और फिर मर्डर के लिये ट्रायल हुआ। तो यह दुर्व्यवहार होता है और उसका एक नतीजा होता है कि स्पष्ट बात सामने नहीं आती। यदि विभाग के दबाव में समाचार-पत्र आयेंगे तो वह उचित नहीं होगा। मैं उदाहरण के लिये कहता हूं कि सेक्रेटेरियेट में सेक्योरिटी के नाम पर यह आदेश हुआ है—(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—५ मिनट तो मैं आपको दे चुका।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—तो दो ही मिनट दे दिये जायं। तो यह आदेश हुआ है कि न्यूज गैदरिंग के लिये अधिकारियों से न मिला जाय। व्यापारी अपने काम से या कांट्रैक्ट आदि लेने के सिलसिले में अधिकारियों से मिल सकते हैं, लेकिन यदि कोई समाचार लेने आता है तो अधिकारी उससे मिलते नहीं। यह फ्रीडम आफ दि प्रेस का गला घोंटना होगा। वास्तव में सही समाचार यदि अधिकारी नहीं देंगे तो खबर बिलकुल स्पेकुलेशन होगी और उससे एक भीषण रूप भी खड़ा हो सकता है। और जैसा कहा गया, उससे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। इतना ही नहीं, इन प्रेस करेस्पांडेंट्स को सी० आई० डी० द्वारा फालो भी किया जाता है। क्या आवश्यकता है ? मैं समझता हूं कि अगर किसी की राष्ट्रीयता में, देशभक्ति के बारे में संदेह हो तो अवश्य होना चाहिये। लेकिन अगर कोई प्रेस करेस्पांडेंट्स है इसलिये ही उसको फालो किया जाय, यह भी गलत है। तो सेक्योरिटी का यह जो रिएक्शनरी स्वरूप खड़ा किया जा रहा है, यह गलत है। आप बैलेंस रखिये। न तो अत्यधिक लैप्स हों कि आपकी फाइल्स और कांफिडेंशल फाइल्स रद्दी में बाजारों में बिकें, न इतने रिएक्शनरी हो जायं कि आदमी-आदमी से बात न कर सकें। इसलिये आप बैलेंस रखिये। मेरा यह दृष्टिकोण है और आप पुनः विचार करें सेक्रेटियेट की सेक्योरिटी के बारे में।

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

अंत में श्रीमन्, मैं एक बात अवश्य कहूंगा। यह बिलकुल ठीक है कि जरायम रोकने के लिये जनसहयोग की आवश्यकता है, चाहिये, लेकिन यह भी गलत है कि जन सहयोग के नाम पर ऐसे लोगों को अस्त्र-शस्त्र दिये जायं कि वे उनसे समाज का ही हनन करने लगें। उन अस्त्र शस्त्रों का दुरुपयोग करने लगें। यह गलत है कि सबको ही लाइसेंस दिया जाय। मैं मानता हूं कि शस्त्र रखने का अधिकार है, लेकिन उसकी पात्रता भी चाहिये। नहीं तो अगर शस्त्र रखने का अधिकार सब को दे दिया जायगा तो किसी दिन देश में सिविल वार हो सकती है, किसी की हत्या हो सकती है, क्या हो सकता है, नहीं कहा जा सकता। अगर यही सिद्धान्त सही होता तो तथा कथित प्रगतिशील देशों में भी अपनाया जाता। रूस, चीन, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी आदि देशों में तो शस्त्रों की कौन कहे एक बड़ा साधारण सा ब्रेड नाइफ रखने का अधिकार लोगों को नहीं है। वह भी गलत स्थिति है। मैं यह नहीं कहता कि लोगों को शस्त्रास्त्र न दिये जायं, दिये जायं, लेकिन लिबरल ईश्यू आफ लाइसेंसिंग न हो, बल्कि उसमें एक बैलेन्स होना चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--इसमें हर्ज क्या है?

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--इसमें हर्ज यह है कि अगर पुलिस से ज्यादा शस्त्रास्त्र चले गये तो गांव की कैसे सुरक्षा होगी? इसलिये इस दृष्टि से इस पर विचार करने की जरूरत है और इसके लिये कोई माध्यम अवश्य होना चाहिये जिससे कि जन-जीवन खतरे में न पड़े, उसकी सुरक्षा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)--अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान माननीय गृह मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज इस पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के एक ऐसे जिम्मेदार और सुयोग्य व्यक्ति के हाथ में है जिनके ऊपर हमें गर्व है। अभी-अभी हमारे माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे, जनसंघ के नेता, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता ने बहुत सारे सुझाव सरकार के सामने प्रस्तुत किये। उनकी बातें सुनने के बाद मैं यह महसूस करता हूं कि उन्होंने पुलिस की महत्ता को महसूस किया है और उन्हें महसूस करना भी चाहिये, इस लिये कि हमारा देश बहुत अर्से तक गुलाम रहा है और इसका आर्थिक ढांचा प्रायः चूर चूर हो गया है।

हमारे प्रदेश में आज के विकास के इस युग में जो भी काम हो रहा है, चाहे वह सिंचाई के संबंध में हो, चाहे शिक्षा के संबंध में हो, चाहे उद्योग-धंधों के संबंध में हो, सब काम-काज शान्ति-पूर्वक सुव्यवस्थित ढंग से हो रहे हैं जिसका जनता लाभ उठा रही है और इस सब की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। मेरा खयाल है कि अगर पुलिस अपनी जिम्मेदारी महसूस करके ईमानदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन न करे तो इस प्रदेश की तरक्की के लिये जो भी तरीके अपनाये जा रहे हैं वे सभी निर्मूल सिद्ध होंगे। यों तो पुलिस का ऐसा मुहकमा है कि इसके संबंध में बिना सांस लिये हुये घंटे दो घंटे शिकायत की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी नेताओं द्वारा उसका कोरा विरोध नहीं किया गया है बल्कि कुछ असुझाव भी दिये गये हैं कि अमुक गोलीकांड हुआ, अमुक चोरियां इसलिये ज्यादा हुईं, और भी इसी तरह की बातें कही गयीं, और साथ ही सुझाव भी दिये गये जिनकी तरफ कि ध्यान दिया जाना चाहिये।

जो हमारे शहर के नेता हैं, उनको मैं शहर की आलोचना छोड़ कर देहातों की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां कि एक थाना है, उसमें १२ पुलिसमैन हैं, और करीब ५०-६० हजार की आबादी है। इतनी आबादी की शान्ति व्यवस्था की जिम्मेदारी इन कुछ लोगों पर होती है। इस तरह से एक पुलिस के ऊपर ४ हजार के करीब लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आती है। तो अगर हम यह चाहते हैं कि गांव की सुरक्षा में जहां कि प्रति पुलिस कर्मचारी पर तीन चार हजार आदमी पड़ते हैं, वहां चोरी न हो, वहां कत्ल न हों, डकैती न हो, तो यह तब नहीं हो सकता है जब तक कि वहां की जनता खुद सजग न हो और पुलिस को सहयोग न दे।

अगर उस सर्किल के नागरिक अपनी ड्यूटी समझ कर पुलिस को सहयोग न दें तो यह बिलकुल नामुमकिन है कि वहां पर चोरी वगैरह कोई चीज न हो, चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी की सरकार हो चाहे विरोधी पार्टी की सरकार हो। कोई सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जहां कहीं भी हमारी पी० ए० सी० गयी, जहां से भी उसकी मांग की गयी, वहां उसने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और इसको आज सभी मानते हैं। इस क्षेत्र में यहां की पी० ए० सी० ने एक बहुत बड़ा काम किया है और दुनिया में हिन्दुस्तान का मस्तक उसने ऊंचा किया, और मुझे यह कहने में गर्व है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और अफसरान का इसमें बहुत ज्यादा हाथ रहा।

दूसरी बात, जो हमारा आम चुनाव हुआ, उसमें हमारे चन्द्रजीत यादव, उपनेता कम्युनिस्ट पार्टी ने शिकायत की कि पुलिस चुनावों में हस्तक्षेप करती है। वह हमारे नेता हैं, उनका भी मैं आदर करता हूं, लेकिन उनकी आल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी तारीफ की है, पुलिस की निष्पक्षता के ऊपर जो उसने चुनाव कराया है। इस जिम्मेदारी को सभी लोग महसूस करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर पुलिस हस्तक्षेप करती तो शायद हमारे यादव जी कभी आ पाते हाउस में या नहीं यह मुझे डाउट है।

तीसरी बात, जो साम्प्रदायिक दंगे जिलों में होते हैं उनके सम्बन्ध में शान्ति व्यवस्था पर पुलिस काफी जोरों से अपनी ड्यूटी का पालन कर रही है। आमतौर से डकैतियों के बारे में शिकायतें हुईं। डकैतों द्वारा हमारा प्रदेश काफी परेशान रहा और पुलिस भी उन बीहड़ जंगलों में अपनी जान हथेली पर रख कर किस प्रकार जनता के सुरक्षार्थ उन डकैतों का मुकाबला कर रही है वह भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी मानना पड़ेगा, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई भी डकैत, कोई भी चोर, कोई भी बदमाश, कोई भी गुन्डा इस प्रदेश को सफलतापूर्वक अपनी कार्यवाही नहीं कर सकता जब तक कि हम आप उसकी मदद में न हों। कहने का मतलब हमारे विधायकों से नहीं है। आप खयाल करें कि एक बड़ा गांव है, जिसमें ग्राम सभापति है, गांव सभा है, ग्राम समाज के मेम्बरान हैं—मुखिया तो खैर नहीं है—चौकीदार है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, सभी हैं, लेकिन उसमें किसका कैसा कैरेक्टर है, कौन चोर है, कौन खेत काटने वाला है, किसका कैसा व्यवहार है, यह सभी गांव के लोग जानते हैं। जब हम दौरे पर जाते हैं तो सभी माननीय सदस्य जानते होंगे कि वह हमसे शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी यह इच्छा रहती है कि सारा काम हो जाय पर उनको कोई न जाने। एक चोर है जो खेत काटता है तो दूसरा पड़ोसी उसका बोझ उठा देगा जिससे चोर इतना दब जाय कि उसका खेत न काटे, उसको नुकसान न पहुंचाये। इस तरह का रवैया चल रहा है। जितनी आपकी पार्टी-बन्दियां हैं, गांव सभा सम्बन्धी जो चुनाव होते हैं उनके द्वारा भी ऐसे जरायम के बढ़ने में बहुत बड़ा हाथ है।

आप खुद जानते हैं कि पुलिस में जितने सब-इंस्पेक्टर, डी० वाई० एस० पी०, एस० पी० और दूसरे अफसरों का सवाल है, यह हमारे ही प्रदेश के नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों से अच्छी से अच्छी डिग्री ले कर निकले हैं, उनकी बड़ी तारीफ भी होती है और शायद दूसरा शिक्षा विभाग का जो विधेयक आयेगा यूनिवर्सिटी सम्बन्धी, उसमें बहुत ही प्रशंसा की जायगी उनके कारनामों की, लेकिन ज्योंही उन्होंने पुलिस विभाग में पैर रखा उनकी शिकायत शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि बड़े भ्रष्टाचारी हैं और बड़े घूसखोर हैं। लेकिन उनकी घूसखोरी क्या है? मेरा खयाल है कि अगर हम इस विधान सभा द्वारा बनाये हुए नियम, कायदे, कानून के मुताबिक चलें तो कोई शक नहीं कि उनको कभी घूस लेने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। खैर, इतनी गुलामी के बाद कुछ ऐसी मनोवृत्ति बाकी है कि जब हम ही लोगों के बच्चे सर्विस में जाते हैं और लौटते हैं तो उनसे यह नहीं पूछते कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है, बल्कि यही पूछते हैं कि ऊपरी आमदनी कितनी है? उनकी मनोवृत्ति भी इसी प्रकार ४ पैसे कमाने की रहती है, लेकिन फिर

[श्री लोकनाथसिंह]

भी उम्मीद है कि हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा जो यह विभाग शान्तिपूर्वक चल रहा है उसमें बहुत कुछ सुधार होगा ।

हम यह देखें कि पुलिस की २४ घंटे की ड्यूटी होती है, किस तरह की उनकी जिम्मेदारी होती है, किस तरह से जाड़ा गर्मी और बरसात में उनको काम करना पड़ता है । गृह मन्त्री महोदय ने उनके लिये कुछ बातें कही हैं, थोड़ा बहुत उनके आराम का खयाल किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही जरूरी है । अगर इस प्रदेश को पुलिस की आवश्यकता है तो उसे इन बातों पर ध्यान देना होगा । जहां तक यह बात है कि उनमें कुछ बुराइयां आ गई हैं, मैं समझता हूं कि अगर हम और आप पूर्ण सहयोग से काम करें और इन बुराइयों को बढ़ाने में सहयोग प्रदान न करें तो मेरे खयाल में यह बुराइयां बढ़ नहीं सकतीं । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं ।

राजा वीरेन्द्रशाह--माननीय सभापति जी, इस भवन के सामने जो पुलिस का अनुदान पेश है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, सन् १९४९ से हम देख रहे हैं कि पुलिस का बजट बराबर बढ़ता चला जा रहा है । जिस हद तक खर्च बढ़े अगर उसी हद तक पुलिस का प्रशासन भी अच्छा हो जाय तो मैं समझता हूं कि फिर कोई विरोध करने की बात न हो । लेकिन आज देहात की स्थिति को देखने के बाद जब हम इस बजट को देखते हैं तो हमें निराशा होती है । अगर आज देहात की तरफ पुलिस को बढ़ाने और उचित प्रबन्ध करने का विचार सरकार का होता तो मैं समझता कि खर्चा ठीक रास्ते पर हो रहा है । आज मेरे जिले में देहात की जो स्थिति है, मैं समझता हूं कि यहां पर जितने भी सदस्य देहाती क्षेत्रों से आये हैं उन सबके यहां वैसी ही स्थिति होगी । पहले सारी बातें जमींदारों और उनके गुंडों के नाम पर कही जाती थीं लेकिन अब तो जमींदारी को भी खत्म हुये ८ साल हो गये लेकिन अगर आज आप देहात में देखें तो गुंडों का राज्य हो गया है । आज गुंडे जो चाहते हैं वही करते हैं । आज जिसके घर में चार-छः बच्चे पैदा हो गये, वह हमारे आपके सभी के हैं....

श्री अधिष्ठाता--चन्द्रजीत जी यादव कह रहे थे कि अभी भी आपका राज्य है ।

राजा वीरेन्द्रशाह--तो श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि वह बच्चे किसी के भी हों लेकिन यह मनोवृत्ति बढ़ाना हमारे लिये ठीक नहीं है । आज पुलिस पर इतना ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी वह मुफीद नहीं साबित हो रहा है जिस अनुपात में कि खर्चा बढ़ा है ।

थानेदारों के लिये आप कहते हैं कि उनकी मनोवृत्ति कुछ बदली है, मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि उरई में आज एक थानेदार ईमानदार हैं, मैं मानता हूं कि वह रिश्वत नहीं लेते लेकिन क्या किसी भले आदमी को गाली देना भली बात होती है ? आप रिश्वत नहीं लेते, बड़ी अच्छी बात है लेकिन क्या किसी भले आदमी को जलील करना या किसी प्रतिष्ठित आदमी को यह दिखलाना कि हम थानेदार हैं--वह आदमी चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या कोई भी हो--यह कौन सी अच्छी बात है ? क्या वजह है कि सरकार ऐसा नियन्त्रण नहीं रखती जिससे उनके बात-चीत करने का तरीका भी ठीक हो जाय ? आज पुलिस तभी कामयाब हो सकती है जबकि उसको जनसहयोग मिले । आज पुलिस देहात में कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर एक थानेदार २० सिपाहियों को लेकर ८० गांवों को कन्ट्रोल करना चाहता है । यह नामुमकिन बात है । वह हो ही नहीं सकता । वह सद्भावना से हो सकता है और तभी हो सकता है जबकि न्याय चाहने वाले आदमी गांवों में हों । बेईमानी से काम करना ठीक नहीं है ।

चोरियों का यह हाल हो गया है कि मालूम नहीं कितनी लिखित और अलिखित रह जाती है । देहातों में और शहरों में दोनों जगह चोरियां खूब हो रही हैं लेकिन पता नहीं

चलता है। दफा १०९ में संशोधन होना चाहिये और केन्द्रीय सरकार को हमारी सरकार लिखे। चोरी का मामला कम्पाउंडेबिल नहीं होना चाहिय चाहे कितन ही की चोरी हो। कठोर से कठोर दंड देना चाहिये। तभी अपराध क सकता है। एम० एल० ए० को एस० पी० के यहां बुलाया जाता है कि आप ला ऐंड आर्डर के लिये मदद कीजिये। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय कमेटियां हों, जिनमें एम० एल० एज० भले ही न हों लेकिन वहां के भले आदमी रखे जावें और वे देखें कि उनके यहां अपराध क्यों होते हैं। आप उनसे गोपनीय रिपोर्ट ले सकते हैं।

एक बात और है कि कोई रहता तो हमारे जिले में है और उसे परेशान करने के लिये मुकदमा दायर कर दिया जाता है कलकत्ते या बम्बई में, जिससे वह बैठ जाता है और फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। दूसरे प्रान्तों में दावों के लिये पहिले यहां तहकीकात होनी चाहिये और तभी पकड़ कर दूसरे प्रान्त में भेजना चाहिये जबकि अपराध एस्टैब्लिश हो जाय।

मैं अपने ग्राम का सभापति भी हूं। मैंने कई बार कोशिश की कि जुआ बन्द हो जाय। लेकिन मेरे क्षेत्र में तो क्या, मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में भी जुआ बन्द नहीं है। वह उलटे बढ़ रहा है। मैंने एस० पी० को लिखित प्रस्ताव पास कराके भेजा कि हमारे यहां का चौकीदार जुआ खिलाता है और जब तक इसका तबादला नहीं होगा, यह चलता रहेगा। लिहाजा इसे दण्ड दिया जाय। मैं उनसे मिलकर भी आया था, मगर मालूम नहीं कि क्या हुआ। इसका दूसरे कर्मचारियों पर खराब असर पड़ता है। सरकार बड़े अफसरों से, डी० आई० जी० वगैरह से इन्क्वायरी करा ले और अगर १० परसेन्ट भी शिकायत सही पाई जावें तो उसका तबादला जरूर कर दें, नौकरी से भले ही न निकालें और हम भी किसी की रोजी नहीं लेना चाहते हैं जब तक कि बहुत जघन्य अपराध न हो। बहुत से थानेदार इसलिये रुके रहते हैं कि प्रेस्टिज का सवाल हो जाता है कि फलां पार्टी के आदमी ने इसके लिये कहा है। सरकार को सही बात का खयाल करना चाहिये।

अभी राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे जी ने कहा कि जन-सहयोग में लोगों को लाइसेंस न दिये जावें। हम पुलिस के आदमियों की बदौलत देहात में नहीं रह सकते हैं। जब हम लोग स्वतंत्र हो गये तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़िये और बन्दूक के लाइसेंस फ्री दें। यह बिलकुल गलत बात है कि रिवोल्यूशन या सिविल वार के डर से लाइसेंस न दिये जावें। अगर रिवोल्यूशन होगा तो उसका मुकाबला किया जायगा।

माननीय मंत्री जी भी आ गये हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस की भर्ती का जो एक बटालियन बना रहेहैं उसमें गांवों के रिजर्व फोर्स के आदमी जो उसमें ७ वर्ष के लिये आते हैं वे लिये जावें। इससे उनकी नौकरी लग जायगी और ट्रेन्ड आदमी सरकार को मिल जावेंगे। इसमें अल्लम-गल्लम वाली भर्ती नहीं होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मंत्री जी देहातों के लिये जरूर पुलिस का प्रबन्ध करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्रसिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे सामने जो अनुदान गृह मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

बहुत सी बातें यहां कहीं गई हैं। खराबियां हैं और उनको दूर करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जिसका मैं खास तौर से जिक्र करना चाहता हूं वह यह है, और मैं समझता हूं कि हर आदमी को इसके लिये सोचना चाहिये कि इस पुस्तिका में लिखा है कि इस वर्ष एक डी० एस० पी०, ३ सब-इंस्पेक्टर, १ हेड कांस्टेबिल और ११ कांस्टेबिल अपना कर्त्तव्य पालन करते हुये मारे गये। ये लोग भी उसी पुलिस में से ही आते हैं। हमको उनके प्रति श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करनी चाहिये। उनके कर्त्तव्य पालन में कोई शक नहीं है। ऐसे लोग हमारी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ मैं मंत्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि इन व्यक्तियों के परिवारों को

[श्री हरिश्चन्द्रसिंह]

ऐसी काफी सहायता मिलनी चाहिये जिससे दूसरे आदमियों को भी अपने कर्त्तव्य-पालन में उत्साह हो और हिम्मत बढ़े, प्रोत्साहन हो।

जो बुराइयां हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं। हम सब उनको जानते हैं, गृह मंत्री जी भी जानते हैं और जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं, वे भी जानते हैं। यह रोग बहुत पुराना है। इसका इलाज तो हमें करना है, लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज और देखने की है कि हमारा नैतिक पतन भी इन जरायम को बढ़ाने का जिम्मेदार है। हमें अपना भी आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। दूसरों से तो हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि वह देवता बन जायं लेकिन अपने को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करते। दूसरों को हम गालियां दिया करते हैं, लेकिन स्वयं अपने अवगुणों को जानते हुए भी दूर करने का प्रयत्न नहीं करते। यह मैं जानता हूं कि पुलिस में क्या क्या कमजोरियां हैं और वह कैसा आतंक पैदा करती हैं लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी जानता हूं कि हम भी अपने स्वार्थवश आतंक पैदा करते हैं।

मेरे मित्र माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने बदायूं के दो केसेज के बारे में जिक्र किया एक गौतरा गांव का और दूसरा अलापुर में पंडित रामचन्द्र का जो वहां की एक पार्टी का नेता था। गौतरा गांव से मेरा संबंध है, वहां मेरी ससुराल है। वहां की बातों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बाज दफा ऐसा होता है कि जो गुन्डे लोग हुआ करते हैं, जिनको जरायम करने की आदत होती है, वे किसी पार्टी में हो जाते हैं और जब कभी उन पर अनुशासन की कार्यवाही होती है तो वे उस पार्टी का सहारा लेकर इधर-उधर दरख्वास्तें भेजा करते हैं। दूसरा रामचन्द्र का जिक्र किया गया। उसको मैं स्वयं जानता हूं। उसने एक आदमी को कत्ल किया। उस कत्ल में ६—७ आदमियों का उसके साथ चालान हुआ। लोअर कोर्ट से उसको फांसी का दंड मिला लेकिन हाई कोर्ट से वह छूट गया। जिस व्यक्ति को कहा जाता है कि उसने मारा, उसका बदला लेने के लिये उसको भी मारा। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों का चालान किया और उन पर भी मुकदमा चलाया। यह चीज पोलिटिकल पार्टी के नाते नहीं हुई। जैसी बदला लेने की हमारी आदत है, उसी के मुताबिक यह हुआ।

पुलिस से मेरा काफी संबंध रहा है। मैं यह भी जानता हूं कि वह रिश्वत लेती है, लेकिन यह मर्ज पुराना है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारे गृह मंत्री जी और दूसरे नेता भी सतर्क हैं और इसको दूर करने के लिये तैयार हैं। उसके लिये जिस वक्त कि मैं सर्विस में था, तब भी मैंने कुछ सुझाव यहां श्री सुमति प्रसाद जैन के जरिये भेजे थे कि जुडिशियल पुलिस अलग हो और एक्जीक्यूटिव पुलिस अलग हो। अब भी मैं उस बात पर बहुत जोर देता हूं। मेरी अपनी यह राय है कि पुलिस को दो हिस्सों में विभाजित किया जाय। एक तो ला ऐंड आर्डर को कायम रखे और एक वह हो जो कि प्रासिक्यूशन और इनवेस्टिगेशन से ताल्लुक रखे। कारण यह है कि मनुष्य के अन्दर बदला लेने की भावना सदैव ही रहती है, चाहे वह कितना ही पढ़ा-लिखा हो, कितना ही ऊंचा हो, यह चीज उसके नेचर में होती है। होता क्या है? जिस तरकीब से इस समय रिपोर्ट लिखाई जाती है, अगर कोई गलत रिपोर्ट लिखवाने आवे और उसे सब इंसपेक्टर न लिखे तो उसके खिलाफ ५० दरख्वास्तें लगती हैं। रिपोर्ट गलत लिखवाने पर गलत आदमियों का चालान होता है जिससे मुकदमे का इनवेटिगेशन ठीक नहीं होता। उसके ऊपर भी कुछ ऐसे बन्धन हैं जिनको मैं ज्यादा समझता हूं, इस समय उस सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है। अगर सब-इंसपेक्टर को मालूम हो कि मुकदमा गलत है तो भी उसे गलत आदमी का चालान करना पड़ता है, जो अदालत में जाकर छूट जाता है।

एक बात पर जोर बहुत ज्यादा देता हूं। एक थाने में एक सब-इंसपेक्टर तथा १०, ११ कांस्टेबिल्स होते हैं, जिनको कम से कम ५०, ६० हजार की आबादी को कंट्रोल करना होता है। तो वे ठीक इंवेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते हैं और उस इंवेस्टिगेशन में भी देर लगती है। हमारा नैतिक पतन भी इसके लिये जिम्मेदार है। हम जानते हैं कि गलत नामजदगी हो रही है,

सब-इंसपेक्टर समझता भी है, कोशिश भी करता है लेकिन उसके लिये कोई तैयार नहीं होता है। मैंने यहां तक गवाहान को कहते हुए सुना है कि अगर आप फलां आदमी को रिपोर्ट में नहीं शामिल करेंगे तो मैं गवाही नहीं दूंगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें हमारे नैतिक पतन की भी जिम्मेदारी है। उसके साथ-साथ पुलिस की भी मजबूरियां हैं, जिससे वह ऐसे बेगुनाह लोगों का चालान करती है। बहुत सी मजबूरियां ऐसी हैं जो कानूनी हैं। उनमें बेईमानी भी बहुत हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं और उसका नतीजा यह होता है कि जुर्म की तादाद आज बढ़ती चली जा रही है। जब तक पुलिस का दो हिस्सों में विभाजन नहीं होता, तब तक पुलिस ईमानदार नहीं हो सकती। जब तक रिपोर्ट के लिखने के ढंग में तब्दीली नहीं आती, तब तक मैं समझता हूं कि ला ऐंड आर्डर की जो व्यवस्था है वह पूरी तरह से कायम नहीं हो सकती।

इसके साथ-साथ एक चीज और कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सन् १८५७ के गदर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कायम हुई तब से पुलिस की फोर्स बढ़ी नहीं है। अगर्चे आबादी बढ़ गयी है, गुन्डे बढ़ गये हैं और व्यवस्था बहुत बदल गयी है परन्तु पुलिस की फोर्स ज्यों की त्यों है। तो वे १०, ११ आदमी या पुलिस के एक दो सब-इंसपेक्टर जिस अवस्था का हम बयान करते हैं उस अवस्था को पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। मेरा थाना बहुत लम्बा चौड़ा है, वहां बहुत सी नदियां हैं। वहां पहले दो थाने थे जिनको मिला कर अब एक ही थाना कर दिया गया है। उस थाने में आबादी के लिहाज से पुलिस फोर्स उतनी ही मिली है। अब क्या है? जब बारिश का जमाना आता है तो दो-दो रोज तक थाने में रिपोर्ट मामले की नहीं हो पाती, फिर मुकद्दमा कैसे कामयाब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट की ऐसी सैकड़ों नजीरें मौजूद हैं। तो कोशिश यह करनी चाहिये कि थाने की जगह इतनी दूर न हो कि जहां पर लोगों को पहुंचने में मुश्किल हो। यदि आवश्यक हो तो पुलिस चौकियां कायम हों, साथ ही साथ पुलिस फोर्स भी बढ़ानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं होता है तो ला ऐंड आर्डर ठीक तरह से कायम नहीं रह सकेगा।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय यादव जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ इस आदरणीय सदन में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे दुख है इस बात का कि मेरा बोलने का नम्बर आप ने एक ऐसे व्यक्ति के बाद दिया है कि जिनका वास्तव में मैं बहुत आदर और सम्मान करता हूं। अगर उनकी कही हुई बातों में से कुछ इस सदन के सामने मैं दोहराऊं तो शायद वह ज्यादा मुनासिब न होगा।

जब से श्रीमन्, इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसमें दो तीन बातें बहुत ज्यादा दोहराई गई हैं। एक तो यह कि एक थाने में दस बारह सिपाही होते हैं, २ दरोगा होते हैं, ४०-५० हजार आदमियों की आबादी होती है। कैसे कंट्रोल करें? दूसरी बात जो उस पक्ष से भी कही गई है, हालांकि बड़े दबे और कुछ तुतले से शब्दों में कही गई है कि हम पुलिस की बातें जानते हैं और जानते हैं कि पुलिस वालों ने कौन-कौन और कहां-कहां क्या आतंक किये हैं।

मैं बड़े अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे सामने आज प्रश्न यह नहीं है कि आप ने दरोगा जी की वर्दी के लिये रुपया मांगा है या कि हम अब दरोगा जी के घोड़े का एलाउन्स बढ़ा दें और कप्तान साहब के बराबर कर दें। यह कोई बुनियादी मतभेद की बातें नहीं हैं। आज हमारा सबसे बड़ा मतभेद यह है कि क्या आज देश में पुलिस की परिभाषा वही है जो ब्रिटेन में है? यहां पर हम टैक्स बढ़ाने में तो और देशों की तुलना और बराबरी करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह एक पुस्तक है "The British Police and the Democratic Ideals"। मैं यह नहीं मानता कि माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तक को न पढ़ा होगा, उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन आप के द्वारा बहुत अदब के साथ उनसे मुझे पूछना होगा कि क्या एक भी बात उन्होंने उसमें से यू० पी० प्रदेश की पुलिस के ऊपर उद्धृत की है? ९ सिद्धान्त ब्रिटिश पुलिस ने बनाये हैं और उन ९ सिद्धान्तों में जनता के हित के लिये जो कुछ भी उचित चीजें हो

[डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा]

सकती हैं वे सब आ गई हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी आज्ञा से उसमें से दो तीन बातों को आपके सम्मुख उदाहरण के लिये पढ़ दूं--

"To recognize always that the power of the police to fulfil their functions and duties is dependent on public approval of their existence, actions and behaviour, and on their ability to secure and maintain public respect. To recognize always that to secure and maintain the respect and approval of the public means also the securing of the willing co-operation of the public in the task of securing observance of laws."

श्री अधिष्ठाता--इसका अनुवाद भी आप कर दें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--पहला जो मैंने पढ़ा उसका अर्थ है कि पुलिस को सदैव यह जाने रहना चाहिये कि उसके कर्त्तव्य और उनको पूरा करने की शक्ति और उनका अस्तित्व, कार्यों और व्यवहारों के जनप्रिय होने पर निर्भर है। पुलिस की योग्यता जनता की प्रतिष्ठा कायम रखने की क्षमता पर ही निर्भर है।

दूसरी चीज जो उसी के आगे नवें सिद्धान्त में है वह है कि--

"To recognize always that the test of police efficiency is the absence of crime and disorder, and not the visible evidence of police action in dealing with them."

ब्रिटन के अन्दर, श्रीमन्, उनका सब से पहला सिद्धान्त है कि जरायम किसी तरह से न हों। अगर हमारे प्रदेश को देखा जाय तो यहां जुर्म दबाने में अवश्य प्रतिष्ठा प्राप्त की गई है लेकिन जुर्म रोकने में कोई प्रतिष्ठा पुलिस ने नहीं प्राप्त की है। अगर एक बार जुर्म हो गया तो उसके बाद उसमें गलत आदमियों को फांस कर और चालान करके उनको सजा कराने में हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है।

श्रीमन्, कहा जाता है, माननीय मंत्री जी ने कहा और बहुत जोरदार शब्दों में कहा, कि हमारी पुलिस पार्टीबन्दी में भी नहीं पड़ी। माननीय लोकनाथ सिंह जी ने कहा और माननीय यादव जी से कहा कि अगर पलिस चुनाव में पड़ती तो शायद यादव जी नहीं आ सकते। लेकिन यहां मैं कहता हूं कि अगर पुलिस ने चुनाव में हिस्सा न लिया होता तो जिस अक्सरियत में आप बैठे हुए हैं उस अक्सरियत में न होते। चुनाव को छोड़ दीजिये श्रीमन्। एक उदाहरण अपने जिले का दूं। बाड़ी में एक अस्पताल है। माननीय स्वशासन मंत्री ने आदेश भेजा कि वह अस्पताल वहां से नहीं हटेगा। आदेश पहुंचने के बाद वहां के लोकल एम० एल० ए० पुलिस को ट्रक में भर कर ले जाते हैं सारा अस्पताल का सामान भरवाकर सिधौली में ले आते हैं। एस० पी० से कहा तो उन्होंने कहा कि पुलिस पहुंची या नहीं पहुंची इसकी तहकीकात करेंगे। माननीय मंत्री जी कृपया इसके ऊपर तहकीकात करायें।

सारे प्रान्त की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन सीतापुर जिले की हालत पिछले २-३ महीनों के अन्दर जो रही है उसकी ओर अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यही नहीं कि सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी के ही कार्यकर्त्ताओं के ऊपर जब्र और तसद्दुद हो रहा है बल्कि हर पार्टी के नेताओं से निवेदन करूंगा कि आप वहां की हालत देखें चाहे वह जनसंघ हो, पी० एस० पी० हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो। वहां की इस तरह की हालत है कि जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं उनको डकैतियों के अन्दर, चोरियों के अन्दर और कत्ल के अन्दर चालान करके जेलों में बंद किया जाता रहा है। इसका एक ही कारण है। वहां एक डी० एस० पी० महोदय पहुंच गये हैं। जब तक उनके निकट संबंधी यहां डिप्टी मिनिस्टर नहीं थे तब तक तो जैसे डी० एस० पी० होता है उसे ही वह काम कर रहे थे। लेकिन जबसे उनके निकट संबंधी यहां उपमंत्री हो गये हैं अब उनका कहना है--जैसे कि एक देहाती कहावत है, "वह कौन हुए, कोतवाल हुए, हमें डर काहे का।"

१० जनवरी को महौली में किसानों ने मिल मालिक से कहा कि गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए। १२ घंटे किसानों ने मिल मालिक को गन्ना नहीं दिया। पुलिस के हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं बड़े अदब के साथ चुनौती देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक दृष्टांत भी बता दें कि १२ घंटों में एक भी वारदात हुई जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने की जरूरत हो। १२ घंटे तक मिल बन्द रही। जब देखा कि किसान अपना गन्ना नहीं दे रहे हैं तो पुलिस आई और लाठी चार्ज किया। लाठीचार्ज करने में एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात हुई। आज तक मैंने खुफिया पुलिस के इंसपेक्टर को लाठीचार्ज करते हुए नहीं देखा। लेकिन मैंने देखा श्री सक्सेना साहब जो खुफिया पुलिस के इंसपेक्टर हैं उन्होंने अपने हाथ से किसानों के ऊपर लाठी का प्रहार किया। (लाल बत्ती जलने पर) २ मिनट में और चाहूंगा अगर आपकी कृपा हो जाय।

हरगांव में अभी १८ तारीख को हमारे मंत्री श्री शांतिस्वरुप शर्मा का चालान हुआ। साथ में ७ और कार्यकर्ता थे जिनमें एक मैं भी था। पुलिस के वही डी० वाई० एस० पी० साहब धक्का लगाते हुए घटनास्थल से थाने में लाये। थाने में लाकर हवालात में बन्द किया गया। मुझे भी बन्द किया गया और हमारे मंत्री श्री शान्तिस्वरूप शर्मा को और जो अन्य कायकर्त्ता थे उनको भी बंद किया गया। आप यह देखिये कि पलिस की चुटकी लेने की, पिंच करने की नीयत कैसी है। हमको जब हवालात में बंद किया गया तो जो कम्बल दरोगा के घोड़े का ओढ़ने वाला था वह हमको दिया गया। जब मैंने कहा कि कुछ बिछाने के लिये दे दो क्योंकि इसमें तो बाल लगे हुए हैं जो कपड़ों में चिपकेंगे तो उस डी० वाई० एस० पी० ने कहा कि जब असेम्बली में जा करके तख्त पास कर लोगे तब तख्त मिलेगा अभी तो यही कम्बल मिलेगा। श्रीमन्, आपने बहुत बातें सुनी होंगी लेकिन मैं विश्वा'स के साथ कहता हूं कि आपने ऐसी नहीं सुना होगा कि सुबह ९ बजे से लेकर शाम के ५ बजे तक हमको हवालात में बंदी रखा गया और पानी तक हमको नहीं दिया गया। जब हमने पानी मांगा तो हुआ यह कि हवालात के सोकचों के बाहर बालटी पानी की रख दी गई और जब दरोगा, २, ३ घंटे बाद लौट कर आया तो हमने कहा कि पानी नहीं मिलेगा तो उसने जवाब क्या दिया कि पानी की बाल्टी रख तो दी गई थी पी क्यों नहीं लिया। जब मैंने अपनी दफा पूछी कि किस दफा में हमारा चालान किया तो एक भी दफा डी० वाई० एस० पी० ने नहीं बतायी, सर्किल इंसपेक्टर ने नहीं बतायी। मालूम हुआ सर्किल इंसपेक्टर का तबादला हुआ और डिप्टी ने लिख कर भेजा है कि इस सर्किल इंसपेक्टर को रोक लिया जाय क्योंकि लहरपुर में जो गोली चली वह उसकी तफतीश बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। तम्बौर और गांजर के थाने में जो अराजकता डिप्टी और सर्किल इंसपेक्टर ने फैलायी थी और जिसके सम्बन्ध में सी० आई० डी० की जांच हुई और डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट का तबादला हुआ लेकिन उसके बाद तबादला रुक गया, मालूम नहीं क्यों रुक गया। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी सीतापुर की पुलिस के बारे में विशेष रूप से जो उचित समझें जांच जरूर करा लें।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज सुबह से मैं पुलिस अनुदान पर वादविवाद सुन रहा हूं। यों मुझे बोलने का सौभाग्य कम मिलता है, और कोशिश भी कम करता हूं, परन्तु आज इसलिये हिम्मत कर रहा हूं कि विरोधी दल जो कहे जाते हैं उनके दो रूप हैं, जैसे धूप छांह कपड़े के दो रूप होते हैं। यहां सदन में इनकी आवाज दूसरी रहती है और जिलों में दूसरी। वहां पुलिस के साथ मिल करके जाल के मामले दायर कराया करते हैं और यहां सदन में विरोध करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सब पार्टीज के आदमी खराब हैं।

(इस समय २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

[श्री गुप्तारसिंह]

मैं जानता हूं कि हर पार्टी में कुछ आदमी ईमानदार हैं और हर पार्टी में चुनाव के वक्त खराब आदमी भी आ जाते हैं। लेकिन असेम्बली में मैं देखता हूं कि यहां तो ज्यादा गरजते हैं वह बाहर बरसते कम हैं। (व्यवधान)

मैं जानता हूं कि विरोधी पार्टियों पर जब चोट होने लगती है तो वह वक्ता को न बोलने दे की कोशिश करते हैं, अर्थात् बीच बीच में टोंकना शुरू कर देते हैं। मैं कहूंगा कि यह तो सभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है लेकिन मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार त्यों त्यों बढ़ रहा है ज्यों ज्यों विरोधी पार्टियां बढ़ रही हैं। यह है मेरी मीमांसा। एक कांग्रेस कमेटी की पार्टी बना दीजिये देखिये वह भ्रष्टाचार को खत्म किये देता है या नहीं परन्तु भ्रष्टाचार में सहायक विरोधी पार्टियां होती हैं। मैं अब आपके सामने उदाहरण पेश करता हूं। रायबरेली में मैं रहता हूं। सरैनी थाने में एक थानेदार साहब थे जो दफा ८२ में जानवर कुर्क करने हसनपुर गये। जानवर वहां कुर्क हुए। एक छोटा-सा मुकदमा दायर हुआ था। जानवर कुर्क करके उसने रुपया लिया। कप्तान के यहां उसकी दरख्वास्त दी गयी। कप्तान साहब ने कम्पलेंट आफिसर को दरख्वास्त भेज दी। कम्पलेंट आफिसर ने मामले को सही पाया और विभागीय कार्यवाही के लिये भेज दिया। लेकिन उस थानेदार को बचाने की कोशिश की गयी, इसलिये कि उस मामले में एक बहुत बड़ी धार्मिक राजनीतिक संस्था का आदमी भी शामिल हो रहा था और एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी का आदमी भी रिश्वत दिलाने में शरीक था। इसलिये वह मुकदमा विभागीय कार्यवाही न करके पुलिस द्वारा उसको बचाने की नीयत से अदालत में चलाया गया और बावजूद कम्पलेंट आफिसर की रिपोर्ट के कम्पलेंट अफसर की जांच के समय राजनीतिक २५ आदमी गवाहान तोड़ने के लिये मौके पर गये और वे गवाह आज भी तोड़े जा रहे हैं ताकि मुकदमा खत्म हो जाय। मैं इसे साबित कर सकता हूं।

मेरे भाई ने कहा गुंडा। गुंडा किसे कहते हैं जो दूसरे की स्त्री का अपहरण करे, दूसरे का धन अपहरण करे, दूसरे के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करे। गुंडा उसे कहते हैं जिसके खिलाफ लाठी व बल्लम के बल पर या भय से शहादत न मिले, रुपया लेकर दूसरे का कत्ल करदे, दूसरे के खेत जबरदस्ती जुतवाये, वे ही गुन्डे हैं। वैसे यहां हरिजनों की तरफदारी की बात विरोधी पार्टियों से की जाती है। परन्तु ५० हरिजनों के हमारे यहां घर तबाह हो गये उनको दो साल की इन्दराज जमीन पर कब्जा करने हेतु। उन्नाव तक के बदमाश इकट्ठा किये गये भाला व बल्लम लेकर। उनके बीज के गल्ले से ५० मन नाज उठा लिया गया और हल उठा लिये गये लेकिन कोई मुकदमा पुलिस का नहीं बना। बहुत बड़ी पार्टी जिसके २२ वकील हैं वे उनके साथ हैं। इसलिये थानेदार की हिम्मत नहीं है कि वह उनके खिलाफ ऐक्शन ले और मुकदमा दायर करे। कत्ल तक हो चुके हैं और कत्ल के मुकदमे की शहादत तक नहीं मिली। मैं सब पार्टियों को दावत दे रहा हूं कि जांच करें अगर झूठ हो तो मैं इस्तीफा आपको पहले से ही लिख कर दे दूं।

(व्यवधान) पहले सुन लीजिये, नाम भी बता दूंगा। कहने का मतलब यह है कि जो गुन्डा एलिमेंट है, जितने मैंने गिनाये, दूसरे की औरत भगाने वाले, दूसरे की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वाले...

श्री उपाध्यक्ष--यह तो आपने बता दिया। काफी याद हो गया लोगों को।

श्री गुप्तारसिंह--बहुत अच्छा। तो बहुत सी पार्टियों का जीवन आज इन्हीं गुन्डों पर निर्भर है। ऐसी हालत में उन पार्टियों का राजनीतिक स्तर क्या है, वे अपने मन में सोच लें। यहां तक कि पब्लिक मीटिंग में देहात में जब मैं बोलने खड़ा होता हूं तो थानेदार और पुलिस की तरफ से जो उनके दलाल रुपया दिलाने वाले होते हैं वे मुझको बोलने नहीं देते हैं और आज उसी पार्टी के लीडरों की ओर से यहां पर धर्म की ध्वजा फहराई जाती है। सब पार्टियों के लीडर उसमें शामिल हैं। रायबरेली में जो पार्टियां अधिकतर चल रही हैं सब उसमें शामिल हैं

लेकिन जो हमारे जनसंघ की ओर से दुबे जी बोल रहे थे उनकी पार्टी उसमें सब से अधिक है।

एक सदस्य––अलीगढ़ में किन-किन राजनीतिक पार्टियों का हाथ है ?

श्री गुप्तारसिंह––आप अधिक परेशान न हों। एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया। उस लड़की की तरफ से अदालत में दावा दायर किया गया तो जबरदस्ती गवाहों पर नाजायज दबाव डाला गया, अदालत में झूठा १०७ चलवाया गया और सेशन से मुकदमा इसलिए छूट गया कि उसको अपनी बिरादरी के ही गवाह मिले, दूसरी जाति के गवाह उन राजनीतिक गुन्डों के भय से नहीं मिले। तो उस पार्टी की वजह से उसे गवाह नहीं मिले जो धर्म की ठेकेदारी करती है। मैं कहां तक बताऊं ? थानेदार सरकारी अधिकारी है। कांग्रेस पार्टी को तो वह समझता है कि सरकार की यह पतिव्रता स्त्री है, विरोध करेगी नहीं, लेकिन ये जो नव रखेली युवतियां हैं इनको अगर खुश नहीं करेंगे तो ये हमारी खबर ले लेंगी इसलिए तुम्हारे ही फेवर में वह जाता है। अर्थात्, विरोध के डर से विरोधी पार्टियों का पुलिस पक्ष करती है।

अन्त में मैं मांग करता हूं कि एक गुन्डा ऐक्ट बनाया जाय ताकि जो गुन्डई करते हों उनको दण्ड दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––आपका समय समाप्त हो गया।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)––मान्यवर, पुलिस के अनुदान पर आलोचना रखते समय मेरे दिमाग में यह मकसद नहीं है कि पुलिस के अधिकारियों की और इस विभाग की ऐसी आलोचना की जाय जिससे डिमारलाइजेशन फैले, या उनकी अच्छाइयां और बुराइयों को, दोनों को एक पलड़े पर तौलूं।

एक बात जो सरकारी पक्ष की ओर से बार-बार कही जाती है वह यह है कि पुलिस के प्रति विरोधी पार्टियों का या सामान्यतया राजनीतिक पार्टियों का और आम जनता का जो पहले दृष्टिकोण था उसमें पहले से कोई अन्तर नहीं पैदा हुआ है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। उस के साथ-साथ यह बात भी कहना चाहता हूं कि जनता के प्रति पुलिस के दृष्टिकोण में भी कोई अन्तर नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि सी० आर० पी० सी० जो अंग्रेजी जमाने में था, चाहे उसका मकसद दिमागों में बदल गया हो, किताब और व्यवहार में अब तक नहीं बदला। जिस आई० पी० सी० के मातहत पुलिस विभाग काम करता था वह अब भी ज्यों का त्यों है। १०९ और ११० जो पहले थे और जिस पर कोटा फिक्स हुआ करता था कि इस महीने में इतने आदमियों का १०९ में चालान हो जाना चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि पुलिस ने ठीक समय पर गश्त की है, वे १०९ और ११० अब भी हैं। जिस प्रकार की गालियां पुलिस अधिकारी पहले दिया करते थे उसमें कोई अन्तर नहीं हुआ। मारपीट, रिश्वत, पक्षपात, और दलालों का सहारा लेकर शासन को चलाने का प्रयास करना, ये सारी बातें आज भी ज्यों की त्यों हैं। तो सरकार कैसे यह आशा करती है कि जनता का दृष्टिकोण पुलिस के प्रति बदलना चाहिए ?

मैं यह भी कहूंगा कि निस्सन्देह पुलिस विभाग में ऐसे आदमियों की कमी नहीं है, वे काफी तादाद में मौजूद हैं, और आम तौर पर जो नयी जेनरेशन गयी है उस के आचरण को देख कर यह आशा की जा सकती है कि पुलिस का जो असली काम है––लोगों की जान माल, और सम्मान की रक्षा करना, इस काम को वे अपनी जान को दे कर भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट में जो नाम गिनाये गये हैं मैं उन व्यक्तियों के प्रति सचमुच श्रद्धा के भाव प्रगट करना चाहता हूं तथा जिन्होंने अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर अपने कर्त्तव्य का पालन किया, उनकी प्रशंसा करता हूं। साथ ही कुछ पुलिस अधिकारी, जैसे सहारनपुर के एस० पी० के बारे में कहा गया, अगर ऐसे व्यक्ति विभाग में हों, तो सचमुच पुलिस की मान-

[आचार्य दीपंकर]

मर्यादा बढ़ सकती है। यह बात भी सही है जैसा कि मेरठ के एस० एस० पी० श्री बैजल थे, जिनका एक दुर्घटना में देहांत हो गया, जिस प्रकार किसी जन नेता का सम्मान होता है उसी प्रकार आज भी उस व्यक्ति का मेरठ जिले में सम्मान है। मैं यह नहीं कहता कि विभाग निर्जीव हो गया है अच्छे आदमियों से, या सारे के सारे आदमी पुलिस के नाम को कलंकित करने वाले हैं। लेकिन सवाल पूरे इन्स्टीटयूशन और उसकी कार्य-प्रणाली, जिन आदर्शों और नियमों से प्रेरित होकर यह विभाग काम करता है, की आलोचना का है। जहां तक तमाम बातें हैं, वहां पर यह बात भी बिलकुल स्पष्ट है कि पुलिस के बड़े और छोटे अधिकारी पुलिस की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा को बट्टा लगाने वाले हैं और जन-जीवन को उन्होंने भ्रष्टाचारियों से मिल कर बहुत कठिन और दुखमय बना दिया है।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता और न यह बात उचित है कि जिस प्रकार से कि इस बहस ने रूप धारण कर लिया विरोधी पक्ष और कांग्रेस पक्ष का, इस बात को देख कर कम से कम व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत व्यथित हुआ। पुलिस अगर पतित हो, शासन चलाने की और जनजीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर हो, अगर वह पार्टीबाजी के शिकार हों, गैरजिम्मेदारी का व्यवहार करें, तो उससे कष्ट विरोधियों को भी पहुंचेगा और आराम उस से शासक पार्टियों को भी नहीं पहुंचेगा। इस बात को हर एक व्यक्तिगत रूप से अपनी जगह पर देख सकता है। सवाल इस बात का है कि आज उस में सुधार की किन-किन बातों की जरूरत है तो वह मैं एक-एक करके रखना चाहता हूं। मैं किसी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में जाना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी थाने में जाकर क्यों न देखा जाय ? पूरे का पूरा थाना, कुछ अपवादों को छोड़कर आज दलालों के ऊपर टिका हुआ है। चाहे शहर का थाना हो चाहे देहात का थाना हो, दलालों के बगैर वह चल नहीं सकता। ये दलाल जो कि घृणित जन्तु समझे जाते हैं, जो पतित हैं, वे पुलिस के जरिये अपना भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं और पुलिस का भी स्वार्थ सिद्ध करवाते हैं और जनजीवन को यन्त्रणामय बनाते हैं।

दूसरी बात रपट के सम्बन्ध में है। इसमें आंकड़े दिये गये हैं। मुझे खुशी हुई कि कुछ कम से कम कागज में ही सही इस बात की कोशिश की गयी है कि अपराध घट रहे हैं, कागज में घट गये, दिमाग में हैं कि घटना चाहिए, यही बहुत खुशी की बात है। लेकिन वस्तुतः अपराधों की संख्या घट गयी है, इसमें सन्देह है। तीन चार थानों का मैं आप से अर्ज करूं, बागपत, बड़ौत, बिन्नौली, छपरौली, ये थाने कोई मेरी कांस्टीटयूएंसी से ही सम्बन्ध नहीं रखते, बल्कि ये भूतपूर्व माल मन्त्री की कांस्टीटयूएंसी से सम्बन्ध रखने वाले थाने हैं, इसलिए यह बात नहीं है कि केवल विरोधियों के क्षेत्र के थानों में ही ये बातें होती हों, कोई राजनैतिक आदर्श इन पुलिस वालों के सामने नहीं होता। तो जब कोई डाका पड़ता है, आदमी रपट कराने जाता है डाके की, तो मार-पीट के उलटा उससे कहा जाता है कि चोरी की रपट हम लिखेंगे और वह भी बगैर रिश्वत दिये हुये नहीं। माननीय मुख्य मन्त्री जी बहुत परेशान होते हैं जब भ्रष्टाचार और रिश्वत की बात होती है। कहते हैं कि नाम ही मत लो, तुम को तो सब को एक वहम हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी और अन्यान्य मन्त्रिगण जो आज ऐसा अनुभव करते हैं उनकी आत्मा शायद इतनी तल्लीन हो गयी है भ्रष्टाचार में कि अब उस भ्रष्टाचार का अनुभव करना ही उन्होंने बन्द कर दिया है, यह वेदना उनको होनी बन्द हो गयी है। इसलिए उन्हें परेशानी होती है कि नाम क्यों लेते हो भ्रष्टाचार का। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी रपट आज बिना पैसा दिये हुये लिखी नहीं जाती है और उसमें भी रपट बदली जाती है, डकैती की रपट कराने जाता है तो चोरी लिखी जाती है और इस तरह से डकैतियों की संख्या घटी होगी, क्योंकि जहां तक अपने अपने जिलों की बात है अपने अपने इलाकों में हम सब यह अनुभव करते हैं कि डकैतियों में कोई कमी नहीं आयी है। कागज में जरूर कमी हो गयी है।

इसी तरह से हत्यायें बढ़ीं, वे कागज में भी बढ़ी हैं और मौके पर भी बढ़ी हैं। इन हत्याओं के जो रेकर्ड्स दिये गये हैं उनके बारे में अगर इस किताब में यह भी लिखा होता कि अगर १०० हत्यायें हुयीं तो इनमें से ८०, ९० या कितने प्रतिशत में पुलिस ने पता लगा लिया तो इससे उनकी एफिशियेंसी का भी पता लग जाता, खानपुर गांव में—मेरठ की बात है—एक औरत मारी गयी और मारकर पेड़ पर उसकी लाश टांग दी गयी, वहीं टंगी हुई उसकी लाश मिली। इस प्रकार की नृशंस हत्यायें होती हैं। मेरठ जिले में कम से कम १५, १६ हत्यायें दिन दहाड़े हुयीं और तीन चार के बारे में आदमी लापता हैं, इस विषय को रपट लिखायी गयी, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला है। कोई तहकीकात नहीं की जाती। अगर कुछ कहा जाता है तो गोलमोल जवाब देकर टाल दिया जाता है। इसी प्रकार से जो बाकी दूसरे अपराध हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। और जब इसके खिलाफ आवाज उठायी जाती है तो उसमें कठिनाई होती है।

बदकिस्मती से हमारे मेरठ जिले में ऐसे एस० पी० मिल गये हैं कि जितने दलाल दारोगाओं के सुना करते थे वे अब उनके हो गये हैं। अब एस० पी० का सीधे दलालों के साथ सम्बन्ध है, हिट्रीशीटर के साथ है। कभी भी अगर सिपाही की शिकायत हो तो दरोगा से राहत मांगी जाती है और अगर दारोगा से कोई तकलीफ हो तो डी० एस० पी० से राहत मांगी जाती है; और डी० एस० पी० अगर अनसुनी करे तो एस० पी० को जाकर पकड़ा जाता है। मगर जिस सारे कुये में ही भांग पड़ी हो तो वहां पर कौन बचाव कर सकता है। हमारे यहां एक एस० एस० पी० हैं। वह भले आदमी जरूर हैं मगर इसका मतलब यह है कि वह इतने कमजोर हैं किसी की मदद करना चाहें तो उसकी मदद नहीं कर सकते हैं। नतीजा यह होता है कि पूरे जिले में, जो एक महत्वपूर्ण जिला है, उस जिले में एस० पी० और दारोगा मिलकर इस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं कि मैं आप को क्या बतलाऊं? १२ तारीख को टीकरी गांव में सट्टे के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा और उनको पकड़ कर एक पेशाब की नाली में डाल दिया और कहा कि तुमको सांस नहीं लेने देंगे जब तक कि पेशाब की एक घूंट नहीं पी लोगे। बताइये कि यह कौन सी ताजीरात हिन्द की दफा में लिखा है या किस कायदे कानून के अनुसार है। इस तरह की यातनाओं के साथ मनुष्य से व्यवहार करके पुलिस अधिकारी कौन-सा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं? यह आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से तमाम बातों को देखते हुये और यह अनुभव करते हुये पुलिस के प्रति अगर जनता के और पार्टियों का व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका कारण पार्टी नहीं है और इसका कारण जनता नहीं है बल्कि पुलिस ने अपने व्यवहार में, अपनी राजनीति में और अपने कार्यकलाप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया। इसलिए आज वही दृष्टिकोण जनता का है जो कि अंग्रेजी राज्य में था।

इसी प्रकार से पुलिस की इन्टरनल फंक्शनिंग की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन में पहले भी कई मर्तबा यह बात कही गयी कि एस० पी० के पास ४, ५ आदमी कोई अर्दली और घरेलू नौकर और कोई कुछ के नाम पर ८, १० सिपाही तैनात होते हैं। सदन में जब उस समय के पुलिस मन्त्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि वे इस प्रकार से सिपाही रखने के बजाय रसोइये के रूप में दूसरा आदमी रख सकते हैं और काम के लिए दूसरा आदमी रख सकते हैं। अब उस पुरानी सुविधा के साथ-साथ जो यह सुविधा दी गयी उसको भी उन्होंने कायम रखा। इसी तरह से उन सिपाहियों के साथ उनका ऐसा व्यवहार है जैसे कि अपने निजी नौकर के साथ होता है। इसी के साथ इन्स्पेक्टर, सर्किल इन्स्पेक्टर, और सी० ओ० के साथ अनुशासन के नाम पर एक आम व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे घरेलू नौकर के साथ होता है। मैं आपके जरिये से इस सदन में इस बात की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुशासन के नाम पर उन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, घरेलू नौकर की तरह से ट्रीट करना बिलकुल मुनासिब नहीं है।

[आचार्य दीपंकर]

इसी तरह से जो ए० पी० ओ० की वर्दी है और गवाहों को जिस प्रकार से किराया दिया जाता है इन दोनों चीजों का असर यह पड़ता है कि पुलिस के वे हमेशा एजेन्ट होते हैं और उनकी ही गवाही होती है। चाहे आपने ज्यादती की हो या दूसरे ने ज्यादती की हो, जो कभी अदालतें के सामने गवाह पेश किये जाते हैं वे पुलिस के एजेन्ट होते हैं। वे आम तौर पर उस इलाके में बदनाम होते हैं। उनका यह नपा तुला तरीका होता है। वे किराये के दलाल होते हैं, जो पुलिस के गवाह बनते हैं।

इसी के साथ एक बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही होती है, तो आम तौर पर वहां के लोकल अफसरान करते हैं और ऊपर तक ये बात नहीं जा पाती हैं। अगर जाती हैं तो पूरी तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है और विभागीय कार्यवाही भी इस तरह से होती है कि या तो उसको बदल दिया जाता है, उसको जरूरत से ज्यादा सजा दी जाती है या फिर जानबूझ कर अनसुनी की जाती है। एक बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन और पहरेदारी का काम करने वाले अलग-अलग होने चाहियें। जो व्यक्ति इलाकों में घूम कर पहरेदारी करता है उसे अगर १२ घंटे तक घूमने के बाद दूसरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन का काम करना पड़ता है तो वह जो इन्क्वायरी करता है और जो रिपोर्ट लिखता है वह अदालतों में नाकामयाब होती है और जनता भी सही इन्वेस्टिगेशन न हो पाने के कारण न्याय नहीं पा पाती। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का और पहरेदारी का काम करन वाले अलग-अलग होने चाहिये।

इस प्रदेश में तनख्वाहों का जो ग्रेड है उस में कुछ पुराने ग्रेड दिये गये थे और कुछ सिपाहियों ने अपनी इच्छा से उनको स्वीकार किया था। आज भी हमारे कुछ सिपाही ऐसे हैं कि जो पुराने ग्रेड के हिसाब से १०, १५ रुपय तनख्वाह में कम पा रहे हैं। ऐसे मुलाजिमों के केसेज पर विचार होना चाहिए।

यह जो बातें कही जाती हैं कि संख्या कम होने के कारण इन-एफिशियेंसी है, इसको मैं नहीं मानता। अगर एक थाने में १५ के बजाय २० या २५ सिपाही रख दिये जायं तो व्यवस्था वहां की ठीक हो जायगी, ऐसा मैं नहीं मानता। यह एक अतिरिक्त खर्चा बढ़ना है। मेरा सुझाव है कि उन्हीं अधिकारियों को अधिक साधन दिये जायं और ऐसा कर के उनकी एफिशियेंसी बढ़ायी जा सकती है।

आखिरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पूरी की पूरी पुलिस की व्यवस्था में अगर आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, वैचारिक परिवर्तन नहीं होता और यही रीति-नीति जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है उसमें आमूल परिवर्तन नहीं होता तो पुलिस और आम जनता के बीच में जो एक विरोध की खाई खड़ी हुई है वह टूट नहीं सकती और सही जनतांत्रिक व्यवस्था हमारे प्रदेश में कायम नहीं हो सकती।

(श्री उपाध्यक्ष ने श्री राजदेव उपाध्याय का नाम पुकारा।)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)----श्रीमन्, जो यह दो चार मिनट आप नेताओं को दे देते हैं उसके कारण हमारे ४, ६ आदमी बोले बिना ही रह जाते हैं। नेताओं को तो यूं ही काफी समय मिलता है और उनके लिए हम लोगों के हकूक क्यों छीने जाते हैं? तीन, चार मिनट उन लोगों के बढ़ा दिये जाते हैं और सदन के दूसरे सदस्य बिना बोले रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट का भी समय किसी को ज्यादा नहीं देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। आपकी बात पर विचार किया जायगा।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, अगर मुझे समय दिया जाय तो मैं सारी पोल खोल दूंगा। ये नेता लोग तो बनावटी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है। अभी आप बैठिये।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह जो पुलिस सम्बन्धी अनुदान पेश किया गया है मैं उसका समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करन के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कुछ विरोधी भाइयों ने पुलिस के बारे में कड़ी से कड़ी शिकायत की। यह विभाग ऐसा है कि जिसके बारे में शिकायत की जा सकती है और इस बारे में हम लोग और विरोध के भाई दो राय रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पुलिस का क्या कर्त्तव्य होता है और उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है जनता की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा के प्रति, इसके बारे में भी हमारे विरोधी भाइयों को जरा ठंढे दिल से विचार करना चाहिए।

अभी-अभी कुछ दिनों पहले की बात है, गांजे की चोरी के सम्बन्ध में। मैं देवरिया जनपद के कसिया की हालत बतला रहा हूं। वहां पुलिस का एक बहुत तगड़ा नौजवान, जिसकी उम्र करीब २४, २५ साल की थी, सब-इन्सपेक्टर पुलिस पडरौना थाने में तैनात था उसे पता चला कि मोटर पर लाद कर क ीब दो, ढाई मन गांजा कुछ लोग कसिया रोड से इलाहाबाद की तरफ ले जा रहे थे। मोटर रवाना होने के पहले ठीक कसया अस्पताल के सामने वह थानेदार अपने दीवान के साथ अपना दल लिये हुये पहुंचा और सड़क के दोनों तरफ खड़ा हो गया। फिर मोटर पहुंची, १५/२० मिनट के बाद गोली चली और उसी समय गोली के साथ वह २४ वर्ष का नौजवान धराशायी हो गया। तो मेरे मित्र इस तरफ भी ध्यान दें। इनका कितना बड़ा कर्त्तव्य होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा के लिए ? चोरियों का पता लगाने में, डकैतियों का पता लगाने में, अन्याय और अत्याचार को दबाने के लिए कितनी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, उसको भी हमारे मित्रों को सोचना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-- माननीय बालक राम जी से, और विशेष कर सभी समाजवादी पार्टी के सदस्यों से, यह कहना चाहता हूं कि उनकी एक यह आदत सी हो गयी है कि जब भी कोई बोलने के लिए खड़ा होता है, तब वे विघ्न डालते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री राजदेव उपाध्याय--मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि यह आप को मानना पड़ेगा कि आज की पुलिस में और पहले की पुलिस में जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। अगर आप ठंढे दिल से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, पहले से बढ़ा नहीं है, और इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। पुलिस में काफी सुधार हुआ है और इस में, यह भी सही है, अभी बहुत कुछ सुधार होना बाकी है।

हमें खुशी है कि आज पुलिस का यह विभाग एक ऐसे विद्वान आदमी के हाथ में है जिसके प्रयत्नों से वह दिन दूर नहीं है कि इसमें और भी काफी सुधार होगा और अधिक से अधिक कामयाबी हमें मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह पुलिस का कर्त्तव्य ही ऐसा है कि जब तक हम और आप ईमानदारी के साथ, ठंढे दिल से, उस पर विचार न करें, तब तक हमारी समझ में नहीं आयेगा। जब तक हम उनको अपना सहयोग नहीं देंगे तब तक यह चोरियां व डकैतियां कुछ बन्द नहीं होंगी।

मैं कसिया का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। दुधिया थाने ने एक बैल की चोरी का मामला पकड़ा और उस पर मुकदमा चलाया। वह मुकदमा कसिया कोर्ट में आया। पुलिस ने उस पर केस को चलाया। बाद में क्या हुआ कि जो मुद्दई था उस मुलजिम से कुछ रुपये खा लिये और वह टूट गया। अब जब मुद्दई ही रुपये खाकर टूट गया तो केस खराब हो गया। अब पुलिस क्या करे ? पुलिस इन्स्पेक्टर ने कहा कि जब यह मुझे २५० रुपये दे रहा था तो मैंने नहीं लिये और उसका मुकदमा चलाया लेकिन इसने खुद ही रुपये लेकर केस को बिगाड़ दिया। तो इस तरह के केसेज भी हो जाते हैं जिसमें पुलिस को परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए हमारी आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि हम उनका साथ दें।

[श्री राजदेव उपाध्याय]

भ्रष्टाचार के बारे में और अनुशासनहीनता के बारे में अभी-अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि प्रशासन में पुलिस के मसले को लेकर, आज कुनबापरस्ती और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैं यह साफ-साफ कहना चाहता हूं कि जिस श्रेष्ठता का उदाहरण आज हमारी पुलिस दे रही है वह कोई दे नहीं सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो पुलिस को बदनाम किया जाता है उसका कारण क्या है। हमारे यह विरोधी लोग, जो भी डकैतियों के मुकदमे होते हैं, उनमें मुलजिमों की जमानतें करते हैं; उनको छुड़ाने के लिए, उनको मुकदमे लड़ने के लिए, पैसा देते हैं। यह विरोधी पार्टी के नेता उनकी सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं। नतीजा यह होता है कि चोरियां, डकैतियां, अन्याय बढ़ता है। बहुत से मुकदमे जो चोरी, डकैती, कत्ल, आदि के होते हैं, मैंने देखा है कि उनकी सपोर्ट में अगर कोई विरोधी पार्टी का आदमी पुलिस थाने में पहुंच जाता है तो थानेदार डर जाता है, तगड़ेपन से काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह डरता है कि सरकार में और जनता में हमारी शिकायत होगी और हमारे विरुद्ध प्रोपेगेन्डा होगा। इसलिए वह कर्त्तव्य से विमुख हो जाता है और इस चीज में इन राजनीतिक दलों का बड़ा भारी हाथ है।

मैं आपको पूर्वी देवरिया के जनपद का किस्सा बताना चाहता हूं। एक बड़ा भारी हिस्ट्री शीटर था, एस० डी० एम० कसिया की कोर्ट से मुकदमा उसका फैसल हुआ है। ३ साल की कहानी है, मैं उसका नाम नहीं बतलाऊंगा। एक साजिश का मुकदमा चला, साल भर की सजा उसको हुई और सफाई देने में पी० एस० पी० के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्त्ता वहां आये, एस० डी० एम० के जजमेंट में लिखा हुआ है और अन्त में साल भर की सजा हुई। ऐसे ऐसे गुन्डों और हिस्ट्री शीटरों का साथ देने के लिए विरोधी तत्व आकर खड़ हो जाते हैं और पार्टी का नाम बदनाम करते हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष--आप बाद में जवाब दीजियेगा।

(श्री गौरीशंकर राय के स्थान न ग्रहण करने पर और कुछ कहने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष--मैं कहता हूं, आप बैठें।

श्री राजदेव उपाध्याय--इन्होंने ही भ्रष्टाचार फैला रखा है, श्रीमन्।

श्री गौरीशंकर राय--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने क्रिमिनल के पक्ष में गवाही दी, इस तरह की बातें वह कहते चले जायं, क्या यह ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष--बिलकुल ठीक है। आप रोज कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस के लोग ऐसा कर रहे हैं। आप कृपया बैठिये। व्यवस्था में किसी की व्यक्तिगत शिकायत के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं उठ सकता है, लेकिन दलों के बारे में ऐसी बातें कही जा सकती हैं।

श्री गौरीशंकर राय--यहां तो "Devil is quoting scriptures" इनको भी हम जानते हैं, इसलिए उनके मुंह से ये बातें अजीब सी लगती हैं।

श्री राजदेव उपाध्याय--मैं देवरिया जनपद के पूर्वी हिस्से की कहानी ४-५ साल की बताता हूं। माधों सिंह एक बड़ा भारी जमींदार था और जनता में उसकी बड़ी ख्याति थी। वहां अपोजीशन पार्टी के नेताओं और वालंटियरों ने ड्रामा किया और उसकी हत्या रूपी पिक्चर वहां खींची गयी और उसकी लड़की की शादी कराने के लिए ड्रामे में सारा साजो सामान किया गया और नतीजा यह हुआ कि माधो सिंह कांड देवरिया के अन्दर गूंज रहा है। उसको कुछ दिनों के बाद हत्या कर दी गयी। उसको मारने में अपोजीशन पार्टी का बड़ा भारी हाथ था,

पी० एस० पी० के नेता भी शामिल थे, बड़ी करुण कहानी है। श्रीमन्, आये दिन इस प्रकार की हरकतें होती हैं और पुलिस को अपने कर्त्तव्य से विमुख करने के लिए, ठीक से कार्यवाही न करने देने के लिए, दिन-रात एक न एक षडयन्त्र किया जाता है जिसमें पुलिस और सरकार जिलों में बदनाम हो। और, श्रीमन्, जब कोई सही बात कही जाती है तो सुनने के लिए हमारे अपोजीशन के भाई तैयार नहीं हैं कि कम से कम हम अपने भाई की सही बात ठंढे दिल से सुनें और ठंढे दिल से जवाब दें जैसे कि हम सुनते हैं। तो मैं आपका इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, हमको मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय भगवतीसिंह विशारद।

श्री गौरीशंकर राय--मुझे केवल १० मिनट का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय भगवती सिंह विशारद बोलेंगे। यह कोई पर्सनल एक्स-प्लेनेशन का मौका नहीं है। आप कृपा करके बैठें।

श्री गौरीशंकर राय--मैं निवेदन कर रहा हूं कि.....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझौते की बात नहीं मान सकता। क्या माननीय भगवतीसिंह विशारद बोलना नहीं चाहते?

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गौरीशंकर राय--मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा...

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें। यह तरीका अच्छा नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद--उपाध्यक्ष महोदय, देवरिया जिले के माननीय सदस्य अभी भाषण कर रहे थे। मैं उनकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देना चाहता क्योंकि उनका भाषण ग्राहक की कहानी और उसी की जबानी था।

जो प्रस्ताव माननीय चन्द्रजीत जी ने उपस्थित किया है मैं उस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास था कि आदरणीय मन्त्री जी ने जो अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उन्होंने उसके कारण और अनुदान के व्यय करने के कारणों और उद्देश्यों का वर्णन किया, यदि उनकी तनिक भी पूर्ति गत वर्ष हुई होती या भविष्य में भी पूर्ति होने की तनिक भी झलक प्रतीत होती तो सदन इसको पूर्णरूप से स्वीकार करता, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके प्रतिकूल हमारे प्रदेश में डकैतियां बढ़ी हैं, हमारे प्रदेश में राहजनी बढ़ी हैं, हमारे प्रदेश में हत्यायें और दंगे बढ़े हैं। तो फिर इस प्रकार के अनुदान का स्वीकार करना कोई मुनासिब बात नहीं है। हमारे प्रदेश में जो सब से भयंकर बात इस समय हो रही है वह यह है कि साधारण नागरिकों में सुरक्षा की भावना, सेन्स आफ सिक्योरिटी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है।

आज जो साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं वह अपने साथ लठैत लेकर चलता है, अपने साथ पहरेदार रखता है। यही नहीं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री के पास जहां पहले एक-एक शैडो थे अब उन्होंने दो-दो कर लिये हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में दिन प्रति दिन सुरक्षा की भावना कम होती जा रही है। श्रीमन्, इसी तर्क में मैं एक प्रमाण और प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे जिले में कलेक्टर के यहां जाने का अवसर मिला, मुझे कमिश्नर के यहां जाने का अवसर मिला, और मुझे लखनऊ में माननीय सहकारिता मन्त्री, गृह मन्त्री, मुख्य मन्त्री या दूसरे मन्त्रियों के यहां जाने का अवसर मिला या फेमिली प्लानिंग के बड़े समर्थक माननीय स्वास्थ्य मन्त्री के यहां जाने का अवसर मिला, तो मैंने वहां पर देखा कि सात-सात पुलिस जवान डटे हैं। मैं नहीं समझ पाया कि पुलिस के सात-सात जवान इन सबके यहां क्यों रहते हैं। इनका क्या

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

कार्य है, क्या यह उन के गृह-कार्य में मदद करते हैं या सुरक्षा के लिए रहते हैं ? अगर उनका यह काम है कि सुरक्षा के लिए वहां पर रहें, तो मैं आप के द्वारा मन्त्रियों से पूछना चाहता हूं कि पिछले १२ वर्षों में क्या उनके पास कोई कारूं का खजाना आ गया है जिसके कारण उनके यहां डकैती या किसी और तरह की बात होने की आशंका है ? मेरी जानकारी है कि सब हमारे साथी कार्यकर्त्ता और नेता हैं, हम सबको मुश्किल से ३१ तारीख मिलती है तो फिर कहां से डकैती की गुन्जाइश पैदा हो जाती है ? साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों के द्वारा व्यवहार में भी कोई दुर्व्यवहार नहीं हो सकता जिससे किसी व्यक्ति से डर हो सके कि वह हत्या कर सकता है या उनके साथ कोई दूसरा दुर्व्यवहार कर सकता है। तब फिर सात-सात जवान पुलिस के जो लगे रहते हैं उसका क्या कारण है ? इसका एक ही कारण है कि आज प्रदेश के साधारण नागरिक से लेकर माननीय मुख्य मन्त्री तक में यह भावना पैदा हो गयी है कि सेन्स आफ सिक्योरिटी की कमी है, सुरक्षा की भावना की कमी है। तो मैं चाहता हूं कि इस भयंकर खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हो। आज हम सबका पुनीत कर्त्तव्य है कि आज हमारे प्रदेश में इस बात की भावना बढ़े कि हम हर तरह से सुरक्षित हैं।

आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के बीसियों विभाग हैं, सहकारिता विभाग, माल विभाग, स्वास्थ्य विभाग। माननीय गृह मन्त्री जी के पास भी दो और विभाग हैं सूचना और शिक्षा? लेकिन आज किसी भी मुहकमे से इस बात की शिकायत नहीं आयी कि उसके किसी आला अफसर ने किसी साधारण नागरिक के साथ मारपीट की हो। लेकिन पुलिस विभाग के बारे में हर जिले से ऐसी शिकायतें आती हैं कि थानेदार, हेड कानिस्टिबिल या कानिस्टबिल ने साधारण नागरिकों को मारा पीटा। इस तरह की बात क्यों होती है ? अगर मैं इन फिगर्स को कम से कम कहूं तो हर जिले से १५-२० शिकायतें इस तरह की जरूर ही आती हैं। जब इन शिकायतों के सन्दर्भ में जानने का प्रयत्न करता हूं तो इसके कुछ विशेष कारण मुझे मालूम होते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि हर पुलिस अधिकारी को आई० पी० सी० में इस बात की सुविधा प्रदान की गयी है सेक्शन १३२ के तहत में कि अगर वह किसी आदमी के साथ गुड फेथ में ज्यादती भी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह गुड फेथ तो हर आदमी की खुद की नीयत पर निर्भर करता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस बात की सिफारिश करे कि आई० पी० सी० का सेक्शन १३२ निकाल दिया जाय।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ एक और कारण है। अगर आज किसी पुलिस के अधिकारी के ऊपर मुकदमा चलाये जाने की आवश्यकता हो तो उस से पहले सरकार से इस बात की इजाजत लेने की आवयश्कता होती है। हमारे संविधान में प्रदेश और देश के सब नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है फिर इस बात की क्या आवश्यकता है कि नागरिकों और पुलिस के अधिकारियों के बीच में भेद पैदा किया जाय और उन पर मुकदमा चलाये जाने के लिए सरकार से इजाजत लेने की जरूरत हो ? मेरी यह भी मांग है कि सरकार को इस प्रकार के सेक्शन को हटा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार का प्रोटेक्शन जनतन्त्र की भावना के प्रतिकूल भी है। हमारे देश में जनतन्त्र की पद्धति इंगलैन्ड से ली गयी है लेकिन वहां पर इस प्रकार पुलिस को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कोई धारा नहीं है। अतः इस प्रकार की धारा हटायी जाय जिससे पुलिस में ज्यादा से ज्यादा सेवा की भावना पैदा हो सके।

हमारे प्रदेश में ला ऐण्ड आर्डर कायम रखने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर है। मेरे विचार में वह जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होनी चाहिए। पुलिस को अधिक से अधिक पावर्स दी जानी चाहिए लेकिन इसके साथ ही साथ उसका डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिए। आज उस के विरुद्ध जो मारपीट और घूसखोरी की शिकायतें आती हैं वह जल्दी दूर हो जायेगी यदि पुलिस को अन्तरिम जिला परिषद्, म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन्स के हाथ में दे दिया जायगा।

फर्रुखाबाद में एक विद्यार्थी को गोली से मार दिया गया, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। उन्नाव जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही इसी पक्ष में तीन बार गोली चली। जिसमें ७ आदमी जान से मारे गये और १२ घायल हुये। पी० एस० पी० की बटैलियन वहां पड़ी हुई है लेकिन सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करने जैसी अभी वहां कोई चीज नहीं है। सरकार शीघ्रातिशीघ्र इस ओर ध्यान दे। मैं इन शब्दों के साथ, माननीय चन्द्रजीत यादव ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आपने इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन ही नहीं करता परन्तु यह भी समझता हूं कि यह अनुदान बहुत ही कम है और इसे और ज्यादा होना चाहिए था। इसलिए कम है कि सारा शासन पुलिस पर ही चलता है तथा उसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। अगर पुलिस और फौज को इतनी ताकत नहीं दी जायगी तो इस मुल्क का शासन नहीं चल सकता।

आजकल लोग ऐसा समझ रहे हैं कि पुलिस के अन्दर बहुत भ्रष्टाचार है? लेकिन उन के खयाल से भी सोच कर हम को आप को देखना चाहिए कि उनकी नौकरी क्या है और उसके लिए उन की तनख्वाह क्या है। मेरा तो सुझाव है कि पुलिस के सिपाही की तनख्वाह १०० रु० से कम किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से थानेदार की तनख्वाह १५० रु० है, तथा उसे घोड़े का भत्ता २५ ० महीना मिलता है। अब यह सोचने की बात है कि अगर एक घोड़ा जिसे दो सेर इस वक्त और दो सेर उस वक्त दाना दिया जायगा तथा इसके अलावा घास आदि भी दिया जायगा, तो यह सारा खर्च २५ रु० में कैसे निभ सकेगा ? ४०, ४५ रुपया महीना तो उसे केवल दाना खर्च के लिए ही मिलना चाहिए, इसके अलावा दूध आदि के लिए मिले। तो सरकार को चाहिए कि वह नियमों में इस तरह का परिवर्तन करे जिससे पुलिस वालों के सारे साधन आसानी से प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ हमको जनता में ऐसा प्रचार करना चाहिए कि उन की भावना ऐसी हो जाय जिस से कोई डकैती न करे, कत्ल न करे, चोरी आदि न करे। आज गांवों के अन्दर पार्टीबन्दी इतनी बढ़ गयी है कि कोई एक दूसरे को देखने के लिए तैयार नहीं है। एक एलेक्शन नहीं खत्म होता है कि दूसरा और तीसरा इलेक्शन सामने आ जाता है।

सच्ची बात तो यह है कि जब तक हमारे अन्दर एजुकेशन कम है तब तक हम डेमोक्रेसी को सही तौर पर नहीं चला सकते हैं। यह मुल्क डेमोक्रेसी के काबिल था ही नहीं। यह तो महात्मा जी तथा कुछ नेताओं की वजह से यहां डेमोक्रेसी चल रही है वरना हम शासन चलाने के काबिल नहीं हैं। जब तक एजुकेशन की तरक्की न हो तब तक डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। डेमोक्रेसी तभी होनी चाहिए जब कि कोई भी आदमी मुकाबले में खड़ा हो जाय तो उसे वह अपना दुश्मन नहीं समझे। आजकल हालत तो यह है कि एक एम० एल० ए० के मुकाबले में दूसरा एम० एल० ए० खड़ा हो जाता है। जहां तक मेरा अपना प्रश्न है मैं तो जब भी खड़ा होता हूं तो सब के साथ प्रेम भाव ही रखता हूं चाहे कोई किसी पार्टी का भी हो। मेरा तो कहना है कि कोई जनसंघ का हो, हिन्दू महासभा का हो या सोशलिस्ट पार्टी का हो, जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए कि वह जिसको उचित समझे अपना वोट दे। इसलिए पुलिस वालों के साथ भी प्रेम और मुहब्बत का व्यवहार करना चाहिए और उनके अन्दर ऐसी भावना भरनी चाहिए कि वे जनता के सेवक हैं। यदि ऐसा हो जाय कि सब कोई आपस में बैठ कर प्रेम से कोई स्कीम बनावें तो देश और प्रदेश का शासन बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पुलिस तथा उस के छोटे-छोटे आफिसरों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए जिससे वे जनता की सेवा अच्छी तरह से कर सकें। जब तक आप उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ावेंगे तब तक यहां का शासन अच्छी तरह से नहीं चल सकेगा। अगर आप यह सोचें कि आप हमें गाली दें और हम आप को गाली दें तो गाली गलौज देने से तथा "भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार"

[श्री कल्याणराय]

बिलाने से इस मुल्क का शासन नहीं चल सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना है सरकार से और अपने साथियों से कि वह सहयोग से और मोहब्बत से पुलिस को जनता की सेवा करने को कहें।

मैं रामपुर की थोड़ी सी बातें कह दूं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे यहां रामपुर में एजुकेशन की बहुत कमी है। पहले तो जब स्टेट था तो दसवें दर्जे तक था। हमारे यहां रामपुर में पुलिस बहुत अच्छी है। यह विचार तो ठीक है कि पुलिस में अच्छी धारणा होनी चाहिए, वह हमारे यहां है, एस० पी० हालांकि सक्सेना हैं लेकिन वह बढ़िया हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। हमें हर जगह हर वक्त भ्रष्टाचार की ही बात न करनी चाहिए। वहां की पुलिस का व्यवहार अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं। परन्तु बुरे हों फिर भी एक तरफ से सब के लिए बुरा कहना ठीक नहीं है। हम लोगों में भी अच्छे बुरे हैं, वैसे ही पुलिस में भी हैं अच्छे बुरे, ईमानदार भी हैं, अच्छे भी हैं और बदमाश भी हैं। हम चाहते हैं कि जनसहयोग, मोहब्बत और इज्जत आप उनमें बढ़ायेंगे, इसी से हम उनको सम्हाल सकते हैं। अगर आप गालियां देकर उनको सम्हालना चाहेंगे तो नहीं सम्हाल सकते। अगर आप के ४ लड़के हैं और उनमें से एक को आप रोज उठते बैठते गालियां दें और बदमाश कहना शुरू कर दें तब वह अवश्य ही बदमाश हो जायगा। इसलिए भ्रष्टाचार की बात करना ज्यादा उचित नहीं है, बल्कि उनमें प्रेम और मोहब्बत बढ़ाना उचित है। वह अपनी गलतियों को दूर करें। अगर न कर सकें तो आई० जी०, डी० आई० जी० और मन्त्री जी मौजूद हैं, वह सुधार सकते हैं। अन्त में मेरी प्रार्थना है कि जो प्रस्तुत मन्त्री जी ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय और कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो इस विवाद में हिस्सा लेने की नहीं थी और न मेरा यह विचार है कि सदन में विवाद का स्तर गिरे। किसी भी माननीय सदस्य को यहां इतनी आसानी से व्यक्तिगत स्तर पर नहीं जाना चाहिये। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जहां तक शिष्टता का व्यवहार जा सकता है उस हद तक मैं जा सकता हूं और मैं समझता हूं कि आपने भी व्यवस्था दे दी है कि पार्टियों की बातें आ सकती हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--मैंने यह व्यवस्था दी है कि किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाया जा सकता लेकिन एक-दूसरे की पार्टियों के बारे में शिकायत होती रही है उसको कानूनी तौर पर नहीं रोका जा सकेगा। अच्छा है अगर आपस में सब कोई समझौता कर लें कि पार्टियों के बारे में भी एक दूसरे को न कहें।

श्री गौरीशंकर राय--मैं ऐसे मौके पर स्वयं कुछ कहना चाहता तो नहीं था लेकिन मौन रहना भी एक प्रकार की प्रवंचना होगी। मुझे शिकायत है कि माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कुछ मेम्बर रखे जाते हैं इस वास्ते कि जब कभी अवसर आये तो विभिन्न जिलों के लोगों को वह तैयार रहें गालियां देने के लिये, उनको प्रेरणा दी जाती है कि जिसको हम कहें उसको गालियां देते रहो। देवरिया जिले से हमारे साथी माननीय गेंदा सिंह जी हैं, और भी हमारे ऐसे साथी हैं, उनके लिये विशेष लोगों को नियुक्ति की गई है। कुछ लोगों की इस तरह की ड्यूटियां हैं जैसे हमारे माननीय श्री नारायण वर्मा जी हैं। उनको प्रेरणा रहती है कि वह अपना काम करते रहें सदन में, जैसे बच्चों का खेल होता है, वह खड़े हो जाते हैं, इस तरह का स्तर है। (हंसी) मैं समझता हूं यह हंसने की बात नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष--आशा है कि आप उत्तम उदाहरण पेश करेंगे।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, जब श्री गौरी शंकर राय भाषण देने उठे तो उन्होंने मेरा व्यक्तिगत नाम लेकर कहा। इस तरह का उनका व्यवहार उचित नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, वह जो कह रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--आप अभी बैठें।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी--मैं निवेदन कर ही रहा था, वह खड़े हो गये, आप उनका व्यवहार देख लें, आप उनकी अनुशासन-हीनता के लिये भर्त्सन करें और व्यक्तिगत आक्षेप भी उनका सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। वह वापस करें उसको।

श्री उपाध्यक्ष--आपकी बात मैंने सुन ली है, वह सीमा के बाहर नहीं गये हैं।

श्री गौरीशंकर राय--अभी हमारे मित्र प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की बात सुना रहे थे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह और माननीय गृह मंत्री जरा अपने सीने पर हाथ रखें। अभी कल का मामला है कि उधर के एक माननीय सदस्य ने अपनी पत्नी की हत्या की और माननीय गृह मंत्री ने उनको बचाया, गृह मंत्री ने लाश को बचाया और जिन पुलिस अधिकारियों ने उनकी रक्षा की, उनका यश गान करना तो उनका परम कर्तव्य ही था। अगर वह उनका यश-गान न करते तो कृतघ्न कहे जाते। उन्होंने अपने धर्म का ही पालन किया है, अगर न करते तो बुराई थी। इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं समझता हूं कि सदन में कोई माननीय सदस्य इस तरह का भाषण करें कि किसी पर दोष लगायें और कहें कि गृह मंत्री ने खून से बचाने की कोशिश की.....

श्री गौरीशंकर राय--श्रीमन्, मैंने....

श्री उपाध्यक्ष--आप बैठें, वह अभी बोल रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि यह अनुचित है और सदन की मर्यादा के विरुद्ध है, मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का लांछन लगाना उचित है?

श्री उपाध्यक्ष--किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह का लांछन लगाना अनुचित है और आशा है कि वह अब उससे परहेज करेंगे।

श्री सुरथबहादुरशाह--मान्यवर, जब कोई माननीय सदस्य इन पजेशन आफ दी हाउस (In possession of the House) हो तो क्या किसी माननीय सदस्य को मजाज हासिल है कि वह बोल सके?

श्री उपाध्यक्ष--आपने देखा नहीं, वह मेरी अनुमति से बोल रहे थे।

श्री गौरीशंकर राय--मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्नों में मेरे दो-तीन मिनट चले गये। ऐसा ही होगा तो तमाम समय मेरा तो इसी में निकल जायगा। मुझे बहुत कठिनाई हो जायगी बात पूरी करने में। मैं यह नहीं मानता कि हमारी तरफ बैठने वाले सभी सदस्य पूर्ण हैं या उधर वाले ही पूर्ण हैं? लेकिन जिस बात को मैं सदन में कहना नहीं चाहता था वह मुझे कहनी पड़ रही है। जिस जिले से आता हूं, वहां के लोग भी यहां बैठे हैं। वह सब मानते हैं कि किस ने, किन विधान सभा के सदस्यों ने ११० में गवाहियां दी हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर माननीय गृह मंत्री जी पता लगायें कि किस तरह से उन के विधायकों ने

[श्री गौरीशंकर राय]

११० में गवाहियां दी हैं। उन के बारे में मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि इन लोगों का क्रिमिनल्स से ताल्लुक है और वह लोग जिम्मेदार लोग नहीं हैं और पार्टी विशेष के होने के कारण लाभ उठाया गया है। जिले जिले में पार्टीबाजी है। मैं बताऊं कि कांग्रेस के नेता हैं, थोड़ा सी बात उनके विषय में कहना अपराध न होगा। एक अपराधी के ऊपर दस डकैतियों और ९ कत्लों का जुर्म बलिया में लगा था। एक दिन एक तमाशा होता है कि वह गायब कर दिया गया और वहां के एक बड़े वकील हैं, कांग्रेसी हैं, पहले पार्लियामेंट के सदस्य भी थे, उन्होंने लिख कर दिया कि वह मर गया, उसके खिलाफ अब सारे मुकदमे विदड्रा होने चाहिये, नाव डूब गई थी, उस में उसकी मृत्यु हो चुकी है। सारे केस विदड्रा हो गये और ७ मह ने बाद बलिया के शहर कोतवाल ने बक्सर में उसे पकड़ लिया। ५०० रुपये का उसे इनाम मिला। उन्हीं एम० पी० महोदय के कजिन ने जजेज कोर्ट की फाइल से चिट्ठी फाड़ डाली। पीलीभीत में आज कल जो एस० पी० हैं उस समय वह बलिया में थे, मंत्री जी बुलाकर पूछ लें। अगर मेरी बात असत्य होगी तो मैं विधान सभा की सदस्यता त्याग दूंगा। मैं आवेश में नहीं कह रहा हूं। उधर के हा बैठने वाले जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं उनमें जो माननीय गृहमंत्री के ग्रुप के नहीं हैं उन लोगों के ऊपर थानेदार से लेकर एस० पी० तक का और ऊपर के लोगों का क्रोध है।

मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र में अपराधी भी वोट देते हैं और प्रतिनिधियों की उनसे जान पहिचान होती है। मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल के लोग भी अपराधियों की मदद करते हैं तो दोषी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरों को अपराधी कहने के पहले और अपराधियों का मददगार कहने के पहले अगर अपने को देखने का कोई आइना होता तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता। अगर कोई थर्मामीटर होता तो हमारे माननीय मित्र कहने का साहस नहीं कर सकते थे . . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसी प्रश्न को बार-बार उठा रहे हैं। और कोई बात कहनी हो तो कहें।

श्री गौरीशंकर राय--सिद्धान्त की बात कह रहा हूं, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--आपको कुछ और बोलना है या नहीं पुलिस पर, या सिर्फ यह व्यक्तिगत बात ही है ?

श्री गौरीशंकर राय--मेरा प्वाइंट है कि पुलिस का इस्तेमाल आज पार्टीबाजी के लिये हो रहा है। इस तरह से पार्टीबाजी के लिए इस्तेमाल होगा तो देश और प्रदेश में प्रजातंत्र नहीं पनपेगा, वह नष्ट हो जाएगा। यह मेरी एक बात है और इसी तर्क की पुष्टि के लिये मैं जो कुछ बातें बता रहा हूं। इसलिये कि अभी बड़े प्रेम से मुस्कराते हुए मंत्री जी ने और दूसरे लोगों ने गाली . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप उसी बात को कह रहे हैं। आगे बढ़िये। बार-बार उन्हीं की तरफ इशारा न करें। आप अपनी बात कहिये।

श्री गौरीशंकर राय--मेरी बुद्धि में जो है, बोल रहा हूं। आप कह दें तो मैं बैठ जाऊंगा . . . .

श्री उपाध्यक्ष--जी नहीं, मैं यह नहीं चाहता . . . .

श्री गौरीशंकर राय--मेरी बुद्धि में जो है, बोल रहा हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप कहिये कि पुलिस का अत्याचार हो रहा है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, उसके आंकड़े और तथ्य पेश कीजिये, तो ठीक है, लेकिन एक माननीय सदस्य की ओर बार-बार इशारा नहीं करना चाहिए ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)--व्यवस्था का प्रश्न । कोई माननीय सदस्य जब बोल रहे हों तो जिस तरह से उपाध्यक्ष या अध्यक्ष चाहें उसी भाषा में और उसी प्रकार बोलें या अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार बोलें ? इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार बोल सकते हैं । लेकिन जो बात नियमानुसार आपत्ति जनक हो उसके लिये अध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि ऐसा करने से मना कर दें ।

श्री गौरीशंकर राय--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय या तो व्यवस्था के प्रश्न में गया है या आपके हुक्म देने में . . . .

श्री उपाध्यक्ष--अभी आपका समय तो मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं । आप बोलिये ।

श्री गौरीशंकर राय--केरल की पुलिस की चर्चा थी । हमने उसका बड़ा विरोध किया, सारे देश के लोगों ने उसका विरोध किया । हम उसको गलत समझते हैं । लेकिन हमारे प्रदेश में प्रजातंत्र के नाम लेने वाले लोग अगर पुलिस को उसी तरह से पार्टीबाजी में इस्तेमाल करें लीडर के पीछे थानेदार बंधे रहे, हर छोटे मामले में थानेदार को उस लीडर की तरफ देखना पड़े जो लीडर सरकार के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी से लिंक्ड समझे जाते हैं तो यह कहां तक उचित है ? वह शासन करता है जिले का या एस० पी० करता है ? उपाध्यक्ष महोदय, आपको जान कर आश्चर्य होगा एक अधिकारी ने कहा कि आज तो यह होता है, गांव में एक कहावत है कि "बछड़ा खूंटे के सहारे कूदता है" तो बछड़ा कभी कभी जाता है और पुलिस कप्तान से कहता है कि थानेदार का ट्रांसफर कर दो । उन्होंने कहा "क्यों कर दें" ? तो बछड़े ने कहा वह हमारा आदमी है । एक दिन एक आदमी के बारे में जिस पर क्रिमिनल चार्ज था, उसके संबंध में एक उधर के नेता दरोगा से कहने गये कि वह हमारा आदमी है, उसको छोड़ दो । दरोगा ने कहा कि आपका आदमी होने से उसका अपराध क्षमा तो नहीं हो जायगा । तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा खास आदमी है । मैं इसलिये कह रहा हूं कि वह कल तक ऐसा नहीं करते थे, लेकिन आज इस बात का नाज है कि गृह मंत्री से कह कर किसी थानेदार और एस० पी० का तबादला करा देंगे । इस प्रकार से अगर दबाव के साथ हमारे प्रदेश में पुलिस का शासन चला तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है, साथ ही पुलिस का भी कल्याण होने वाला नहीं है ।

अब पुलिस के बारे में कुछ थोड़ी बात कहना चाहता हूं । आज पुलिस कमीशन बैठा हुआ है और मैंने अपने थोड़े से सुझाव गृह मंत्री जी को दे दिये हैं और जब वह कमीशन के सामने जायंगे तो आशा है उन पर भी विचार होगा । लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आज थोड़ी देर बाद या कल जब गृह मंत्री का भाषण होगा तो पुलिस की प्रशंसा में होगा और जैसे अकबर के दरबार के दरबारी कहते थे कि "हुजूर का नाम बुलन्द" तो उसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्य उधर के पुलिस के प्रशासन का गुणगान करेंगे और समझेंगे कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया । शायद माननीय सदस्य जब पुलिस की प्रशंसा में बोलते हैं तो लगता है उनको कानपुर में चली गोली से आनन्द मिला हो, इलाहाबाद में गोली चलने से उन्हें प्रफुल्लता हुई हो । प्रत्येक विद्या मंदिर पर इस प्रकार पुलिस की तानाशाही, डंडे बरसाना, गोली वर्षा होने के बाद उधर के माननीय सदस्यों को पुलिस के प्रबन्ध से बड़ा आनन्द मिला होगा । विश्वविद्यालयों में अनुशासन रखने के

[श्री गौरीशंकर राय]

लिये यह काम किया गया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, संयोग से गृह मंत्री शिक्षा मंत्री भी हैं, कि उनकी पुलिस के गोली चलाने से, डंडा चलाने से क्या विद्यार्थियों के अनुशासन की दशा में कुछ प्रगति हुई है ? २०, २० आदमियों की जान लेने के बाद, डंडा चलाने के बाद, मुकदमा चलाने के बाद छात्रों तथा जनता में अनुशासन आ गया है ? मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कल को जो हमारे होने वाले समाज के नेता हैं, हमारी पीढ़ी हैं इसका उत्थान अगर गोली चलाने से हो जाता हो तो इस पर सोचना पड़ेगा । गोली चलाने से हमारी औलाद पूर्ण रूप से अनुशासित हो जायगी तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं और न होने वाला है । आज जगह जगह हर महीने, हर हफ्ते गोली चलवाने वाली सरकार किसी प्रकार भी प्रशंसा की पात्र नहीं हो सकती । कल मंत्री जी ने बताया था कि प्रदेश में पिछले साल से ६४ कत्ल ज्यादा बढ़े हैं । लेकिन इसके बाद भी उनके दरबारी मित्र कहेंगे, जो जनता से चुन कर आये हैं कि समाज में पूर्ण शान्ति और व्यवस्था है तथा पुलिस का शासन संतोषजनक है और इतने से ही वह अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार उनके कर्तव्य का पालन नहीं होता बल्कि दूसरे प्रकार से होता है ।

मैं फिर इतना कहूंगा कि पार्टीबाजी को किसी हद तक रोक दिया जाय, पुलिस का उपयोग पार्टी के लिये न किया जाय अन्यथा पुलिस तथा देश का कल्याण नहीं होगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप रोक दीजियेगा, मुझे डर लगता है, देवरिया जिले में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमे चलवाये गये, हर स्टेज पर सिफारिश की गई । लोअर कोर्ट से सजायें करवाईं, पर ऊपर के कोर्ट से वे लोग छूटे । उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा और हमें तो बड़ा दुख हुआ कि माननीय रामायणराय जी के पिता, जो पहले इस विधान सभा के सदस्य थे, श्री राजवंशी राय, पर जब मुकदमा चला तो उधर के विधान सभा के माननीय सदस्य और लोक सभा के माननीय सदस्य कोर्ट में जा कर बैठते थे, इसलिये कि मालूम हो लोगों को कि यह दिलचस्पी वाले लोग हैं । यह हमारी पैरवी का स्तर है । यह राजनीतिक दलबन्दी को हमारी मेआर है । अगर यही मेआर रहा तो यह प्रदेश कहां जायगा ? इससे प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है । हो सकता है कि माननीय गृह मंत्री कहें कि मुझे कुछ जोश आया हो, लेकिन यह जोश की बात नहीं है, यह होश की बात है और उन्हें भी सोचना है, क्योंकि छींटे सब के ऊपर पड़ते हैं । अंतिम समय तक वही गृह मंत्री नहीं बने रहेंगे । न गृह मन्त्री होना ही समाज और जीवन का अंतिम सत्य है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद जीवन के सब कार्य सफल हो जायेंगे। उक्त मामले के समय मैं खुद देवरिया गया था । लेकिन अब इसके बाद कुछ नहीं कहूंगा वरना वही चार्ज फिर आयद हो जायगा कि आप ऐसी बात कहते हैं जो व्यक्तिगत होती हैं ।

प्रदेश की जो पुलिस की व्यवस्था है उसके सिलसिले में मैं कहूंगा कि मैं आचार्य दीपंकर जी की बात से सहमत हूं कि संख्या से प्रशासन दुरुस्त नहीं हुआ करता। अगर एक जगह १० सिपाही हैं तो अधिक से अधिक १२ आप कर सकते हैं यह नहीं कि ५० कर देंगे । फिर हर घर के पीछे कोई सिपाही नहीं कर दिया जायगा । १० से १२ अगर आपने कर दिया तो सारे प्रदेश की व्यवस्था पर अन्तर नहीं पड़ेगा । सारे प्रदेश में मिला-जुला ऐडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सब पर असर पड़ता है । ऊपर की जो इकाइयां हैं पुलिस मुहकमे की उनको आप देखें । ८ साल पहले जब मुख्य मंत्री उस समय गृह मंत्री थे तब से पार्टीबाजी, कुनबापरस्ती से एक आदमी के खिलाफ दूसरे आदमी को प्रोमोशन दे कर आज उनका चेहरा काला है । बिरादरी बाजी के लिये नये डी० आई० जी० का पोस्ट बढ़ाई जाता है । सिपाही के लिये पैसा नहीं है, लेकिन डी० आई० जी० की पोस्ट के लिये पैसा है ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त ।

* * *

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने बड़े गर्म वातावरण में मेरे ऐसे पुराने विचार वाले आदमी को बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो वाद विवाद हुआ उसे सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। श्रीमन्, यहां पर जो लोग एकत्र हुए हैं वे इसलिए आये हुए हैं कि देश का व्यवस्था सुन्दर हो, हम देश के लिये सुन्दर से सुन्दर कानून बनायें। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, जो बातें उन्हें कहनी चाहिये उनको न कहकर दूसरी दूसरी बातें कहते हैं जिनसे कोई लाभ नहीं होता और न हो सकेगा।

मान्यवर, जहां तक विरोधी पार्टियों का सम्बन्ध है, इसका होना आवश्यक है और वे शुद्ध आलोचना करें, लेकिन जहां इनको सत परामर्श देने का अधिकार है वहां ऐसी बातों का उल्लेख करके जिनको साधारण से साधारण गांव का गंवार भी नहीं कहेगा वे अपनी महत्ता कम करते हैं।

पुलिस बजट का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे तो यह आता नहीं कि उनकी बात का जवाब दूं, गौरी शंकर राय जी को और इधर की बात का समर्थन करूं, यह मैंने कभी सीखा नहीं था। लेकिन कुछ बात जरूर मुझे कहनी है कि अगर यहां हमको और आपको करना है तो मैं समझता हूं कि यह काम ही बन्द हो जाना चाहिये, क्योंकि जिस उद्देश्य से आप और हम आये हुये हैं इस देश को ऊंचा उठाने के लिये उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अगर सही तरह से काम नहीं करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।

पुलिस के बारे में कहा गया, पुलिस मंत्री ने भी बहुत अधिक कहा कि हम इतने परिपूर्ण नहीं हो सके हैं कि हम यह कह सकें कि हमारी व्यवस्था बड़ी सुन्दर है, हमारे में कुछ कमी नहीं है— यह सारी बातें उन्होंने स्वीकार कीं। हमें और आपको इस वक्त यह सोचना है कि जो प्रचलित व्यवस्था है उसको किस तरह से आगे ले चलें ताकि उसमें जो भी त्रुटि हों उनको हम सही कर सकें। इसके लिये आपके सुझाव होने चाहिये यह भी मान लिया गया कि बहुत खराबी है, तो एक मर्तबा तबर्रा पढ़ देने से तो काम चलता नहीं। (व्यवधान) मैं किसी का जवाब नहीं देता और मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुन ली जाय। जवाब देने के लिये तो बहुत लोग आयेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसको आप विचार करें कि पुलिस की व्यवस्था में क्या सुधार हो सकता है। इस बारे में आप ठोस सुझाव दें। अगर आप किसी चीज की आलोचना ही करें तो उसके साथ साथ जो उसने किया है उसको भी तो कहें तब तो ठीक है। ऐसा तो नहीं होता कि निरन्तर अपने पथ से विचलित हो कर कोई जीवित रह सके।

पुलिस की गतिविधियों के सम्बन्ध में दो-तीन विचार मेरे सामने हैं जिन्हें मैं इस सदन के समक्ष रखता हूं और अगर उचित हों तो उनको अमल में लाया जाय। सब से जरूरी चीज तो यह है कि पुलिस के छोटे अफसरान, जैसे थानेदार, मुन्शी, सिपाही, वगैरह, इन्हीं के बारे में ज्यादा शिकायत मिलती है। इसके लिये मैं चाहता हूं कि जो उनकी १०-१२ महीने की ट्रेनिंग होती है तो उस ट्रेनिंग स्कूल में एक धर्मशास्त्र के अधिकारी अध्यापक की हैसियत से रख दिये जायं जो उन्हें पढ़ायें और कुछ इस तरह के चित्र बना लिये जायं और प्रदर्शित किये जायं कि जिसने घूस लिया उसका लड़का मर गया, वह कोढ़ी हो

नोट:—श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से (***) यह भाग निकाल दिया गया।

[श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी]

गया या उसके सब घर वाले बीमार पड़ गये हैं। तो इस तरह के कुछ चित्र इकट्ठे किये जायं और ट्रेनिंग पीरियड में मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके विचारों का परिवर्तन किया जाय। इसके अलावा पुलिस लाइनों में सत्य कथाओं का प्रचार किया जाय और उनको समझाया जाय। आधे पंडित और आधे अंग्रेज से काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष---अगर उन लोगों के पास दाढ़ी हो तो मेरा खयाल है कि ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। (हंसी)

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---तो इस तरह से अगर किया जाय तो ज्यादा लाभकर हो सकता है बजाय इसके कि यहां पर टीका-टिप्पणी की जाय। अगर किसी को सुधारना है तो उसे अपना मित्र बना कर ही सुधारा जा सकता है, दुश्मन बना कर आज तक किसी ने किसी को नहीं सुधारा है। आजादी के पहले पुलिस की एक व्यवस्था थी। उसी में वे पले हुए थे। वही आदमी हैं। जनता भी वही है। धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। यकायक १६ आने परिवर्तन इतनी जल्दी नहीं हो सकता। हमारे आपके सहयोग और मेहनत से वह भी सुधर जायंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से कहूंगा कि त्रुटियां हम सब में हैं। उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं। प्रक्रिया नियमावली रखी है। हम भी सैकड़ों गलतियां करते हैं। इसी प्रकार हम और आप उन त्रुटियों को, अपना बंधु समझ कर, विद्यार्थी समझ कर उन्हें बताएं और सही रूप से सहयोग करें। हम समझते हैं कि इस प्रकार हम उनकी ज्यादा मदद कर सकते हैं।

श्री सुरथबहादुरशाह---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या सरकारी दल के माननीय सदस्यों को उसी प्रकार बैठना चाहिए जैसे वह माननीय सदस्य बैठे हैं? (हंसी)

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी---मान्यवर, मैं कहने जा रहा था कि सिपाहियों की तनख्वाह कम है। मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया। अगर वह उनकी तनख्वाह नहीं बढ़वा सकते तो कम से कम उनके बच्चों की फीस माफ करवा दें। जहां तक हमारी जानकारी है, पी० ए० सी० के नौजवान जो हमेशा खतरे में रहते हैं उनको दो आने भत्ता मिलता है यानी ४ रुपया महीना। अगर उनको लखनऊ से बरेली या बनारस किसी दंगे में ड्यूटी पर जाना हुआ तो चार ही रुपये मिलेंगे। सूबेदार को श्रीमन्, तीन रुपये मिलते हैं। सब एक ही डिब्बे में चढ़ कर जाते हैं और साथ ही रहते हैं। अगर भत्ता बढ़ाना सम्भव नहीं है तो कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए। पी० ए० सी० के जवानों को अगर आप भोजन दे सकें और तनख्वाह आप वही रखें, क्योंकि वह २४ घंटे के नौकर हैं, तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप भोजन की व्यवस्था कर दें, तब भी उनके लिए संतोष होगा। वह आकर यहां पड़े हुए हैं, उनके लड़के वहां पढ़ रहे हैं, इसलिए अगर उनको भोजन दे सकें तो ज्यादा अच्छा है।

श्रीमन्, विश्वविद्यालय की भी चर्चा की गयी, और कानपुर की भी चर्चा की गयी। कानपुर के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो जब भी कोई बात ऐसी होगी कि जहां शांति की व्यवस्था भंग होगी तो वहां कोई न कोई प्रबन्ध करना पड़ेगा, चाहे पी० ए० सी० से करायें, चाहे पुलिस से करायें, आपको व्यवस्था करनी होगी। हमें तो यह सोचना है कि वह उपद्रव न हो, वह अशांति न हो, जिसके लिए कि पुलिस भेजनी पड़े, तो इसके लिए जो राय आप दें, वैसी व्यवस्था कर ली जाय।

आजमगढ़ के सम्बन्ध में श्रीमन्, हमारे एक चेला चन्द्रजीत यादव जी ने बहुत सी कठिनाइयां बयान कीं. . . . .

एक सदस्य---वह आपके चेला हैं?

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—जी हां, यह मैं इसलिए कह रहा हूं श्रीमन्, मुझको यह नहीं रहता, शिक्षा मन्त्री जी को बड़ी शिकायत रहती है कि आप सबके साथ चल देते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं रहता। तो वह हमारा चेला है। इसमें कोई शक नहीं। उसने आजमगढ़ की कुछ तकलीफों के बारे में बयान किया। लेकिन मैं कहता हूं कि उसमें उसने बड़ी अतिशयोक्ति की। वह यह कि यह तो एक चीज ऐसी है कि हमारे उनके सहयोग से काम हो सकता है। आजमगढ़ में इसमें कोई शक नहीं कि चार बड़ी बड़ी चोरियां पिछले पांच छः महीने के अन्तर्गत हुईं। उसमें एक तो इतनी बड़ी चोरी हुई कि उसके पास लोटा और थाली भी नहीं रही वहां के स्थानीय अधिकारियों ने जो कुछ उनसे हो सकता था कोशिश की, पता नहीं लगा सके। तो यह कहा जाय कि वह चोरी कराते थे या उनकी अकर्मण्यता थी तो यह हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

जहां तक एक कप्तान के सम्बन्ध में है कि वह बहुत दिन से वहां पर टिके हुए हैं और उनकी बदली नहीं होती, इस तरह की कुछ बात आयी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहले ऐसा था कि एक बुड्ढे आदमी पेंशनर कप्तान बनाकर भेजे गए। जाते वक्त उन्होंने बहुत काम किया, कुछ डाकुओं को पकड़ा। सभी पार्टियों ने उनकी तारीफ की और उनका समर्थन किया। हम लोगों ने भी सोचा कि जब तक हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चन्द्रजीत यादव जी को उनके रहने से यह खयाल होता है कि आजमगढ़ की पुलिस की व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी है तो यह कौन बड़ी भारी बात है? इस बात को वह अलग बताते, यहां सदन में इस तरह से कहने की जरूरत नहीं थी, वह तो छोड़ के भागना ही चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं। आई० जी० बैठे हुए हैं, वह छुट्टी नहीं देते, हमसे भी कई बार कहा कि छुट्टी दिलवा दीजिए, तो वह तो खुद ही जाना चाहते हैं, उसका इन्तजाम हो सकता है। उसमें ऐसी कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के बारे में मेरा निश्चित मत और दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान पुलिस विभाग चोरों, डकैतों का ठेकेदार और भूतपूर्व भूस्वामियों, कांग्रेसियों और शोषण करने वाले व्यक्तियों के हाथ का हथियार बना हुआ है। पुलिस को जहां कहा जाता है कि वह जनरक्षा के लिए है वहां पुलिस विभाग आज जनभक्षक बना हुआ है। उसके कारण क्या हैं? पहली चीज तो यह है कि जितने भी पुलिस विभाग के बड़े-बड़े अफसर हैं, ऊंचे ऊंचे अधिकारी हैं वह ज्यादातर उस वर्ग से आते हैं, उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने आज तक जनता का शोषण किया है, जमींदारी के नाते, या किसी और नाते गरीब जनता पिछड़े वर्ग और हरिजनों को हर तरह से पीड़ित किया है, सताया है, उसी वर्ग में से वह लोग आते हैं।

दूसरी बात, श्रीमन्, मैं उस जिले से आता हूं प्रतापगढ़ से जो कि अवध का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और सताया हुआ तथा निर्धन जिला है। जमींदारी विनाश के पूर्व वहां पर भूतपूर्व ताल्लुकेदारों का एक जाल बिछा हुआ था और उनका तत्कालीन सरकार तथा पुलिस पर जो प्रभाव था उसे इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य जानते हैं। जमींदारी विनाश होने पर भी बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों को कांग्रेस ने अपनी गोद में ले लिया है। आज राजा साहब भदरी.....

श्री उपाध्यक्ष—यह अनुचित है। किसी का नाम न लें।

श्री नन्दराम—वहां के वे बड़े राजा हैं जिनका राज १४ कोस तक फैला हुआ है। अब वह एक प्रान्त के गवर्नर बनाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप नाम ले रहे हैं इससे यह मालूम हो जायगा कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। इसलिय आप नाम का जिक्र न करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मान लीजिये कि प्रसंग में कहीं अगर हमको यह शंका हो कि किसी जिले के भूतपूर्व ताल्लुकेदार को ऊंचे पद पर विराजमान करके यह सरकार उस जिले की सारी सम्पत्ति, सारी प्रतिभा और चेतना का अपहरण कर रही है तो क्या इस प्रसंग में उसको नहीं आना चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष--इस तरह से माननीय सदस्य ने कहा होता तो मैं टोकता नहीं, उसके लिये मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री राजनारायण--इसी तरह से ये कहेंगे ।

श्री नन्दराम--इसी तरह से एक और ताल्लुकेदार हैं जो आज एम० एल० सी० हैं। एक और कांग्रेसी एम० एल० ए० हैं। उन सब के हाथ में वहां की वर्तमान पुलिस, चाहे एस०पी० हो, चाहे डी० एस० पी० हो, या थानेदार हो, सब उनके हाथ में खेल रहे हैं। यह वहां का उदाहरण है। मुझसे पहले जो वहां के एम० एल० ए० थे वह वहां की पुलिस कमेटी के मेम्बर भी थे। वहां की पुलिस उनके हाथ में खेला करती थी। उन्होंने पुलिस के द्वारा १०७ और ११७ के मुकदमे चलवाये थे। यह प्रतापगढ़ का उदाहरण है कि जितने मुकदमे वहां चले उतने मुकदमे और जिलों में नहीं चले होंगे।

श्रीमन्, वहां की पुलिस अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो वहां के कांग्रेसी शासक, कांग्रेसी नेता उसको सही ढंग से काम नहीं करने देते। इसको जाने दीजिये, यह तो हुआ है; लेकिन पिछले आम चुनाव में डी० एस० पी० और एस० पी० ने जाकर मेरे खिलाफ कन्वेसिंग की है और वहां के वोटरों को दबाया है और यह कहा है कि अगर तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ १०७ और ११७ के मुकदमे चलाये जायंगे। कांग्रेसियों के इशारे पर पुलिस इस तरह के काम करती है। उनके खिलाफ जाने की पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है। पुलिस उनके हाथ में खेलती है। उन की छत्रछाया में रहकर पुलिस तरह-तरह के अत्याचार और भ्रष्टाचार करती है और रिश्वत लेती है। अब इस वर्तमान पुलिस के समय में कहा जाता है कि जुर्म घटे।

अभी एक पुस्तिका हमारे सामने आयी है। उसके देखने से मालूम होता है कि सन् १९५७-५८ में दंगे और कत्ल बढ़े हैं। इसको देखने से साफ मालूम होता है कि चूंकि कत्ल की अनिवार्य रिपोर्ट लिखनी पड़ती है इसलिये उनकी संख्या बढ़ी है। कत्ल का मामला ऐसा नहीं है कि उस की रिपोर्ट को लिखा न जा सके। दंगे की रिपोर्ट भी आसानी से लिखी जाती है। उसमें पुलिस को कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन मैं प्रमाण के साथ कहता हूं कि चोरी की रिपोर्ट और डकैती की रिपोर्ट तो लगभग आधी भी नहीं लिखी जाती। इसलिये यह साबित हो रहा है कि वे ज्यादा हो रही हैं और इनकी संख्या बढ़ी है। दंगे और कत्ल की संख्या तो वैसे ही ज्यादा साबित हो रही है। इसी तरह से चोरी, डकैती और राहजनी बढ़ी हैं। इसका कारण क्या है ?

पुलिस में बढ़ोत्तरी होती है तो किन लोगों की ? जो बड़े आदमी हैं उनकी बढ़ोत्तरी होती है। अभी इस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि जो बड़े अफसर हैं--एस०पी० या डी० एस० पी० या आई० जी० या डी० आई० जी० या थानेदार वगैरा इनकी ५९ फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है जब कि कांस्टेबिलों की १३ फीसदी ही बढ़ोत्तरी हुई है। यही कारण है कि इन्तजाम ठीक नहीं हो रहा है। तनख्वाहें अनुपात से उचित नहीं हैं। कांस्टेबिल की तनख्वाह थोड़ी है। थानेदार की तनख्वाह बड़ी है, डी० एस० पी० की तनख्वाह और बड़ी है। कांस्टेबिल को इतनी तनख्वाह मिलती है कि जिसमें वह गुजारा नहीं कर सकता है। भूखा आदमी क्या करे ? इसलिये वह रिश्वत लेता है। रिश्वत लेना पाप है, लेकिन कम तनख्वाह वह लेता है इसलिये वह लेने के लिये मजबूर है। इसीलिये वहां की पुलिस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वहां के थानेदारों के बारे में मैंने एक दिन सामान्य विवाद के अवसर पर भी कहा था और फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कहा यह जाता है कि पुलिस विभाग जनता की रक्षा के लिये होता है। जहां तक रक्षा का सवाल है, जो बड़े वर्ग माने जाते हैं--ब्राह्मण, ठाकुर, वह काफी खुशहाल

हैं और उन में भी जो पढ़े-लिखे हैं वह ज्यादा खुशहाल रहे हैं। उनको पुलिस से रक्षा की जरूरत नहीं है। वे तो पुलिस से ही अपना हुकूमत कराते हैं। अगर रक्षा की आवश्यकता है तो जो छोटे वर्ग के आदमी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या हरिजन हैं या ऊंचा धोती पहनने वाले हैं, उनको वास्तव में रक्षा की आवश्यकता है। उनकी तो पुलिस रक्षा के स्थान पर भक्षा करती है। अभी मेरे साथियों ने कहा है कि १०९ के सारे के सारे झूठे मुकदमे उन पर चलाये जाते हैं। घर से बुला कर उनको पकड़ लिया जाता है, रास्ता चलते दिखलाये जाते हैं या किसी दूसरी गांव से दिखलाये जाते हैं और अगर १०९ के मुकदमों की जांच-पड़ताल की जाय तो ७५ तो क्या, मैं तो कहूंगा कि ८० और ९० फीसदी मुकदमे हरिजनों पर चलते हुए मिलेंगे और उनमें भी बहुत कम सच्चे होंगे। आज यह अन्याय हो रहा है।

इसके अलावा हमारे यहां का किस्सा है भिखारी के पुरवा का कि वहां पासियों को ब्राह्मणों की तरफ से पीटा गया और पासियों की तरफ से भी पीटा गया। लेकिन ब्राह्मणों की तरफ से तो १२५ का मुकदमा चल रहा है लेकिन पासियों की तरफ से जब वे रिपोर्ट लिखाने गये तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी गयी और जब सुपरिन्टेन्डेन्ट के यहां दरख्वास्त दी गयी तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने दावा दायर किया। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, मुझे भी एक मिनट का समय और दिया जाय। इसके अलावा एक गांव है उदियापुर। वहां एक भूतपूर्व जमींदार थे जिनको जमीन किसान सौ, डेढ़ सौ बरसों से जोतते चले आ रहे थे। हमारे यहां के एक कांग्रेसी महोदय ने उन किसानों की जमीन बिना उनको खबर दिलाये ही नीलाम करवा दी। जिसकी जमीन है उसको मालूम ही नहीं हुआ। किसान काबिज हैं, लेकिन पुलिस की मदद से उस जमीन को वह छिनवाना चाहते हैं जब कि जिलाधीश कहता है कि एग्रीकल्चर विभाग उन किसानों को बेदखल करेगा। लेकिन उनको बेदखल नहीं किया जा रहा है। गवर्नमेन्ट शायद इसकी इजाजत नहीं देगी या फिर हो सकता है कि उनके पास पैसा न हो। लेकिन पुलिस की मदद से वहां के काश्तकारों को पिटवाया गया है और वहां के हमारे दो सोशलिस्ट कार्यकर्ताओं पर, जो बहुत ही ऊंचे दर्जे के कार्यकर्ता हैं और पिछले दो मर्तबा हमारे एम० एल० ए० का चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनके ऊपर ४३६ का मुकदमा चलाया जा रहा है। एक गांव में सही मानों में डकैती पड़ी और वह पकड़ी भी गयी। एक डकैत पकड़ा गया। उसने अपने चार साथियों के नाम बताये। उसने एक आदमी का नाम माताफेर गुड़िया बताया। अब हमारे उस गांव में इस नाम के दो आदमी हैं। एक तो वाकई में बदमाश था, लेकिन वह एक कांग्रेसी का दोस्त था। उन्होंने उसको तो भगा दिया और दूसरा जो दसवें तक पढ़ा हुआ है, नौजवान है, जो डकैती में रहा नहीं, लेकिन उसे पकड़ने के लिये पुलिस दौड़ी।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पिछले कई वर्षों से पुलिस बजट पर लगातार मैं बहस सुनता रहा हूं। प्रान्त में जिस भी वह परिस्थिति का चित्रण यहां किया जाता है, मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या वह वाकई बिलकुल सही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह सरकार पुलिस विभाग को जिस तरह से चलाना चाहती है या जो सुरक्षा की स्थिति वह यहां देखना चाहती है, वह तो नहीं है और इसका बहुत सही प्रमाण यह है कि आज जब हम इस सदन में पुलिस के बजट के ऊपर विचार विनिमय कर रहे हैं तो उसके पहले एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति हो चुकी है। जाहिर है कि आज इस बजट के ऊपर जितना बहस मुबाहिसा है वह इस पृष्ठभूमि में हो रहा है कि एक पुलिस कमीशन मुकर्रर किया गया है जिसके टर्म्स आफ रेफरेंस बहुत वाइड हैं और वह तमाम बातें, जो कि सरकार चाहती है, वह परिवर्तन जो आज जरूरी है, वे सुझाव जिनके ऊपर इस कमीशन के जरिये से जांच-पड़ताल होना है, जो आज परिस्थिति इस पुलिस के मुहकमे की चल रही है, वह संतोषजनक नहीं है। पुलिस कमीशन की नियुक्ति के पहले इस बात को मंजूर किया गया है। वह उन सब बातों की जांच करेगा।

[श्री हरीश्चन्द्र अष्ठाना]

जहां तक इस विभाग में कर्मचारियों की संख्या का प्रश्न है, कुछ साथियों ने इसकी भी चर्चा की कि पुलिस विभाग की संख्या उतनी ही रही है जितनी कि पहले थी और इसकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिये थी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह सही बात है कि तादाद कम है और ३०—४० हजार की जनता के बीच में एक थाना, एक इन्सपेक्टर, एक सब-इंस्पेक्टर और १०—१२ कांस्टेबिल आते हैं, यह संख्या बहुत नाकाफी है। मैं एक बात इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आज तादाद बढ़ाने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि जहनियत को बदलने की है। पुलिस को जिस तरह से कार्य करना चाहिये था उस तरह से वह कार्य नहीं कर रही है, हमें इस बात को मंजूर करने में संकोच नहीं होना चाहिये। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पुलिस का बुनियादी कर्त्तव्य यह होता है कि वह व हुध और आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा ले सके, यह बात ठीक है। किन्तु जहां तक बाह्य सुरक्षा का ताल्लुक है उसकी जिम्मेदारी केवल हमारे प्रदेश की पुलिस पर ही नहीं है। उसका सम्बन्ध है जरूर, लेकिन पूरी जिम्मेदारी उस पर नहीं लादी जा सकती है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि लद्दाख में साल्ट लेक पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है, यह गलत बात है। पंडित जवाहर लाल जी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा है कि जिस साल्ट लेक पर चीनियों का कब्जा है, वह नई रोड जो चीनियों ने हमारी सीमा पर बनाई है उसके पार है और जो साल्ट लेक लद्दाख में हमारी सीमा में १०० मील के अन्दर है, उस पर उनका कब्जा नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज सीमा पर हैं उनसे यहां की सरकार का किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। ये सब बातें तो मैं नहीं जानता, राजा यादवेन्द्र दत्त साहब को हो सकता है इन बातों का ज्ञान हो। मैं समझता हूं इस तरह की सिक्योरिटी की बातें जनसाधारण को मालूम नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार की बातें आम जनता में कहने की नहीं हुआ करती हैं। लेकिन यह कहना कि हमारा और सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई ताल्लुक नहीं है, हम सुरक्षा के लिये कोई काम नहीं कर रहे हैं, बाहरी सुरक्षा खतरे में है, ठीक नहीं है। हम किसी तरह भी भय का वातावरण, फियर साइकोसिस, पैदा नहीं करना चाहते। यह नहीं कहा जा सकता है कि हम बाह्य सुरक्षा करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। हमारी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने यह माना है कि आज भी जहां तक हमारी सीमा पर सुरक्षा का ताल्लुक है हमारी प्राविन्शियल आर्म्ड कान्स्टेबुलरी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके लिये कोई बहुत ज्यादा चिन्ता की बात नहीं है।

अब जहां तक पुलिस विभाग की आलोचना करने का सवाल है, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि पुलिस विभाग के बारे में बहुत सी शिकायतें कहने के लिये एक सांस में कही जा सकती हैं और इन शिकायतों के कारण ही पुलिस कमीशन को बिठाया गया है, सही है। आज जो बहस चल रही है वह इस पृष्ठ भूमि में करनी चाहिये कि आज पुलिस कमीशन मुकर्रर हो चुका है और उसकी जो भी रिकमन्डेशन्स होंगी उनको माना जायेगा और उसके अनुसार इसमें परिवर्तन किया जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि आज हमें जहनियत को बदलने की जरूरत है। आज अगर हम कुछ डी० एस० पी० मुकर्रर कर दें, या एस० पी० मुकर्रर कर दें, या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें कुछ परिवर्तन कर दें, आज तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। मैं समझता हूं उसके अन्दर कुछ इस तरह की तब्दीली होनी चाहिये जिससे उनके सोचने और समझने की तरीके में, जनसम्पर्क के तरीके में एक परिवर्तन आये। यही जनसंपर्क की बात, जो पुस्तिका बांटी गयी है, इसमें पुलिस विभाग के अन्दर जन संपर्क की बात कही गयी है और कहा गया है कि पुलिस ने कर्टसी वीक मनाया गया और क्राइम प्रिवेंशन वीक का आयोजन किया गया; परन्तु उसका केवल अस्थायी-सा असर पड़ता है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज की आवश्यकता है कि जब जनता में पुलिस जाय तो जनता समझे कि कोई हमारी रक्षा करने वाला आया है। आज जो परिस्थिति है उसमें जनता को यह आश्वासन नहीं मिलता। मुझे तो खेद इस बात का है और मैं समझता हूं इस सदन में जितने जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, उन सब को भी होगा कि जब हम

जनता के बीच में जाते हैं और वहां जुर्म कोई हो जाता है तो सबसे अधिक देखने की चीज यह होती है कि पुलिस जब आने वाली होती है—और लाजमी है कि जब जुर्म हुआ है तो वह आये—लेकिन उसके आने से लोग आतंकित ज्यादा होते हैं, भय उनको ज्यादा लगता है; बजाय इसके कि वह यह सोचें कि हमारी सुरक्षा का साधन हो रहा है। तो जो जन-सम्पर्क पुलिस का समाज के साथ हो रहा है उसका रुख बदलने की जरूरत है, उसमें कुछ तब्दीली करने की जरूरत है। अगर जनता के मन में यह विश्वास दृढ़ हो जाय कि पुलिस का जो कर्मचारी है वह हमारी भलाई के लिये है, और उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद जो मुसीबत का सामना किसी जुर्म की वजह से करना पड़ता है उससे उनकी रक्षा होगी तभी वह सही जन-सम्पर्क होगा। यह बुनियादी मसला है और पुलिस कमीशन के सदस्यों को इस पर सोचना चाहिये और विभागीय अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिये कि आखिर यह जो वस्तु-स्थिति है इसको कैसे बदला जाय।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा, मेरे साथी कम्युनिस्ट पार्टी के उपनेता श्री चन्द्रजीत यादव ने सीतापुर के सम्बन्ध में यह बात कही कि एस० पी० की कार जा रही थी, उससे एक बिजली कर्मचारी टकरा गया और उसको लेजाकर थाने में पीटा गया। मैं समझता हूं यह बात बिलकुल ही सही नहीं है, बल्कि वाकया इस तरह से हुआ कि एक हेड कांस्टेबिल रिक्शा पर जा रहा था और जिस तरह से सड़क से टकराने की बात कही गई वह वाकया हुआ और उसके बाद उसको पीटा गया और सीतापुर में उसके प्रोटेस्ट में हड़ताल हुई। लेकिन अधिकारियों के नोटिस में आने के बाद उन्होंने घोषणा की थी कि उस कांस्टेबुल को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जा रही है। इसलिये जहां तक इस बात का ताल्लुक है, उसमें थोड़ा-सा मैं समझता हूं उनकी तरफ से सही बात नहीं कही गयी।

मेरे लायक दोस्त—सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य—डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा साहब को बहुत शिकायत है हर गांव थाने से। वह इत्तेफाक से मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पड़ता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इस सदन का कोई सदस्य, सदस्य ही नहीं अगर वह साधारण नागरिक है और उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि उसको हवालात में प्यास लगे और पानी को बाहर रखा जाय तो यह बड़ी शर्मनाक बात है और जाहिर है कि जो ऐसा करे वह सजा का मुस्तहक है; मगर मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यदि हमारे लायक दोस्त यह तहैया कर लें कि हम महीने में दो बार सत्याग्रह जरूर करेंगे तो जहां उनके कुछ नागरिक अधिकार हैं उनकी एक सीमा भी होती है। आप अगर बराबर, मुतवातिर उन सीमाओं का उल्लंघन करते रहें तो लोगों के सोचने की बात है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक-मिर्च तो नहीं मिला हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि डाक्टर साहब ने जो बात कही है वह गलत है, और जाहिर है कि मंत्री जी ने उसका नोटिस लिया होगा और यह उनके अधिकार क्षेत्र की चीज है कि वह उचित कार्यवाही करें, लेकिन जहां माननीय सदस्य दूसरे के लिये सीमायें निर्धारित करते हैं वहां थोड़ी सी अपने लिये भी सीमा निर्धारित करेंगे, यह हमें आशा है।

जितनी बातें हमने पुलिस के सम्बन्ध में रखीं, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जहां और बुराइयों का ताल्लुक है, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में कही जाती है कि उसके बारे में बहुत शिकायतें हैं, लेकिन उसके थोड़े से और पहलू भी हैं और मैं समझता हूं कि पुलिस के जो काम प्रशंसा के हुये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात कही है, जिन पुलिस वालों ने अपना कर्त्तव्य पालन किया है, अपनी जानें दी हैं, उनको हमें बधाई देनी चाहिये।

इसके अलावा पुलिस विभाग ने और भी जो कार्य किये हैं, मसलन कुत्तों का दल है, उसने प्रशंसनीय कार्य किया है। लेकिन साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, पुलिस मुहकमे में वह १९वीं शताब्दि का चला आ रहा है, जब कि दुनिया आज बहुत आगे बढ़ गयी है। मैं समझता हूं कि जो ढांचा है और जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है, उसमें कुछ साइन्टिफिक परिवर्तन होना चाहिए, कुछ अनुसंधानशालायें होनी चाहिए और पुलिस के सारे के सारे विभाग

[श्री हरीशचन्द्र अष्ठाना]

के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए; और वह न केवल उनकी तादाद में हो, या ढांचे में हो, बल्कि साथ ही साथ उनकी जहनियत में भी परिवर्तन होना चाहिए।

श्री खयाली राम (जिला लखनऊ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि पार्टी के अत्यधिक प्रयास के बावजूद भी, कि मुझे समय न मिल सके, आपने मुझे इस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। श्रीमन्, मैं, इधर और उधर दोनों तरफ के सदस्यों की बातों को सुनकर, माननीय चन्द्रजीत जी यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज माननीय मन्त्री जी के द्वारा इस प्रदेश के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं उनको अगर देखा जाय तो पता चलता है कि सेंध लगाने के जुर्म में कमी हुई है, लेकिन मैं कहूंगा कि सेंध लगाने और चोरी वगैरह की जो रिपोर्टें होती हैं वह शायद एक परसेंट भी थानों में दर्ज नहीं की जाती हैं। स्वयं मेरे द्वारा दो चार उदाहरण ऐसे हैं, मेरे द्वारा तहरीर जाने पर भी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गयी। इसलिए ये जो आंकड़े हैं, यह बिलकुल सत्य से परे हैं।

श्रीमन्, मेरा यह अनुभव है कि आज भ्रष्टाचार और जरायम अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में १०० गुने से ज्यादा बढ़ गये हैं। इसका श्रेय किस को है? भ्रष्टाचार का श्रेय तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मन्त्री को है और जरायम के लिए कहा जा सकता है कि इसका श्रेय माननीय गृह मन्त्री जी को है। उदाहरणस्वरूप मैं आप के द्वारा कुछ बातें रखना चाहता हूं। सन् १९५७ में यहां इसी लखनऊ के जिले में, थाना मोहनलालगंज में तशखीस के समय एक लोध की हत्या थाना इन्चार्ज और एक कांस्टेबिल के द्वारा हो गयी, वे दोनों पांडेय थे। एक बहुत प्रभावशाली कांग्रेसी आये हमारे गृह मन्त्री जी के पास और उन्होंने कहा कि उन्हें बचाना चाहिए। तो उन्हें बचाकर के श्रीमन्, एक परिगणित जाति के जाटव गंगादास को उस केस में फांसा गया था और एक सलीम नाम के मुसलमान को फांसा गया था। इस तरह से किया जाता है, तो मैं कहूंगा कि अगर एक कातिल आदमी को इस तरह का प्रोत्साहन प्रदेश के गृह मन्त्री द्वारा मिल जायगा, तो वह पुनः कत्ल करने में जरा भी नहीं हिचकेगा।

जहां तक मैंने यह कहा कि भ्रष्टाचार का श्रेय सम्पूर्णानन्द जी को है, वह तो बराबर सदन में भी कहा करते हैं और अगर २९ जनवरी, १९५९ का स्वतन्त्र भारत देखा जाय तो कुछ शिकायतें उनके पास आयीं, जो कांग्रेसी लोगों की थीं। उन्होंने बहुत जोश में कहा कि उनको आप भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं वह तो हमारे और तुम्हारे ही तो लड़के हैं। तो, श्रीमन्, अगर भ्रष्टाचार करने वाले हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी के और उनके दोस्तों के लड़के हैं तो क्या कत्ल करने वाले और राहजनी, चोरी और डाकाजनी करने वाले क्या दूसरे देश के हैं? वह भी तो अपने देश के हैं। इस तरह से तो सारी पुलिस को खत्म कर देना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब अपने ही तो बच्चे हैं, करें जो कुछ करना हो। इन्हीं कारणों से, श्रीमन्, आज भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिल रहा है। आज जब वह माननीय मुख्य मन्त्री की बात को सुनते हैं तो उनके हृदय गद्गद् हो जाते हैं कि प्रदेश का जो सर्वेसर्वा अधिकारी है वह ऐसे शब्द कहता है।

मेरे यहां एक थाना इन्चार्ज सन् १९५८ में श्री लक्ष्मीबिहारी वर्मा गये। उन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल में लगभग ८०,००० रुपये के लागत के दो मकान लखनऊ में बनवाये। मैंने मुख्य मन्त्री जी को खत भेजा और यहां अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी किये मगर कोई उत्तर मन्त्री जी द्वारा देने का कष्ट नहीं किया गया। शिकायत तो डी० आई० जी० से लगाकर नीचे तक कोई ५० गयी होंगी, लेकिन वे सब बेकार हुईं। एक कम्प्लेंट अफसर थे—पांडेय, उन्होंने थाना इन्चार्ज से एक शिकायत पर १५० रुपये, सेकेन्ड आफिसर से १०० रुपये, हेड कांस्टेबिल से ७५ रुपये और कांस्टेबिल से ५० रुपये बांध रखे थे। चाहे जितनी शिकायतें जावें, सब बेकार। मन्त्री जी द्वारा जो आंकड़े हैं, उनमें यह भी कहा गया है कि उन को परेशान करने

के लिए शिकायतें की गयीं। देहातों के गरीब लोग झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलते हैं बड़े आदमी जो शोषण करने की शक्ति हमेशा से रखते आये हैं। गोसाईंगंज थाने में, जहां लक्ष्मी-बिहारी वर्मा थे, वहां सेकेन्ड आफिसर एक हरिजन बैरागीराम था। ५०० रुपये केस में लिये उन्होंने और थाना इन्चार्ज ने तफतीश के लिए भेजा अपने सहायक को। वह छुट्टी पर चले गये और उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, दो एक गवाह बनाकर, उस हरिजन सेकेन्ड आफिसर को मुअत्तल करवा दिया गया। मैंने अधिकारियों से कहा कि उनके विरुद्ध शिकायत बिलकुल निराधार है, मगर मैं चूंकि विरोधी दल का हूं, हरिजन हूं और गरीब हूं, मेरी बात नहीं मानी गयी। आजकल सही बात उसकी मानी जाती है जो पहले जमींदार रहा हो, अब किसी पद पर हो और कांग्रेस का हो।

आज हमारे जिले में कांग्रेसी विधायकों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--क्या आप लोगों ने कसम खा ली है कि ऐसी बात जरूर कहेंगे और बीच बीच में विघ्न उपस्थित करेंगे ?

श्री खयालीराम--मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। बन्थरा थाने के नेवागांव के हरिजनों से अभी तक एक पुराने जमींदार द्वारा बेगार ली गयी है। मैंने पुलिस अधिकारियों से कहा और मुख्य मन्त्री जी को भी लिखा लेकिन १०७ में दोनों पर मुकदमा चला दिया गया। हरिजन परेशान हो रहे हैं, हालांकि भूतपूर्व जमींदारों का कुछ भी नहीं बिगड़ा क्योंकि वे लखनऊ में ही ज्यादातर रहते हैं। इस प्रकार पक्षपात हो रहा है।

मैं इस हाउस के मन्त्रियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि अपनी गलती को मान लेना महानता है और उस बुराई को दूर करना विशेष महानता है। जब तक ये मिनिस्टर साहेबान अपनी कुनबा-परस्ती और जाति-पांति की नीति नहीं बदलेंगे तब तक देश में भ्रष्टाचार तथा जरायम बढ़ते रहेंगे; और मेरा जहां तक खयाल है, जब तक अपने देश में पूंजीवाद की महानता रहगी, तब तक हर आदमी भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा करने की कोशिश करेगा।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्री जी ने यह जो पुलिस की ग्रान्ट हाउस के सामने पेश की है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने बहुत से मेम्बरान की तकरीर, जो अपोजीशन में है, सुनीं। उनका एक ही रवैया है और उन्होंने अपने उस रवैये में कमी नहीं की, न कर सकते हैं क्योंकि अपोजीशन के मानी ही यही हैं कि मुखालिफत करो। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हेल्दी अपोजीशन हो तो अच्छा है। यहां पर जो मेम्बरान मुखालिफत में हैं उन्होंने ऐसा रवैया अख्तियार कर रखा है कि झूठ-सच जो भी हो, उसकी मुखालिफत करो। ऐसा रवैया कभी भी इस सूबे या इस मुल्क के हक में नहीं हो सकता। जहां अपोजीशन के ऐसे खयालात पुलिस के बारे में हैं कि उन्होंने ऐसे-ऐसे काम किये वहां उन्हें यह भी कहना चाहिए कि उन्होंने ये अच्छे काम किये। मैं किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह एक प्रिंसिपल है कि हम जब भी बहस करें, उसमें हमारा हेल्दी अपोजीशन होना चाहिए। एक साहब मुख्य मन्त्री जी पर हमला करते हैं तो दूसरे साहब गृह मन्त्री जी पर हमला करते हैं। मेरे खयाल में यह चीज इस हाउस के मेम्बरान के लायक नहीं है।

कानपुर में मिस्ट्री मर्डर्स हुए, वहां बहुत ही बेचैनी फैली, लोगों ने कहा कि पुलिस कुछ नहीं करती है, लेकिन पुलिस ने दिन रात काम किया। आई० जी० और कानपुर के डी० आई० जी० रात को साइकिलों पर घूमे और वह आदमी, जिसको कनपटी मार कहा जाता था, पकड़ा गया।

[श्री एस० जी० दत्त]

× × × ×

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि लोगों के सामने पुलिस का इतनी बुरी शेप न रखें जिससे यह जाहिर हो कि ये बिलकुल क्रिमिनल्स हैं, कुछ करते नहीं हैं और इन्हीं की वजह से सब क्राइम्स बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें, जो पुलिस के खिलाफ कही जाती हैं वे सब गलत हैं।

एक साहब ने तो कह दिया कि राजा महाराजाओं के खानदान से पुलिस में भर्ती की जाती है लेकिन असलियत यह है कि आजकल पुलिस में जो भर्ती होती है उसमें हरिजन भाइयों को ही ज्यादा मौका दिया जाता है। यह बात भी कही गयी कि पुलिस वाले कांग्रेस वालों की ही ज्यादा बात सुनते हैं, लेकिन सच तो यह है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पुलिस वाले कांग्रेस वालों की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि अपोजीशन पार्टी की बात ही ज्यादा मानते हैं, क्योंकि अक्सर वे सत्याग्रह आदि करते रहते हैं तो पुलिस वाले भी सोचते हैं और डरते हैं कि चलो इनसे कौन झगड़ा मोल ले, जो ये कहते हैं इनकी बात मान ही लो। इस तरह से अपनी उल्टी सीधी बातें वे पुलिस से करवाते हैं। कांग्रेस वाले बेचारे तो इस मामले में बिलकुल बेकार साबित होते हैं।

कानपुर के बारे में आप को बताऊं। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ था। कानपुर जैसे टाउन में, जहां कि सब पोलिटीकल पार्टीज ने अपने-अपने उम्मीदवार खड़े किये थे, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अगर यह पुलिस का इंतजाम नहीं था तो राजनारायण जी बतावें किसका इन्तजाम था ?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय दत्त जी और सभी लोग इस बात को समझ लें कि तरीका यह है कि माननीय सदस्य चेयर को एड्रेस करें। आप लोग आपस में वाद-विवाद करने लगते हैं, इससे तमाम परेशानियां होने लगती हैं।

श्री एस० जी० दत्त--कोई शख्स अपने आपको कामिल नहीं कह सकता। हर एक में कमजोरियां हैं। दो काम अच्छे करे और एक काम बिगड़ जाय तो उसके ऊपर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। अगर हमारी पुलिस रक्षा न करे तो एक-एक घर सेफ न हो। इस डेमोक्रेसी में बहुत से लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। हमारे माननीय सदस्य इस हाउस में भी नाजायज फायदा उठा जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो क्राइम करने वाले हैं। अगर पुलिस न हो तो क्राइम बढ़ जाय। ऐसा नहीं है कि सभी फरिश्ते हों और पुलिस की कोई जरूरत न हो। जहां पुलिस के खराब काम होते हैं---हम भी गलतियां करते हैं---वहां अच्छे काम भी हैं, उनको सराहना करनी चाहिये।

कोई कहता है कि यह रिपोर्ट गलत है। जो क्राइम के इसमें शुमार दिये गये हैं, वह सही नहीं हैं। एक साहब कह रहे थे कि एक परसेन्ट भी दाखिल नहीं करते हैं। अगर एक परसेन्ट भी नहीं करते तो जीरो परसेन्ट हुआ। तो इस रिपोर्ट में जीरो होना चाहिए था। ऐसी बात कहना सदस्यों के काबिल नहीं है। हमें वह बात कहनी चाहिये जो कि लोगों को और इस हाउस को जंच जाय।

लेडीज हाकी मैच हुआ। वहां हमारे पढ़े-लिखे लड़कों ने ईंट बरसाने शुरू किये। किस मुल्क में यह जायज है कि अपनी मां बहिनें खेलें और उन्हीं के ऊपर पत्थर बरसायें। अगर उसमें पुलिस न होती तो जो ग्रीन पार्क में मैच हुआ था न मालूम वहां एक-एक लड़की की क्या हालत होती। तो पुलिस तो प्रोटेक्ट करे और उस पर एतराज करें कि फायर कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया, यह गलत चीज है।

नोट--(× × ×) उक्त अंश श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मैं कुछ कांस्टेबिल और हेडकांस्टेबिल के बारे में भी कहना चाहता हूं। बेशक, उनकी तनख्वाह कम है। मैंने कई बार कहा है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय, उनकी हाउसिंग प्राबलम को हल किया जाय, भत्ते बढ़ाये जायं। लेकिन साथ ही यह भी कहना है कि कभी-कभी कुछ सिपाही और हेड कांस्टेबिल अपनी हद से बाहर हो जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि किसी आदमी का कोई सहारा नहीं है। ऐसे मौकों पर उनको कम से कम रोका ही जाय। इन शब्दों के साथ मैं पुलिस अनुदान का समर्थन करता हूं।

× × ×

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, जिस पुलिस की जिम्मेदारी इस प्रांत की सुरक्षा की है अगर उसी के आदमी, हत्या के अपराध में, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के अपराधों में, मुलजिम हों तो वास्तव में यह सोच और निन्दा का विषय होगा। और इस प्रांत के अन्दर ऐसे तमाम सबूत हैं और इस पुस्तक में भी हैं कि हत्या के अभियोग में पुलिस के अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है। मैं माननीय चन्द्रजीत यादव द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये करता हूं कि यही बात नहीं है कि पुलिस के रवैये में कुछ बदलाव हुआ हो, बल्कि भ्रष्टाचार भी दुगना चौगुना होता चला जा रहा है और उसका सुनने वाला कोई नहीं है। मुझे तो सबसे बड़ी शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से है कि वह लोग नहीं सुनते। कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि किसी उच्च अधिकारी ने ठिकाने से जांच की हो ताकि यह चीजें दूर हो जायं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं और मंत्री जी का ध्यान खासतौर से इस ओर दिलाऊंगा।

मैं अपने जिले गोंडा की बात कहता हूं कि वहां मनकापुर एक थाना है उसके जो इन्चार्ज हैं, नाम तो लेना ठीक नहीं है, उनके भाई भी कुछ दिन पहले वहीं के इन्चार्ज थे और वहीं ६० एकड़ जमीन रियासत बलरामपुर से ली थी और उस पर फार्म खोला। बड़ा जब शोर मचा तो उसका ट्रांसफर हुआ लेकिन अब उनके छोटे भाई वहां पहुंच गये और वही आतंक शुरू हो गया। मैंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, आई० जी० को पत्र लिखा, जिसका जवाब यह मिला कि चूंकि फार्म उनकी भावज के नाम है लिहाजा कानूनन वह रहने के अधिकारी हैं। मैं कोई चोट पहुंचाने के लिये नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर है कि वहां के आदमी उनसे काफी पीड़ित हैं। हम लोग कप्तान के पास गये और सारी बातें बतायीं, उन आदमियों को ले गये जिन पर अत्याचार हुआ और उनकी बातें सुनकर कप्तान साहब द्रवित भी हुए; लेकिन फिर बाद में उन्होंने, न मालूम किस जोर में, कह दिया कि अब यह नामुमकिन है हमारे लिये, क्योंकि अगर फार्म इनके नाम होता तो वह नहीं रह सकते थे लेकिन भाई और भावज के नाम अगर फार्म हो तो रह सकते हैं।

दूसरी मिसाल अभी चन्द दिन की बात है। हमारे यहां वजीरगंज थाना है, वहां के एक अहीर की हत्या हुई और उसके बाप को थानेदार ने ट्रक में बैठाया और बेटे की लाश ली और २ दिन तक उसके बाप को गायब रखा। बिना लिखा पढ़ा आदमी है। उसका अंगूठा लगा हुआ है रिपोर्ट पर। रिपोर्ट लिखा ली कि पता नहीं किसने मारा? चार दिन बाद छूटने पर ए० डी० एम० कोर्ट में दरख्वास्त दी कि फलां आदमी ने मारा है और थानेदार की साजिश से मारा है। थानेदार ५ मिनट में वहां पहुंच गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।

एक जिन्दा मिसाल मैं आपको बतलाता हूं, पिछले वर्ष भी कह चुका हूं, कोतवाली के निकट बलरामपुर में ५० गज पर एक हत्या हुई। एक बड़ा आदमी वहां का मारा गया और वह आदमी वहीं पर घूम रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस के रवैये में जो

नोट--(× × ×) उक्त अंश श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा से कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री बलदेवसिंह]

तब्दीली नहीं हो रही है, उसका कारण यह है कि इस विभाग के आफिसर्स जो हैं वे इतने आराम-तलब बन गये हैं कि सिवा कागजात के मौके पर जा कर देखने की तकलीफ गवारा नहीं करते, वर्ना पुलिस का रवैया बदल जाय।

इस महकमे से भ्रष्टाचार दूर करने के लिये भ्रष्टाचार निवारक समिति बनी। उस समिति में दो सदस्य हैं। डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स उसका इन्चार्ज है, वह देखभाल करता है लेकिन जितनी दरख्वास्तें मैंने इस भ्रष्टाचार समिति में भेजीं, एक भी जवाब ६ महीने के अन्दर मिला हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। तंग आकर मैंने उस कमेटी में जाना बन्द कर दिया और वह कमेटी मरणासन्न हो गयी है। इसके अलावा अब रात दिन गोली कांड होते हैं, लोग परेशान हैं पुलिस की व्यवस्था से। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में अच्छे आदमी हैं ही नहीं। सुयोग्य और ईमानदार आदमी भी हैं लेकिन ज्यादा संख्या छोटे अफसरों में ऐसी है जो भ्रष्टाचारी हैं और उनकी जांच करने वाला कोई नहीं है। डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट जो है वह कप्तान साहब के इशारे पर चलता है क्योंकि उन्हीं के मातहत है। जिस थानेदार से कप्तान साहब खुश हैं उसके खिलाफ डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स कुछ नहीं कर सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि उसे पुलिस कप्तान के मातहत न करके सीधे एक जज के मातहत कर दिया जाय।

श्री चरणसिंह, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एक आदेश दिया था कि ५ गांव की परताल कोई मेम्बर चाहे तो करवा ले, तो उसी से जुड़ी हुई बात मैं रखना चाहता हूं। अगर मंत्री जी उसे स्वीकार करें तो एक दिन में रिश्वत बन्द हो सकती है अगर कोई बड़ा अभियोग किसी पर लगे और चार्ज लगे कि उसने रिश्वत ली है तो उधर आप, अगर किसी को ईमानदार समझते हैं, उसे यह कार्य सौंप दें कि वह खोज निकाले तो मैं समझता हूं कि इस तरह से ९० फीसदी रिश्वतखोरी और घूसखोरी इस प्रदेश की बन्द हो जायगी। लेकिन इसका भी मौका नहीं है। न बतलाने का मौका है और न कोई सुनने वाला ही है।

एक मित्र हैं एटा के। उन्होंने कुछ बतलाया है जो मैं आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। नागलाभग थाने में अलीगंज के पूरे गांव को लूटा गया लेकिन उसकी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गयी। मेरे मित्र ने बतलाया कि बाबूराम के यहां डकैती पड़ी, रिपोर्ट लिखाने गया तो नहीं लिखी गयी।

अलीगंज के दारोगा ने चम्पा नाम की औरत का, पार्टीबन्दी का शिकार हो कर दफा ३०२ में, चालान किया और जुर्म कबुलवाने के लिये उसको थाने में इतना पीटा कि उसकी एक बच्ची थी ६ महीने की वह मर गयी। छूटने के बाद जब उसने दरख्वास्त दी कि ऐसा जुल्म मेरे साथ हुआ तो वह जांच के लिये उस थानेदार को दे दी गयी। अगर ऐसा होगा तो व्यवस्था कैसे रह सकती है? इसलिये मंत्री जी से मैं खासतौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो तो कम्प्लेन्ट अफसर उसकी जांच करने में बिलकुल असमर्थ हैं, अगर कप्तान साहब उस थानेदार से खुश हैं तो उसकी हिम्मत उसके खिलाफ रिपोर्ट करने की नहीं होगी। इसलिये उसमें एक नान-आफिशल आदमी होना चाहिये भले ही वह विरोधी दल का न हो, ट्रेजरी बेंचेज का हो, वह भी जांच में शामिल हो। मेरा निश्चित मत है कि इससे हालत सुधरेगी।

अन्त में मुझे यह कहना है कि जहां पुलिस ने बहुत अच्छे काम किये हैं वहां इसी पुलिस ने निन्दनीय काम भी किये हैं जिनके कारण वह सारी जनता के लिये एक निन्दा का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--(माननीया विद्यावती वाजपेयी का नाम पुकारने के पश्चात्) आज मैं सदन का समय ५ बज कर २ मिनट तक बढ़ा दूंगा ताकि माननीया सदस्या का भाषण समाप्त हो जाय।

श्रीमती विद्यावती वाजपेयी (जिला हरदोई)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किये हुए अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। यह कितने महत्व का विषय है, देश की सुरक्षा और शान्ति के लिये पुलिस कितनी आवश्यक है, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। पर यहां के वाद विवाद का जो दृश्य है उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ वकील लोग दोनों ओर से बैठे हुए हैं और अपने-अपने पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों को सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों से शिकायत है। चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी ने यह शिकायत की कि चोरी, डकैती, कत्ल आदि बढ़ रहे हैं और अराजकता फैल रही है; पर इस विषय में गम्भीरता के साथ एक भी सुझाव नहीं दिया गया कि क्या करें कि पुलिस में ईमानदारी का वातावरण हो और किस तरह से हमारे देश की उन्नति में पुलिस सहायक हो सकती है। मैं समझती हूं कि हमारे सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों के आगे भी एक समस्या है। कोई भी काम हो हम लोग अपनी पार्टीबन्दी के कारण हर एक काम में बाधा डालते हैं। मैं यह नहीं कहती कि कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं करते। इधर के लोग जा कर अपनी बात कह आते हैं और दूसरे लोग जा कर अपनी बात कह आते हैं। नतीजा यह होता है कि उनको सही रास्ता मिलने में बाधा पड़ती है और वे यह नहीं समझ पाते कि किसकी बात सच है और किसकी झूठ है। जहां पर कोई गलत बात हो वहां अगर हम सब एक हो जायं और उसको ठीक करने का प्रयत्न करें तो कदाचित् जो जुर्म बढ़ रहे हैं और अराजकता फैल रही है वह कम हो जाय और हमें कर्मचारियों से भी अधिक शिकायत न हो जितनी कि आजकल है।

किन्हीं माननीय सदस्यों ने कहा कि लोग मंत्री जी से शिकायत करते हैं कि फलां दारोगा का तबादला कर दो और फलां एस० पी० का तबादला कर दो। मैं इस बात को बिलकुल गलत समझती हूं। मेरे जिले का मामला है। माननीय मंत्री जी वहां गये हुए थे और हमारे एक सदस्य ने वहां के दारोगा को ट्रांसफर करने के लिये उनसे आग्रह किया, लेकिन उन्होंने उसी समय उत्तर दिया कि आप लोगों को ऐडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह से दखल नहीं देना चाहिये, यह काम हमारा है, हम इस काम को करेंगे। किसी पर बेकार के आक्षेप लगाना उचित बात नहीं है। यह सही है कि आजादी के बाद से भी कोई अन्तर इस विषय में नहीं हुआ है, चोरियां, डकैतियां, कत्ल सब वैसे के वैसे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ बढ़ती हुई हो क्योंकि हर जगह आजादी का दुरुपयोग किया जा रहा है।

हम में उच्छृंखलता बढ़ती जा रही है, चाहे वह हमारे कर्मचारी हों या हम लोग जो बहुत जिम्मेदार पद पर लाखों की तादाद में जनता से चुन कर जो आये हैं, वह हों या हमारे विद्यार्थी हों; कोई अपने मास्टर को नहीं मानता, कोई अपने मंत्री को नहीं मानता; इस तरह से कोई ऐसी चीज को नहीं मानता है कि हमसे बड़ा अफसर कोई बात कहता है तो ठीक कहता है। इस तरह से अराजकता बढ़ रही है। जब तक हम स्वयं अपना मारल कैरेक्टर न ठीक करें और स्वयं इसको न समझें कि पार्टी बन्दी को छोड़ कर काम करें, तब तक सुधार नहीं हो सकता। जहां पर उचित हो, जैसे एलेक्शन है, वहां खूब पार्टी-बन्दी करें, लेकिन अगर कोई कत्ल हो गया तो एक आदमी तो यह कहता है कि यह हमारी पार्टी का आदमी है इसको छोड़ दो और दूसरा आदमी दूसरी बात कहता है। खामखा कर्मचारी के आगे यह समस्या हो जाती है कि किस तरह से इसको हल किया। जब से अधिक पार्टियां पैदा हुई हैं ये चीजें तभी से पैदा हुई हैं। हमें यह सोचना है कि किस तरह से हमारे देश की उन्नति हो, किस तरह से बुराइयां दूर हों। सही है कि ठीक रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, रिश्वत का बाजार भी बहुत गर्म है, कत्ल वगैरह में भी दारोगा गलत कार्य करते हैं; लेकिन अगर हम सब एक हो जायं और अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो पूरे जिले से एक आवाज से गृह मंत्री या किसी दूसरे अधिकारी से कहें कि यह आदमी ऐसा है तो कोई भी आदमी उस पूरी आवाज को सुन कर उसे ठीक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे अन्दर जो पार्टी बन्दी है, यह हम को दूर करनी

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी पुलिस का कर्मचारी हमारी बात को मानने के लिये तैयार नहीं होगा और कोई भी नहीं मानता है। यह भी सच है कि कोई भी आदमी हमारी कद्र नहीं करता है।

कुछ समस्याएं हमारे पुलिस वालों के आगे भी हैं। आज हमारे पास धन की कमी होने के कारण थानों के मकान टूटे हैं तथा टपकते हैं। कदाचित् पुलिस कमीशन इस विषय में सहायता करे। हर एक दारोगा के मकान की हालत खराब है। कर्मचारियों को वेतन कम मिलता है। कांस्टेबुल को कम से कम १०० रुपया या इससे अधिक मिले तो रिश्वत कम हो सकती है। जहां तक उच्च अधिकारियों का सम्बन्ध है, वे रिश्वत नहीं लेते हैं। हो सकता है कि कोई एक-आध आदमी लेता हो, लेकिन यह नहीं है कि सब लेते हों। पुलिस विभाग को हमने और आपने इतना बदनाम कर दिया है कि कोई भी अच्छे से अच्छा आदमी हो, वह अपना मुंह उठा कर नहीं चल सकता है। पुलिस में भी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काम करने वाले हैं, बहादुर हैं, जिनका बहुतों का जिक्र इस पुस्तिका में है कि किस तरह से अपनी जान पर खेलकर उन्होंने डाकुओं को पकड़ा और क्या-क्या काम किये। इस तरह से बहादुरी की कदर करनी चाहिये, उनकी तारीफ करनी चाहिये।

अब रही रिश्वत की बात। मैं तो रिश्वत लेने वाले से रिश्वत देने वाले को ज्यादा दोषी समझती हूं। अब आप चाहे इसको मानें या न मानें लेकिन मैं समझती हूं कि अगर गलत काम कराया न जाय तो रिश्वत लेने की नौबत ही न आये। हो सकता है कि कहीं-कहीं पर पुलिस की भी ज्यादती होती हो। यह मैं नहीं कहती कि पुलिस के काम ऐसे नहीं होते। बहुत से आदमियों को फंसाकर वह ऐसा किया करते हैं लेकिन उसको तो दूर किया जा सकता है। आखिर हम लोग यहां हैं किस लिये सिवाय इसके कि हम देश की जितनी बुराइयां हैं और जितनी जनता की तकलीफें हैं उनको दूर करने का उपाय करें।

श्री उपाध्यक्ष--समय समाप्त।

अब हम उठते हैं और सोमवार तारीख २९ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर सोमवार, २९ फरवरी, १९६० के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२७ फरवरी, १९६०।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २ एल० ए०--१९६०--८४५।